उड़ान

अंक : 69 दिसम्बर 2017 - फरवरी 2018

झारखण्ड विधान-सभा की त्रैमासिक पत्रिका

विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची

उड़ान

अंक : 69 दिसम्बर 2017 - फरवरी 2018

झारखण्ड विधान-सभा
की
त्रैमासिक पत्रिका

संरक्षण एवं मार्गदर्शन

श्री दिनेश उराँव

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा

सम्पादक

मिथिलेश कुमार मिश्र

विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग
झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची
द्वारा प्रकाशित

© कॉपीराइट :

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय
(प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना पत्रिका का कोई
अंश अन्यत्र प्रकाशित या मुद्रित नहीं किया जाए ।

संरक्षण एवं मार्गदर्शन :
श्री दिनेश उराँव
अध्यक्ष
झारखण्ड विधान-सभा

सम्पादक :
मिथिलेश कुमार मिश्र
फोन : 0651-2441314, 94318 83026

सहयोग :
गुरूचरण सिंकू
रविशंकर प्रसाद
संदीप प्रसाद
रानू कुमार
अश्विनी कुमार

प्रूफ रीडर :
प्रदीप कुमार तिवारी
बाबू लाल राम

प्रकाशक :
विधायी शोध सन्दर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग
झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची
फोन : 0651-2444497

मुद्रक :
सुभाष प्रिंटिंग प्रेस
गाड़ीखाना चौक, हरमु रोड, राँची
मो. नं. : 94313 500 56

दिनेश उराँव
अध्यक्ष
झारखण्ड विधान-सभा
राँची

अध्यक्षीय कार्यालय :
दूरभाष : 0651–2440400 (कार्यालय)
फैक्स : 0651–2441712
मोबाईल : 094311–16277
आवासीय कार्यालय:
दूरभाष : 0651–2281884
फैक्स : 0651–2284046

प्रस्तावना

संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अपना–अपना कर्त्तव्य, दायित्व निर्धारित है। इसके अतिरिक्त इसके कार्यकलाप का दायरा भी रेखांकित किया गया है। चूँकि विधायिका में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर सम्मिलित होते हैं, इसलिए जनता को सबसे अधिक अपेक्षा लोकतंत्र के इस स्तम्भ से होती है। जनता अपेक्षा करती है कि सदन में ससमय जन सरोकार के मुद्दे जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये जाएँ। आम जनता के हित से संबंधित कार्यकलाप किया जाये। आज के इस तकनीकी युग में जनता सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से अथवा दृश्य मीडिया के माध्यम से देखती है।

माननीय सदस्यों को भारत का संविधान के अनुच्छेद 194 (1) में उद्धृत शक्तियों के अनुसरण में विधान–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत अपनी बात सदन के समक्ष रखनी चाहिए, ऐसी आम जनता की अपेक्षा होती है। सदन जब बाधित होता है, तो सबसे ज्यादा मर्माहत होने वाला व्यक्ति आसन पर बैठा हुआ "अध्यक्ष" ही होता है।

चलते सत्र के दौरान हरेक माननीय सदस्य को यह विचार करना चाहिए कि उन्हें किस हद तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह स्वतंत्रता जब उच्छृंखलता में बदल जाती है, तो हम अपनी स्वतंत्रता की आड़ में दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने लगते हैं और इसके परिणामस्वरूप सदन अस्त–व्यस्त हो जाता है। संसदीय लोकतंत्र की हमारी परम्परा अब लगभग 69 वर्षों की होने जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक पूर्ण रूप से इसकी गरिमा को समझने में कहीं–न–कहीं हमलोग कोताही कर रहे हैं। 08 मार्च, 1958 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल

नेहरू ने कहा था, 'अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधित्व करता है, वह सभा की गरिमारूपी स्वतंत्रता का प्रतीक है और चूंकि सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। अतः एक विशिष्ट रूप में अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता और आजादी का प्रतीक बन जाता है।'

मैंने अध्यक्ष के नाते प्रत्येक सत्र के प्रत्येक कार्य दिवस में यह चेष्टा की है कि सदन की सम्प्रभुता कायम रहे, उसकी सर्वोच्चता पर कहीं आँच न आवे, लेकिन यथार्थ यह है कि विगत दिनों लगातार दो सत्रों यथाः एकादश (शीतकालीन) सत्र में 67 अल्पसूचित एवं 154 तारांकित प्रश्नों में से एकमात्र प्रश्न उत्तरित हो सका। जबकि द्वादश (बजट) सत्र के दौरान 15 दिनों की निर्धारित बैठकों की अवधि को घटाकर मात्र 8 दिनों की करने की विवशता हमारे सामने आयी और इन 8 कार्य दिवस में 1058 स्वीकृत प्रश्नों में से 297 अल्पसूचित और 660 तारांकित प्रश्नों के मध्य मात्र दो अल्पसूचित प्रश्नों के उत्तर जैसे–तैसे सदन में हो सके। एक भी तारांकित प्रश्न नहीं लिये जा सके। कुल स्वीकृत 35 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से एक पर भी सरकार का वक्तव्य नहीं हो सका। बजट गिलोटिन से पास कराया गया। शून्यकाल बाधित रहे। चिंता का विषय यह है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा के छठे सत्र से अब तक सभा की कुल 39 बैठकें हुई, हैं जिसमें कुल 156 घंटे कार्य होने थे। जिसके विरूद्ध मात्र 60 घंटे ही कार्य हो सके और इन 7 सत्रों में मात्र 11 अल्पसूचित और 16 तारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन में दिये गये। साथ ही 147 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से मात्र 8 पर सरकार का वक्तव्य हो सका। इस अवधि में 44 विधेयकों में से मात्र दो–तीन विधेयकों पर ही सदन में सार्थक चर्चा हुई।

आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण करने की। अपने कर्त्तव्यों का मूल्यांकन करने का और यह सोचने का कि जनता किस आशा और विश्वास के साथ अपना मत देकर, अपना मेन्डेट देकर हमें सदन में भेजती है और हम उनकी अपेक्षाओं की कसौटी पर किस हद तक खड़ा उतरने में सक्षम सिद्ध हो पाते हैं।

अनन्त शुभकामनाओं के साथ।

(दिनेश उराँव)

अपनी बात

झारखण्ड विधान–सभा के गठन के 18वें वर्ष में प्रवेश के साथ तरूणाई की ओर ''उड़ान'' का बढ़ता हुआ यह 69वाँ अंक आपके समक्ष है। विगत 17 वर्षों से लगातार विधान–सभा के कार्यकलापों एवं आस–पास हो रही राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं एवं अन्यान्य पहलुओं से रू–ब–रू कराने में यह ''त्रैमासिक पत्रिका'' अभी तक सक्षम सिद्ध हुई है।

''उड़ान'' के दायरे को लगातार बढ़ाने की चेष्टा की जाती रही है। इस क्रम में इस अंक में कतिपय महत्वपूर्ण विधाओं पर आलेख प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिसमें सी0पी0ए0 सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य, जिसमें ''विकास की कार्य सूची में संसद की भूमिका'' का उल्लेख है।

राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी0ए0पी0एफ0) की भूमिका, जिसमें सी0आई0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, एस0एस0बी, बी0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0 के सशस्त्र जवान हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा एवं सीमा की रक्षा हेतु किन कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य करते हैं, इसका चित्रण है। वहीं दूसरी ओर झारखण्ड की तुलना भारत के हृदय से करते हुए इसके खनिज सम्पदा, इसके भौगोलिक स्थिति, औद्योगीकरण की दशा एवं दिशा, रोजगार की स्थिति सहित कृषि, वानिकी एवं औद्योगिक गति का अत्यन्त ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुतीकरण किया गया है। महर्षि बाल्मिकी के रामायण, कालिदास के रघुवंशम् एवं गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में राम को किस रूप में दर्शाया गया है और आज की स्थिति में उन मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, इसका श्लोक, दोहे, चौपाई के प्रयोग के साथ सजाकर एवं संवारकर प्रस्तुत किया गया है।

झारखण्ड विधान–सभा का स्थापना दिवस समारोह 2017 झारखण्ड विधान–सभा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसका चित्रण शब्दों एवं छायाचित्रों के माध्यम से किया गया है।

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा के एकादश एवं द्वादश सत्र के दौरान हुए समस्त कार्यकलापों का तृतीय खण्ड में सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है।

चौथे खण्ड में राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने वाले कतिपय महत्वपूर्ण कवि की रचनाएं प्रस्तुत की गयी है। जबकि एक अद्भूत कल्पना पर आधारित कथा का भी समावेश इस अंक में है।

विधान–सभा के लिहाज से सदन में बढ़ती अव्यवस्था सर्वाधिक चिन्ता का विषय रहा है और इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय के कुशल प्रयास से एक महत्वपूर्ण ''परिसंवाद'' आयोजित की गयी थी, जिसका प्रस्तुतीकरण शब्दों में संजोकर करने की चेष्टा की गयी है। इसमें विद्वान राजनीतिक पुरोधाओं के साथ शिक्षाविद् एवं प्रख्यात पत्रकार को संसाधन पुरूष के रूप में आमंत्रित किया गया था।

पूर्व वैदिक काल से आज 21वीं सदी तक हमारा समाज किस प्रकार परिवर्तनशील रहा है और उस परिवर्तनशील समाज में नारी की स्थिति किस प्रकार बदलती रही है, कभी गौरवपूर्ण स्थान तो कभी निम्न स्थान के भँवर में डोलते हुए उदाहरणों के साथ ''बदलता समाज और नारी की स्थिति'' विषयक आलेख में चर्चा की गयी है। वहीं इस बात पर घोर चिन्ता व्यक्त की गयी है कि नयी पीढ़ी के लोग इस इंटरनेट के युग में साहित्य से लगातार इतने दूर क्यों होते जा रहे हैं।

इस अंक में पद्मश्री जानकी वल्लभ शास्त्री तथा पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के को जीवन्त रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा विद्वान प्राध्यापकों द्वारा की गयी है।

''उड़ान'' के आगामी अंकों में भी ''संस्मरण'' स्तम्भ जारी रखने की योजना है। इसके तहत झारखण्ड क्षेत्र के ऐसे

शूरवीरों की गाथा लिखी जायेगी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिये अथवा राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिये।

झारखण्ड की अस्मिता की प्रतीक है यहां की लोक संस्कृति, लोक पर्व और इसके तहत "सरहुल और संस्कृति" तथा "सामा–चकेवा" विषयक लोक पर्वों का चरित्र–चित्रण अत्यंत ही मनोरम ढंग से विद्वान शिल्पकारों द्वारा की गयी है।

"उड़ान" की पहचान रहे "चंदूबाबू" का विगत दिनों असामयिक निधन हो गया था, जो पाठकों के लिए घोर चिन्ता का विषय था। "उड़ान" के शिल्पकारों के अथक प्रयास से इस अंक में उनका "पुनर्जन्म" हुआ है। यह "उड़ान" के पाठकों के लिए एक सुखद समाचार है। इसके अतिरिक्त हाल की संसदीय घटनाओं का भी समावेश इस अंक में किया गया है।

झारखण्ड विधान सभा की विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग लगातार अपने दायरे को विकसित करते हुए कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देते रही है। इस क्रम में "उड़ान" पत्रिका का प्रकाशन एक पक्ष है, वहीं दूसरी ओर 16 जनवरी, 2018 को माननीय सदस्यों के लिए एक "परिसंवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था "सदन में बढ़ती अव्यवस्था की प्रवृत्ति के कारण एवं निदान"। इस विषय पर आयोजित "परिसंवाद" में भाग लेने वाले संसाधन पुरूष थे श्री इंदर सिंह नामधारी, पूर्व अध्यक्ष, झारखण्ड विधान–सभा, श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0–सह–पूर्व अध्यक्ष, झारखण्ड विधान–सभा, श्री सरयू राय, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार, श्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, झारखण्ड विधान–सभा, श्री प्रदीप यादव, नेता झा0वि0मो0, विधायक दल, पद्मश्री बलवीर दत्त, पत्रकार तथा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, डॉ0 रमेश कुमार पाण्डेय। परिसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं माननीय विधान–सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश उराँव ने की।

21 मार्च, 2018 को "हमारी विधायिका" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग, इतिहास विभाग, दर्शन शास्त्र विभाग के अलावे संत जेवियर कॉलेज, रांची विमेन्स कॉलेज, गोस्सनर कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, जे0एन0 कॉलेज, राम लखन सिंह यादव कॉलेज एवं एस0एस0 मेमोरियल कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र एवं छात्राएं तथा एक्स0आई0एस0एस0 एवं बी0आइ0टी0, मेसरा के "प्रबंधन" के छात्र–छात्राएं सम्मिलित हुए थे। इसके अतिरिक्त डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के छात्र–छात्राओं सहित सभी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/फैकल्टी सदस्य एवं 50 से अधिक की संख्या में शोधार्थी (रिसर्च स्कॉलर) प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी 200 प्रतिभागियों को विधान–सभा की ओर से प्रमाण–पत्र भी दिये गये।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन पुरूष के रूप में श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव, श्री उदयभान सिंह, संयुक्त सचिव एवं श्री धनेश्वर राणा, संयुक्त सचिव ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त इस कोषांग की यह योजना है कि शोध कार्य हेतु इच्छुक छात्र–छात्राओं को यथा सम्भव शोध सामग्री उपलब्ध कराया जाय तथा कुशल मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की जाए।

आशा है, "उड़ान" का यह प्रकाशन लोकोपयोगी सिद्ध होगा और भविष्य के निमित्त आपके सुझाव सदैव सादर आमंत्रित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उड़ान का यह अंक भी अन्य अंकों की भांति रूचिकर एवं संग्रहणीय सिद्ध होगा।

(मिथिलेश कुमार मिश्र)

विषय सूची

शीर्षक		रचनाकार	पृष्ठ सं.
I आलेख			
1. विकास की कार्यसूची में संसद की भूमिका	–	श्री दिनेश उराँव	01
2. Role of CAPF in India's Internal Security	–	Shivam Kumar	03
3. भारत का हृदयखंड : झारखण्ड	–	कृष्णकांत चौबे	09
4. भ्रम और संशय युग में राम कालीन मूल्यों की प्रासंगिकता		मनोज पाठक	12
II स्थापना दिवस			
5. स्थापना दिवस समारोह, 2017	–	मिथिलेश कुमार मिश्र	18
III सत्र से			
6. मा. राज्यपाल का अभिभाषण (श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल, झारखण्ड)	–		28
7. मा. मुख्यमंत्री (वित्त) का बजट भाषण (श्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखण्ड)	–		39
8. सत्र का औपचारिक कार्य	–		51
9. मा. अध्यक्ष का प्रारंभिक वक्तव्य	–		57
10. मा. अध्यक्ष का समापन भाषण	–		59
11. मा. मुख्यमंत्री का समापन भाषण	–		62
12. शोक प्रकाश	–		65
13. विधेयक पर प्रवर समिति का गठन	–		68
14. उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान-सभा के वर्ष 2017 के सत्रों में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय	–		69
IV कविता / गीत / गजल / कथा			
15. गीत / गीत रचो गीतकार	–	सियाराम झा ''सरस''	72
16. कितना नया हूँ मैं / तेज गाना है- एक्का 'दा	–	कुमार वृजेन्द्र	73
17. प्रकृति माँ की हुड़दंगी संतानों से.....	–	कुमार मनीष अरविन्द	74
18. पिता प्रकाश / शान	–	श्रीमती नन्दनी पाठक	75
19. ईंसान थोड़े ही हैं	–	मिथिलेश कुमार मिश्र	76
20. राँची कल और आज / हरमू मैदान	–	प्रणव प्रियदर्शी	77

21. जाड़े की धूप	-	डॉ. सहदेव महतो	78
V परिसंवाद			
22. सदन में बढ़ती अव्यवस्था के कारण एवं निदान	-	मिथिलेश कुमार मिश्र	81
VI विविध			
23. बदलता समाज और महिलाओं की स्थिति (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष)	-	शिवम् कुमार	88
24. नई पीढ़ी के लोग साहित्य से इतने दूर क्यों ?	-	उमा महतो	92
VII लोक पर्व			
25. संस्कृति और सरहुल	-	डॉ. सुधीर कुमार राय	94
26. सामा-चकेबा	-	कुणाल	97
VIII संस्मरण			
27. गंगा सागर का निर्मल नीर : आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री	-	डॉ. नागेश्वर सिंह	99
28. कर्मयोगी ऋषि कल्प फादर कामिल बुल्के	-	डॉ. कमल बोस	103
IX ऑफ द' रेकार्ड			
29. चन्दूबाबू का पुनर्जन्म	-	मधुकर भारद्वाज	105
X संसदीय समाचार	-	अश्विनी कुमार	106

'गुलाब के फूलों की तरह, पुष्पित हो लोकतंत्र हमारा।'

कार्यपालिका एवं विधायिका के मिलन का

अनमोल क्षण।

शीतकालीन सत्र के अवसर पर

मा. मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास पुष्प गुच्छ देकर

मा. अध्यक्ष झा.वि.स., श्री दिनेश उराँव को सम्मानित

करते हुए ।

सदन में विरोध का विकल्प सदन के अन्दर ही है। आइए, जन प्रतिनिधि के रूप में हम अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें।

लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में उपस्थित विभिन्न पंथ के पुजारी अपनी बारी की प्रतीक्षा में।

सदन में अपनी बात रखते हुए श्री प्रदीप यादव तथा आसन से सदन को सम्बोधित करते हुए मा. अध्यक्ष।

बज़ट सत्र के अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए मा. राज्यपाल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
सदन में मा. राज्यपाल के अभिभाषण का अवसर।

बज़ट सत्र के अवसर पर पुष्प गुच्छ देकर मा. अध्यक्ष का स्वागत करते मा. मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास; मा. संसदीय कार्यमंत्री, श्री सरयू राय तथा राज्य सरकार के शीर्षस्थ पदाधिकारीगण, यथा: श्रीमती राजबाला वर्मा, मुख्य सचिव; श्री डी.के. पाण्डेय, डी.जी.पी. तथा श्री एस.के.जी. रहाटे, कैबिनेट सचिव।

जब उजाला हो तभी सवेरा
जहाँ मुलाकात हो, वहीं हो स्वागत

मा. अध्यक्ष, झा.वि.स. के कार्यालय कक्ष के द्वार पर पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करते मा. नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन।

छठे भारतीय प्रक्षेत्र के राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में भाग लेने हेतु शिरकत करते हुए
मा. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा। साथ में विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधिगण।

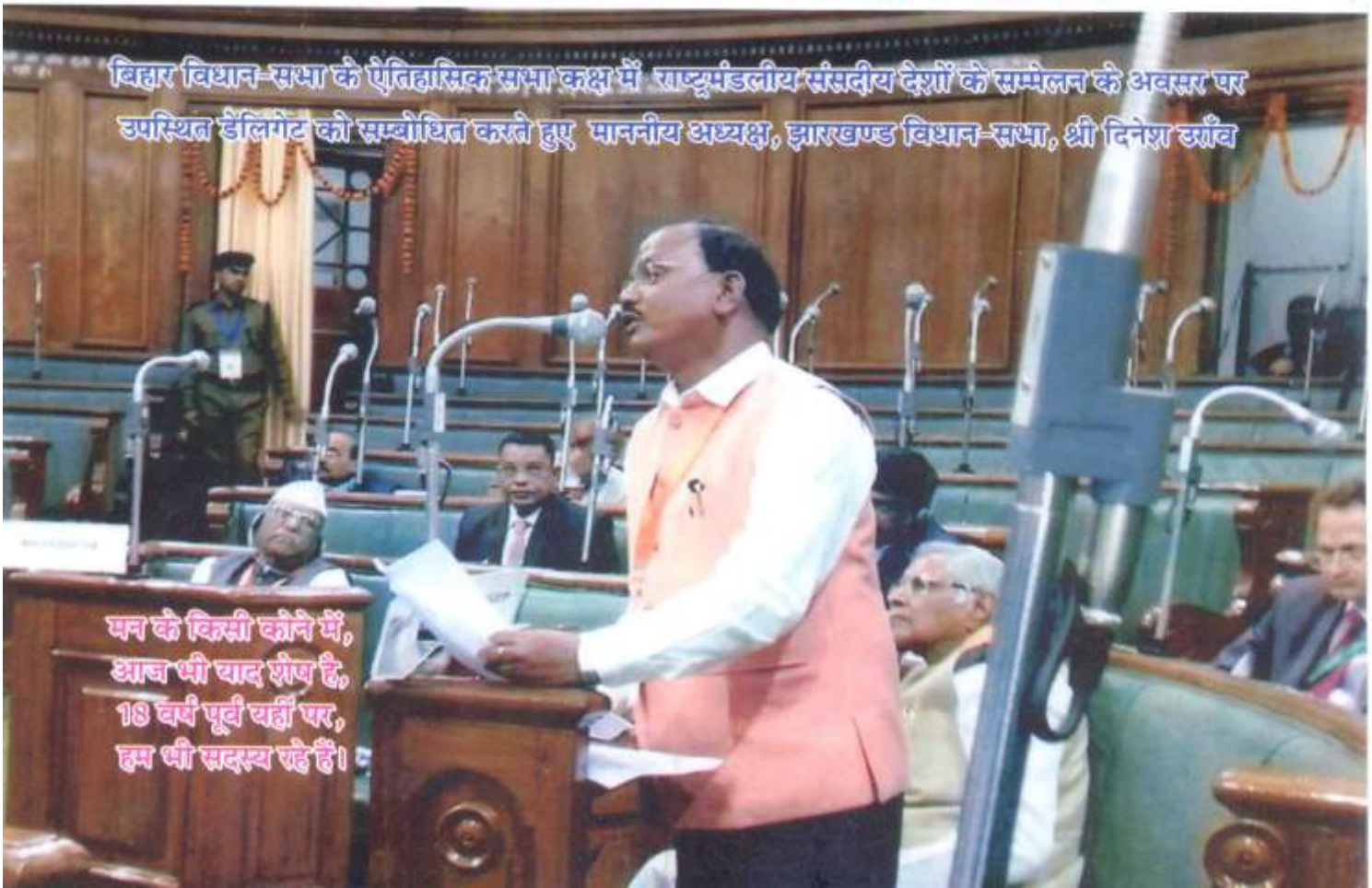

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित लोकसभाध्यक्ष सहित
विधायी संस्थानों के देश-विदेश के प्रतिनिधि।

विकास की कार्यसूची में संसद की भूमिका

दिनेश उराँव
अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा

महोदय/महोदया,

किसी भी राष्ट्र की तरक्की इस पर निहित है कि वहाँ की जनता मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट है कि नहीं और इसका आकलन करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, क्योंकि वो ही जनता के द्वारा चुनकर संसद तक जनता की बात को पहुँचाने का कार्य करते हैं। जनता सरकार से कुछ अपेक्षाएँ रखती है और इन अपेक्षाओं की पूर्ति तभी संभव हैं, जब सही नीति बने। हमारे संविधान ने हमें अनेकों प्रकार की आज़ादी दी है, जिसके तहत हम अपनी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। संविधान ने ही राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने हेतु संसदीय प्रणाली का गठन किया, जिसके अन्तर्गत भारतीय संसद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि अपने राज्य की समस्याएँ एवं जरूरतों को सदन पटल पर रखते हैं। राष्ट्र के विकास हेतु इन्हीं समस्याओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखकर सदन के माध्यम से नीति बनायी जाती है।

जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समयानुसार विधेयक लाया जाता है जिस पर सदन में सकारात्मक विमर्श होना अति आवश्यक है क्योंकि यही विधेयक आगे जाकर कानून बनेगा जिसका पालन पूरे राष्ट्र को एक समान करना होगा। जनप्रतिनिधि अपनी भावनाओं को यदि जनता के भावनाओं से जोड़कर देखें एवं विचार–विमर्श में अपनी सहभागिता दें तो जो कानून बनेगा वो जनता के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आयेगा, लेकिन मौजूदा समय में चाहे केन्द्र में हो या फिर राज्य के विधान मंडल में हम आये दिन देखते हैं कि कोई भी विधेयक बिना किसी विचार–विमर्श के हंगामों के साथ पारित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जो विधेयक श्रेष्ठ कानून बन कर जनता के सामने आना चाहिए था वो बस औपचारिकता बन कर रह जाती है। जनप्रतिनिधियों को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए, जिस प्रकार पक्ष और विपक्ष जनता की समस्याओं को सदन पटल पर रखते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी–अपनी सकारात्मक विचारों को रखना चाहिए, ताकि जो निष्कर्ष आये वो जनता के हित में सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि एक बार कानून बन जाने पर उसे बार–बार संशोधित करना देश के विकास की गति को धीमा कर देता है। आज वैश्विक स्तर पर हम हर क्षेत्र में नित्य नयी ऊँचाइयों को छू रहे हैं। हमारे यहाँ के युवा अपने–अपने कार्य कौशल से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सही नीति न होने की वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी प्रति वर्ष दुगुनी होती जा रही है जो कि हमारे राष्ट्र के स्वयं विकास की गति में बाधा है।

संसद में विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा विचार–विमर्श किया जाता है

एवं परिणामस्वरूप हर सत्र में इसका सकारात्मक परिणाम आना आवश्यक है, ताकि एक सत्र से दूसरे सत्र के अवधि के अन्तर्गत विकास का कार्य चलता रहे एवं इसका लाभ जनता को प्राप्त होता रहे। पूर्व में कई बार संसद में ऐसी परिस्थितियाँ आयी जिसमें पुराने बने कानून को संशोधित किया गया, जिससे देश के विकास को गति मिल सके। संसद जनता के दुःख–दर्द का आईना भी है, जिसके अन्तर्गत जनता की परेशानियों का निराकरण सदन पटल के माध्यम से कानून के रूप में किया जाता है। मौजूदा समय में कई ऐसे विधेयक संसद के द्वारा पारित हुए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम देश की जनता को मिला है, जैसे कि जी.एस.टी. कानून, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय कानून आदि हैं। तीन तलाक हेतु कानून बनाना जो कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अनूठा पहल है, वो भी सदन पटल पर पारित होने के कगार पर है। इन सब बातों से हम यह अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि सदन जनता की समस्याओं से अवगत है एवं उस पर विचार–विमर्श भी करना चाहता है ताकि उचित समाधान निकल कर जनता के सामने आ सके तथा राष्ट्र के विकास को भी गति मिल सके। बात यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की करें तो संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर की समस्याओं को आठ अलग–अलग लक्ष्य के रूप में उसे MDGs के अन्तर्गत रखा है। इन MDG को हासिल करने हेतु हर दस वर्ष का आकलन करने के लिए SDGs के रूप में एक बेहतर माध्यम रखा है। हमारे देश में इन SDGs को जनप्रतिनिधि सदन के माध्यम से पारित कर पूरे राष्ट्र में कार्यान्वित करते हैं, ताकि समयानुसार SDGs के अन्तर्गत जो लक्ष्य हैं उसे हासिल किया जा सके। इनसे यह साबित होता है कि संसद केवल आंतरिक समस्या के समाधान हेतु कानून बनाने एवं विकास को गति देने मात्र तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर की समस्याओं का भी निराकरण करने का एक बेहतरीन माध्यम है जो कि राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भावनात्मक रूप से जोड़ता है। अतः जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्व का निर्वाह जनता के विकास कार्यों का उचित दिशा प्रदान करके करना चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि समस्याएँ अनेक हो सकती हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी अवश्य है, फर्क सिर्फ सकारात्मक सोच का है। मैं कहना चाहता हूँ कि सदन विधायिका का मंदिर है और प्रतिनिधि इसके उपासक हैं। यदि सदन के अन्दर प्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वाह सही तरीके से करें, तो उनके द्वारा समस्त देशवासियों के विकास हेतु नीति एवं कानून भी सर्वश्रेष्ठ बन कर जनता के सामने आयेगा एवं जनता भी इन नीतियों एवं कानून के अन्तर्गत अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगी और राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

धन्यवाद!

Role of Central Armed Police Forces in India's Internal Security

Shivam Kumar
(M) 7838606201

India was partitioned in the backdrop of large-scale communal riots, but the partition of the country on religious lines, without taking into consideration its multiple identities, instead of bringing the communal tensions down, in fact, worsened the situation. The two-nation theory created Pakistan, and it still survives on this theory. Pakistan finds it difficult to accept the reality that India continues to be a democratic, plural, multi religious society and that India today has more Muslim citizens than Pakistan. The Government of Pakistan has taken upon itself the responsibility of not only protecting its own citizens, but also the Indian Muslims. The power structure in theocratic Pakistan, dominated by the army, the feudal landlords, the bureaucracy and the religious leaders has been able to retain its hold over the levers of power by playing the anti- India and Islamic cards. Pakistan plays the Islamic card in its foreign policy also. It misses no opportunity to club India as an anti-Islamic country where Muslims are not safe. The continuing tensions between India and Pakistan have a direct bearing on the internal situation in India. They have further complicated the internal security situation.

The management of internal security, therefore, assumes great importance. If the internal security issues are tackled effectively, subversion by the external forces to that extent becomes more difficult. Unfortunately, the rise of contentious politics based on sectarian, ethnic, linguistic or other divisive criteria, is primarily responsible for the many communal and secessionist movements flourishing in India. The presence of hostile neighbours enables the internal conflicts to get external support, which includes money, arms and sanctuaries. The vested interests exploit these conditions to pursue their own agenda.

Internal security is the security of the country within its borders. It basically implies maintenance of peace, law and order, and upholding the sovereignty of the country within its territory. It comes under the purview of the police which is supported by the Central Armed Police Forces who are specially trained for this purpose. Ministry of Home Affairs takes care of the internal security in India.

Over the years, India's internal security problems have multiplied due to linguistic riots, interstate disputes,, caste and ethnic tensions, communalism etc. In 1956 the country was forced to redefine its boundaries due to linguistic riots. The Naga leadership under Z.A. Phizo had challenged their integration into the Indian Union even before India became independent in 1947. The Naga insurgency started way back in the early 1950s. Since then the insurgencies in this region have multiplied and spread to many new areas. In this extremely diverse and strategically sensitive region, there are different reasons for the ethnic upsurges and insurgencies in different states. Some seek secession from the Indian Union, some others seek separate states and yet others greater autonomy within the existing state. In Manipur alone, more than twenty-five groups are operating. Thousands have died in the insurgency-related violence. Insurgencies have seriously affected the economic life of the region. The whole developmental process is seriously hampered because of this unending violence. One can imagine the plight of the people who are already living on the margin.

The later part of the seventies saw the rise of Naxalism. Making a beginning in Naxalbari in West Bengal and Telangana in Andhra Pradesh in the 1970s, the movement has since spread to many states: Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Orissa. The root cause for the rise in Left extremism is the inability of the states to address the many genuine grievances of the people. The gap between the unrealistic expectations, fuelled by

populist rhetoric, and their actual fulfilment has increased and not decreased over the years. The younger generation is no longer willing to put up passively with injustice and humiliation without a fight. The bitterness of the angry young man against the prevailing unjust socio-economic system is spilling over. An educational system which produces unemployable young boys and girls has not helped. Pressure on land has made the task of survival on agriculture more difficult. In 2006, then prime Minister even admitted that naxalism was perhaps the biggest challenge to country's internal security.

The eighties witnessed the growth of the terrorist movement in Punjab, aided and abetted by our hostile neighbour. The nineties saw the beginning of militancy in Kashmir which has slowly become a pan-India phenomena with the onslaught of terrorism in the hinterland in the last decade. It has not been able to achieve its objective through wars with India. So, it has started a proxy war since 1989. Waging of a proxy war fits into the Pakistani designs of bleeding India. Unfortunately, the weaknesses of the state and of the administrative systems have provided Pakistan with opportunities to fish in troubled waters. More interested in perpetuating their rule than governing the state, its rulers have been exploiting regional and religious differences. Anti-national forces thrived in this environment and Pakistan has missed no opportunity to support and encourage them. One of Pakistan's main aims is to divide the polity on communal lines.

Transanational organised criminals have given further boost to international terrorism by forging linkages between organised crime and terrorism. Their funding and modus operandi has mainly been arms smuggling, drugs trafficking, hawala transactions, money laundering, and pumping of fake Indian currency notes to different parts of India. Cyber security is the latest challenge.We could be the target of a cyber war which could jeopardise our security as most of our vital installations are now based on cyber system.The Snowden revelations of 2013 have exposed the extent of espionage that is possible through cyber networks. The phenomenal growth of smart phones, internet and social media can largely inflate the violent ideas among the youth .The exodus of northeast students from the southern states in 2012 and the Muzaffarnagar riots in 2013 are some examples of the problems being created by the fast flow of disinformation.

Border management is also a quintessential element to control the threats to our internal security. A weak border management can result in the infiltration of terrorists and illegal immigrants from various border and smuggling of contraband items like drugs, arms and counterfeit currency.

To counter these grave tasks of internal security is being carried out by the police administration along with the able assistance of Central Armed Police Forces who are specially trained for this purpose. Central Armed Police Forces were formerly referred as Paramilitary Forces however from March 2011, Ministry of Home Affairs adopted a uniform nomenclature of Central Armed Police Forces(CAPFs) for five forces namely: CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB . each of the five wings of CAPFs works in nexus with the police administration to protect the integrity and soverignity of our Indian states.

Border security Force (BSF)

Till 1965 India's borders with Pakistan were manned by the State Armed Police Battalion. Pakistan attacked Sardar Post, Chhar Bet and Beria Bet on 9 April, 1965 in Kutch. This exposed the inadequacy of the State Armed Police to cope with armed aggression due to which the Government of India felt the need for a specialized centrally controlled Border Security Force, which would be armed and trained to man the International Border with Pakistan. As a result of the recommendations of the Committee of Secretaries, the Border Security Force came into existence on 01 Dec 1965, and Shri K F Rustamji was the first chief and founding father. Shri K K Sharma, IPS is current Director General of the BSF. The BSF, in its 53rd years of existence, has emerged as an elite force of the country having excelled with distinction in the

Role of Central Armed Police Forces in India's Internal Security

Shivam Kumar
(M) 7838606201

India was partitioned in the backdrop of large-scale communal riots, but the partition of the country on religious lines, without taking into consideration its multiple identities, instead of bringing the communal tensions down, in fact, worsened the situation. The two-nation theory created Pakistan, and it still survives on this theory. Pakistan finds it difficult to accept the reality that India continues to be a democratic, plural, multi religious society and that India today has more Muslim citizens than Pakistan. The Government of Pakistan has taken upon itself the responsibility of not only protecting its own citizens, but also the Indian Muslims. The power structure in theocratic Pakistan, dominated by the army, the feudal landlords, the bureaucracy and the religious leaders has been able to retain its hold over the levers of power by playing the anti- India and Islamic cards. Pakistan plays the Islamic card in its foreign policy also. It misses no opportunity to club India as an anti-Islamic country where Muslims are not safe. The continuing tensions between India and Pakistan have a direct bearing on the internal situation in India. They have further complicated the internal security situation.

The management of internal security, therefore, assumes great importance. If the internal security issues are tackled effectively, subversion by the external forces to that extent becomes more difficult. Unfortunately, the rise of contentious politics based on sectarian, ethnic, linguistic or other divisive criteria, is primarily responsible for the many communal and secessionist movements flourishing in India. The presence of hostile neighbours enables the internal conflicts to get external support, which includes money, arms and sanctuaries. The vested interests exploit these conditions to pursue their own agenda.

Internal security is the security of the country within its borders. It basically implies maintenance of peace, law and order, and upholding the sovereignty of the country within its territory. It comes under the purview of the police which is supported by the Central Armed Police Forces who are specially trained for this purpose. Ministry of Home Affairs takes care of the internal security in India.

Over the years, India's internal security problems have multiplied due to linguistic riots, interstate disputes,, caste and ethnic tensions, communalism etc. In 1956 the country was forced to redefine its boundaries due to linguistic riots. The Naga leadership under Z.A. Phizo had challenged their integration into the Indian Union even before India became independent in 1947. The Naga insurgency started way back in the early 1950s. Since then the insurgencies in this region have multiplied and spread to many new areas. In this extremely diverse and strategically sensitive region, there are different reasons for the ethnic upsurges and insurgencies in different states. Some seek secession from the Indian Union, some others seek separate states and yet others greater autonomy within the existing state. In Manipur alone, more than twenty-five groups are operating. Thousands have died in the insurgency-related violence. Insurgencies have seriously affected the economic life of the region. The whole developmental process is seriously hampered because of this unending violence. One can imagine the plight of the people who are already living on the margin.

The later part of the seventies saw the rise of Naxalism. Making a beginning in Naxalbari in West Bengal and Telangana in Andhra Pradesh in the 1970s, the movement has since spread to many states: Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Orissa. The root cause for the rise in Left extremism is the inability of the states to address the many genuine grievances of the people. The gap between the unrealistic expectations, fuelled by

1971 war with Pakistan. Its ethos is "Anytask, anytime, anywhere" and the BSF has given blood and sweat to execute its motto "**Jeevan Paryant Kartavya**".

The BSF has its own cadre of officers but its head, designated as a Director-General (DG), since its raising has been an officer from the Indian Police Service. It is an Armed Force of the Union of India tasked with various assignments from time to time. The BSF has grown exponentially from a few battalions in 1965, to 186 battalions with a sanctioned strength of 257,363 personnel including an expanding air wing, marine wing, artillery regiments, and commando units. It currently stands as the world's largest border guarding force. BSF has been termed as the First Line of Defence of Indian Territories and mans the Indo-Pak and Indo-Bangladesh Border.

During the Kargil conflict in May-July 1999, the BSF remained on the heights of mountains and defended the integrity of our country in unison with the army.BSF personnel have been performing Internal Security Duty in Manipur from the last two years and have been successfully fighting insurgency in those areas. During the earthquake and communal violence in Gujarat BSF was the first to reach out to help the distressed people. The BSF took over the erection of border fencing in Jammu and Kashmir and is successfully checking the infiltration on the borders of Pakistan and Bangladesh borders.

Recently Govt has sanctioned Rs 2,090 crore to raise six new BSF battalions for Pakistan, Bangladesh Borders. In a bid to successfully man the post of Hindumalkot in Rajasthan BSF has started using COBRA wires which are high voltage wires to curb Pakistani infiltration.

Central Reserve Police Force(CRPF)

The Central Reserve Police Force (CRPF) is the premier central police force of the Union of India for internal security. Originally constituted as the Crown Representative Police in 1939, it is one of the oldest Central paramilitary forces (now termed as Central Armed Police Force). CRPF was raised as a sequel to the political unrest and the agitations in the then princely States of India following the Madras Resolution of the All-India Congress Committee in 1936 and the ever-growing desire of the Crown Representative to help the vast majority of the native States to preserve law and order as a part of the imperial policy. After Independence, the force was renamed as Central Reserve Police Force by an Act of Parliament on December 28, 1949. This Act constituted CRPF as an armed force of the Union. Sardar Vallabhbhai Patel, the then Home Minister, visualised a multi-dimensional role for it in tune with the changing needs of a newly independent nation.

During the early 1950s, the performance of the CRPF detachments in Bhuj, the then Patiala and East Punjab state Union (PEPSU) and Chambal ravines was appreciated by all quarters. The force played a significant role during the amalgamation of the princely States into the Indian Union. Soon after Independence, contingents of the CRPF were sent on Kutch, Rajasthan and Sindh borders to check infiltration and trans-border crimes. They were, subsequently, deployed on the Pakistan border in Jammu and Kashmir following attacks launched by the Pakistani infiltrators. The CRPF bore the brunt of the first Chinese attack on India at Hot Springs (Ladakh) on October 21, 1959. A small CRPF patrol was ambushed by the Chinese in which ten of its men made their supreme sacrifice for the country. Their martyrdom on October 21 is remembered throughout the country as the Police Commemoration Day every year.

Besides, CRPF personnel were also sent to Haiti, Namibia, Somalia and Maldives to deal with law and order situation there, as a part of the UN Peace Keeping Force. Of late CRPF has also been deployed to provide security to the Indian embassy at Iraq.This is the only CAPF to have a pan India presence. It is highly professional and works in complete harmony with the state police. It has now grown into a big

organization with 243 battalions and a strength of more than 3.25 lacs soldiers.

The multifaceted roles of CRPF includes Crowd control, riot control, counter Millitancy / Insurgency operations, dealing with Left Wing Extremism, overall co-ordination of large scale security arrangement specially with regard to elections in disturbed areas, protection of VIPs and vital installations, Checking environmental de-gradation and protection of local Flora and Fauna, fighting aggression during War time and participating in UN Peace Keeping Mission, playing a crucial role in conduction the general elections peacefully.

From Jharkhand's perspective the presence of CRPF is of utmost importance citing the fact that it is one of the worst hit states by naxalism. 19 districts of Jharkhand are among the red corridor list. With the introduction of surrender policy and steps taken by the government to bring these naxals in the mainstream of society, there have been significant decline in their numbers. The dangerous activities of the naxalites have claimed the lives of many CRPF personnels the recent being the death of 9 CRPF jawans in Sukma district of Chhattisgarh.There have been numerous injury and fatal cases to CRPF jawans due to the violent attitude of stone pelters in Kashmir valley. However their bravery and immense courage has led to the decrease in the number of red corridor districts from 75 in 2015 to 58 in 2017.

Central industrial security Force(CISF)

The CISF came into existence in 1969 with a modest beginning, having three battalions, to provide integrated security cover to the Public Sector Undertakings (PSUs) which, in those years, occupied the "commanding heights" of the economy. In a span of four decades, the Force has grown several folds to reach one lakh forty one thousand seven hundred and thirty five personnel today. With globalization and liberalization of the economy, CISF is no longer a PSU-centric organization. Instead, it has become a premier multi-skilled security agency of the country, mandated to provide security to major critical infrastructure installations of the country in diverse areas. CISF is currently providing security cover to nuclear installations, space establishments, airports, seaports, power plants, sensitive Government buildings and ever heritage monuments. Among the important responsibilities recently entrusted to the CISF are the Delhi Metro Rail Corporation, VIP Security, Disaster Management and establishment of a Formed Police Unit (FPU) of the UN at Haiti.

It is a testimony to the level of professional competence and standing acquired by the Force over the decades that its services are being sought for consultancy by the private sector also. Over the years, the CISF has provided Consultancy Services to more than 140 different organizations, including those in the private sector. After the Mumbai terrorist attack on November 2008, the mandate of the force has been broadened to provide direct security cover to private sector also. The CISF Act has been amended, heralding a new chapter in the glorious history of the Force. Post this CISF is also providing security to the Infosys Mysore, Reliance Refinery Jamnagar etc. Post the death of the student in Ryan International school Gurugram, CISF also provides security cover to some premier schools of our country.

The CISF is in charge of airport security at all commercial airports in India. Airport security, in the past, was under the control of airport police (under the relevant state government). However, following the hijacking of Indian Airlines Flight 814 in 1999, the topic of handing over security of the airports to the CISF was first proposed. While this proposal lay low for the next two years, the central government decided to respond to the security threat faced by all major nations of the world after the 2001 terrorist attacks happened in the United States (September 11, 2001) and decided to adopt the suggestion. As of now CISF is protecting a total of 59 international and domestic airports in the

country.

Security on the Delhi Metro is handled by the Central Industrial Security Force (CISF), who have been guarding the system ever since they took over from the Delhi Police in 2007. Closed-circuit cameras are used to monitor trains and stations, and feed from these is monitored by both the CISF and Delhi Metro authorities at their respective control rooms .Over 3500 CISF personnel have been deployed to deal with law and order issues in the system. Recently premier institutions of India like IITs and IIMs have also demanded for the assistance of CISF for security cover in their campus.

The Fire wing which is an integral part of Central Industrial Security Force is the largest, well trained and equipped, fire fighting force in the Government Sector. It is known as an outstanding fire fighting force having an enviable record. It is providing fire coverage to Establishments varying from power plants, Refineries, Petro-Chemicals, fertilizers, Steel Plants Surface Transport, Heavy Industries, Space Application Centre etc. In 2006, Central Industrial Security Force (CISF), on the basis of recommendations of the Intelligence Bureau, raised a special unit called Special Security Group (SSG) to provide security cover to persons nominated by the Home Ministry. It came into existence on November 17, 2006. This unit is responsible for providing physical protection, evacuation, mobile and static security cover to persons who have been nominated by the Home Ministry.

As Jharkhand is full of mines and minerals so CISF plays a crucial role in imparting security cover to the mines of Jharkhand especially those like in Kargali which are in the naxal hit region. Apart from this it also provides security cover to the factories like HEC, Bokaro steel plant etc.

Indo Tibetan Border Police (ITBP)

Indo-Tibetan Border Police was raised on October 24, 1962. ITBP was initially raised under the CRPF Act. However, in 1992, parliament enacted the ITBPF Act and rules there under were framed in 1994. ITBP is a multi-dimensional force. Presently Battalions of ITBP deployed on Border Guarding Duties from Karakoram Pass in Ladakh to Jachep La in Arunachal Pradesh covering 3488 KM of India China Border are manning Border Out Posts at an altitude ranging from 9000 ft to 18500 ft in the Western, Middle & Eastern Sector of India China Border. ITBP is basically a mountain trained Force and most of the officers & men are professionally trained Mountaineers and Skiers,. They have scaled more than 140 Himalayan peaks including Mt. Everest Four times (Recent successful expedition in April-May, 2012),.

The border posts manned by ITBP are exposed to high velocity storms, snow blizzards, avalanches, and landslides, besides the hazards of high altitude and conducts Long Range and Short Range patrols to keep an effective vigil on inaccessible extreme cold, where temperature dips up to minus 40 degree Celsius. ITBP and unmanned areas on the border. To maintain optimum operational efficiency of troops, periodical tactical exercises are conducted independently as well as jointly with Army.

New challenging role that has emerged for ITBP is disaster management. Being the first responder for natural Disaster in Himalayas, ITBP was the first to establish 06 (Now 08) Regional Response Centres in HP, Uttarakhand and North East and carried out numerous rescue and relief operations in various disaster situations, which took place in our areas of responsibility as well as other parts of the country. ITBP has already trained 1032 personnel in Disaster Management including 98 personnel in Radiological and Chemical/biological emergencies.

Presently ITBP Commandos are providing security to Embassy of India Kabul,Consulate General of India, Jalalabad and Kandahar in Afghanistan since November, 2002. Besides this 02 Companys of ITBP are providing security to BRO personnel for their Delaram, Zaranj road construction project in Afghanistan since July 2004.

ITBP has also excelled in UN peace keeping operation. The Force personnel have been deployed for peacekeeping operations in

Angola, Namibia, Cambodia, Bosnia & Herzegovina, Mozambique and Kosovo. Presently 01 coy of ITBP is deployed in United Nation Mission in Congo since November, 2005. ITBP is also providing security to the pilgrims during Annual Kailash Mansarovar Yatra from 1981. ITBP provides communication, security and medical cover to the yatries from Gunji to Lipulekh Pass and back to Gunji in co-ordination with MEA and Kumaon Mandal vikas Nigam.

The motto of the ITBP "Shaurya Dridhata karmnistha" has always inspired its men in accepting challenges and bringing laurels to the nation and so they are rightly called the "Himveers".

Sashatra Seema Bal(SSB)

SSB is a border guarding force under the administrative control of Ministry of Home Affairs. It was set up in early 1963 in the wake of Sino-Indian War the primary work of SSB was to provide armed support for RAW and to inculcate feelings of national belongingness in the border population and develop their capabilities by consistent motivation., training, development and welfare through various Civic Action Programmes.

Currently It undertakes the daunting task of manning the open borders of Indo-Nepal and Indo Bhutan. The 2450 kms long Indo- Nepal and Indo- Bhutan border is more challenging as the open border not only provides alluring encouragement to traffickers and smugglers but, also offers huge opportunities for militants trained on foreign soil to infiltrate and pose a serious threat to national security. It is extremely difficult to seal the entire border effectively owing to its porosity and visa free regime on one hand and social economic and cultural relationship of bordering countries on the other, but SSB, by virtue of its enormous past experience of working at grass root level in remote areas, is able to muster people's support and cooperation besides physically guarding the border and maintaining its sanctity.

SSB is now spread along the International border across Uttarakhand, UP, Bihar, West Bengal, Sikkim, Assam and Arunachal Pradesh. SSB's present charter of duties is to safeguard the security of assigned borders of India and promote sense of security among the people living in border areas, prevent trans-border crimes, smuggling and any other illegal activities, prevent unauthorized entry into or exit from the territory of India and carry out civic action programme in the area of responsibility.

The importance of internal security is in no way less important than India 's external security. A vibrant Internal Security Doctrine should include the following key elements : Political, Socio-economic, Governance, Police and Security forces, Intelligence, Border Management and Cyber Security. Though maintaining law and order comes under the state list but this tedious task is jointly undertaken by the state police forces along with the able assistance of CAPFs. CAPFs perform multifaceted roles to protect our country from internal and external threats. In recent times the government has acknowledged the importance of CAPFs and government is taking steps for its modernisation which will enable them to work more efficiently. Their pan India presence ensure that their is a sense of peace and harmony among the citizens. For their better functioning the government shall motivate the forces financially and morally. The government shall also strive to cope up with issues like unfriendly neighbours, poverty, unemployment , inequitable growth, increasing communal divide and casteism with sound and full proof strategies. All these together will combine to achieve an efficient internal security standard for India.

भारत का हृदयखण्ड : झारखण्ड

-कृष्णकांत चौबे
मो. 9835511283

झारखण्ड अपने आप में भारत का सबसे अनोखा एवं विलक्षण प्रदेश है। यदि इसे भारत का हृदयखण्ड कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यदि गौर से देखा जाय तो झारखण्ड भारत भूमि के ठीक उसी स्थान पर अवस्थित है जिस स्थान पर मानव शरीर में हृदय अवस्थित होता है – ठीक वाम वक्ष पर। यह भी कितना अजीब पर सुखद संयोग है कि झारखण्ड की आकृति (मानचित्र) एवं मानवीय हृदय की आकृति के मध्य कितनी अधिक साम्यता है। जिस प्रकार से हृदय सम्पूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करके शरीर के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर उन्हें जीवंत रखता है, ठीक उसी प्रकार झारखण्ड भी अपनी खनिज रूपी रूधिर के माध्यम से समूचे देश को ऊर्जा रूपी ऑक्सीजन प्रदान करता है। सम्पूर्ण देश के कुल कोयला भण्डार का लगभग 40 प्रतिशत झारखण्ड के गर्भ में समाया हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की सम्पदाऐं झारखण्ड के गर्भ में समाये हुए है। लोहा, बॉक्साइट, ताँबा, सोना, हीरा, अभ्रख, डोलोमाइट, कायनाइट, सिलेमेनाइट, मालिब्डेनम, मैगनीज, वैनेडियम, बैरीलियम, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, ग्रेफाईट क्या–क्या और कहाँ तक गिनाया जाए और भी न जाने कितनी संपदा अपने दामन में समेटे हुए है झारखण्ड। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला सबसे महत्वपूर्ण राज्य झारखण्ड ही है। इसके अलावे वर्तमान परिदृश्य में महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा जैसे–सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जल शक्ति की असीम संभावना भी झारखण्ड में विद्यमान है।

खनिज संपदा से संपन्न एवं प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित झारखण्ड स्वतंत्रता के पूर्व से ही देश के औद्योगिक विकास का वाहक रहा है। देश के प्रमुख आधारभूत उद्योग झारखण्ड में अवस्थित है, जिन्होंने देश के औद्योगिक विकास को दिशा देने का कार्य किया है। 1907 ई0 में झारखण्ड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी की स्थापना हुई जहाँ से वर्ष 1911 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ। 1924 ई0 में घाटशिला में भारत सरकार द्वारा देश का पहला ताँबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कार्पोरेशन के माध्यम से लगाया गया। वर्ष 1938 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना झारखण्ड के मूरी नामक स्थान पर की गई। स्वतंत्रता के पश्चात भी झारखण्ड में औद्योगीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंदरी में रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना हुई। इसके पश्चात् राँची के हटिया में वर्ष 1958 में सोवियत संघ एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन की स्थापना की गई। एच0ई0सी0 देश का प्रमुख मातृ उद्योग है, जिसने देश के अन्य प्रमुख उद्योगों को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 1964 में सोवियत संघ की सहायता से बोकारो नामक स्थान पर देश का अत्याधुनिक लोहा–इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। इन बड़े उद्योगों के अलावे भी झारखण्ड में सीमेंट, काँच, विस्फोटक, वस्त्र एवं रिफैक्ट्री जैसे कई अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ। वर्तमान समय में झारखण्ड अकेले देश के कुल इस्पात उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत उत्पादित करता है।

इन सबके बावजूद झारखण्ड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और झारखण्ड अभी भी भारत के अल्पविकसित राज्यों में से एक है। भारत के संदर्भ में प्रचुरता के बीच निर्धनता के जिस विरोधाभास की चर्चा की जाती है, वह प्रायः झारखण्ड में भी देखने को मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद यहाँ के लोगों की जीवन दशा काफी हीन है। झारखण्ड की एक–तिहाई से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त है। तेंदुलकर फार्मूले के तहत झारखण्ड में गरीबी का प्रतिशत 36.96 प्रतिशत है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 40.84 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 24.83 प्रतिशत गरीबी है। किन्तु यदि रंगराजन कमिटी की रिपोर्ट को देखा जाए तो स्थिति और भी भयावह दिखाई देती है। रंगराजन कमिटी के अनुसार वर्ष 2011–12 के मूल्यों के आधार पर झारखण्ड में गरीबी का प्रतिशत 42.4 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 45.9 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 31.3 प्रतिशत गरीबी है। गरीबी की

तरह ही झारखण्ड में बेरोजगारी की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। फिफ्त एनुअल इंप्लायमेंट अनइंप्लायमेंट सर्वे 2015–16 श्रम ब्यूरो एवं भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड में बेरोजगारी की दर 7.7 प्रतिशत है। जबकि बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 5 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक हजार व्यक्ति पर झारखण्ड में बेरोजगारों की संख्या 77 है। यह आँकड़ा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः 94 एवं 73 है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण भी झारखण्ड का एक प्रमुख मुद्दा है। खाद्य सुरक्षा का संबंध न केवल भोजन की मात्रात्मक उपलब्धता से है, बल्कि गुणात्मक उपलब्धता से भी है। यदि भोजन की गुणात्मक उपलब्धता की बात की जाए, तो झारखण्ड की स्थिति काफी गंभीर नजर आती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 के अनुसार झारखण्ड की लगभग 67 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से पीड़ित हैं। यह आँकड़ा राष्ट्रीय औसत 55 से काफी अधिक है। राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या 11.4 प्रतिशत है। इसी रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड के 66.8 प्रतिशत नवजात बच्चे माँ के प्रथम गाढ़ा दूध से वंचित रह जाते हैं।

झारखण्ड में शिक्षा की स्थिति भी कमोवेश वैसी ही है जिसे कतई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 66.41 प्रतिशत है, जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 76.84 प्रतिशत एवं स्त्रियों की साक्षरता दर 55.42 प्रतिशत है। इस प्रकार शिक्षा की दृष्टि से झारखण्ड का स्थान देश के निचले राज्यों में आता है। खनिज बहुल राज्य होने के बावजूद झारखण्ड में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि ही है। एन.एस.एस.ओ. (NSSO) की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई, 2012 से जून, 2013 के दौरान झारखण्ड में ग्रामीण जनसंख्या का 59.5 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था, जो इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत 57.8 प्रतिशत से अधिक है। यद्यपि पिछले एक दशक के दौरान झारखण्ड में कृषि विकास की दर संतोषजनक रही है और कृषि उत्पादन भी दो गुणा से अधिक बढ़ा है, परन्तु यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि झारखण्ड की कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है।

अतः मौसमी दशाओं के अनुसार यहाँ के कृषि विकास पर काफी उतार–चढ़ाव दिखाई देता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखण्ड की कृषि विकास दर 9.3 प्रतिशत वार्षिक थी, वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ की कृषि विकास की रफ्तार करीब 8 प्रतिशत रही है। परन्तु वर्ष 2005–06 में जब सूखा पड़ा तब उस वर्ष यहाँ की कृषि विकास दर मात्र 3.6 प्रतिशत थी। वहीं एक अन्य वर्ष 2009–10 में सूखे की स्थिति के कारण विकास दर 6.2 प्रतिशत थी। उसी प्रकार वर्ष 2013–14 में कम वर्षा के कारण खाद्यान्न उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि 2015–16 में अच्छी मानसून के कारण इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार झारखण्ड में कृषि विकास की जमीनी स्थिति को कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह स्थिति राज्य की खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है क्योंकि सूखे की दशा में जब खाद्यान्न की अधिक आवश्यकता होती है, यहाँ के खाद्यान्न उत्पादन एवं विकास दर में गिरावट आ जाती है। भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि झारखण्ड प्रारम्भ से ही देश के औद्योगिक विकास का वाहक रहा है, परन्तु इस औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने यहाँ के लोगों को विस्थापन के माध्यम से बुरी तरह प्रभावित किया है। उद्योग स्थापना के कारण यहाँ के लाखों लोगों को अपने मूल स्थान से हटना पड़ा है। इस विस्थापन का सर्वाधिक दंश यहाँ के आदिवासियों ने झेला है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि विस्थापन के पश्चात कभी भी यहाँ के लोगों का उचित पुनर्वास नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ के भूमिपुत्रों की स्थिति निरंतर खराब होती गई और वे घोर दरिद्रता से ग्रस्त हो गये। यही कारण है कि यहाँ के लोगों के मन में तरह–तरह की शंकाएँ व्याप्त हैं और यदि कभी कोई सकारात्मक पहल होती भी है तो उसे भी शंका की नजर से देखा जाता है। जिस औद्योगीकरण के कारण झारखण्ड में इतना विस्थापन हुआ उसकी स्थिति भी राज्य में संतोषजनक नहीं है। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2015–16 के दौरान झारखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर मात्र 4.22 प्रतिशत रही है। इससे भी बड़ी चिंतनीय बात यह है कि इन 11 वर्षों में 4 वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गयी है। हालांकि स्थिति जैसी दिखाई दे रही है वह एकदम से उतनी विपरीत भी नहीं है। हाल के दिनों में राज्य की आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा कई नीतिगत कदम उठाये गये हैं। कृषि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो डोभा निर्माण, जलनिधि योजना, कृषि क्लीनिक योजना, जनवन योजना (कृषि वानिकी), कृषि सिंगल विन्डो सिस्टम, मछली

पालन को बढ़ावा देने हेतु विजन 2016–21, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रारम्भ की गयी है। इसके अलावा वर्ष 2016–17 से अलग से कृषि बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही नये शीतगृहों के निर्माण, बड़े तालाबों के गहरीकरण के साथ–साथ प्रत्येक पंचायत में किसान पाठशाला का आयोजन किये जाने का प्रस्ताव है। जल संसाधन के कुशल प्रबंधन के लिए 'झारखण्ड सिंचाई आयोग' के गठन के साथ–साथ मृदा स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा "आर्या" नामक एक नई योजना का प्रस्ताव है।

विस्थापन की समस्या के समाधान एवं समुचित पुनर्वासन हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2008 के साथ–साथ झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 तैयार किया गया है। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2016 के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई विशिष्ट नीतियाँ बनाई गई हैं। टूल रूम राँची एवं दुमका के माध्यम से कौशल विकास से संबंधित विभिन्न औद्योगिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदित्यपुर में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर तथा बरही में ग्रोथ सेंटर के रूप में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग द्वारा राँची के एयर कार्गो कंपलेक्स का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही निवेशकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप भूमि आवंटन करने के लिए लैण्ड बैंक बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा उठाये गये इस नीतिगत उपायों के कारण झारखण्ड की स्थिति में सुधार हुआ है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है विश्व बैंक द्वारा जारी इज आफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पिछले दो वर्षों से झारखण्ड का उच्च रैंक हासिल करना। हाल के दिनों में झारखण्ड भारत के एक बेहतरीन निवेश खण्ड के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसकी पुष्टि फरवरी 2017 में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट 'मोमेंटम झारखण्ड' से होती है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वर्षों से ठहरा हुआ झारखण्ड अब धीरे–धीरे विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह रफ्तार और तेज हो, इसके लिए आवश्यक है कि सभी नीतिगत उपायों एवं कार्ययोजनाओं को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारा जाए। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत का हृदयखण्ड–झारखण्ड निकट भविष्य में न केवल स्वयं पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा बल्कि, अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ देश का विकास इंजन भी बनेगा।

भ्रम और संशय युग में राम कालीन मूल्यों की प्रासंगिकता

इस आलेख का प्रस्थान बिन्दु भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के मिथक काल में रामकथा कहने वाले आदि कवि वाल्मीकि, प्राचीन और मध्यकाल में कालिदास तथा गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से समकाल में उन प्रवृत्तियों को ढूंढना है, जिसकी प्रासंगिकता और आवश्यकता आज सबसे अधिक है। समकाल में एक ओर जहाँ सत्य और असत्य के बीच अन्तर को समझना प्रतिक्षण कठिन होता जा रहा है, दूसरी ओर अन्धकार और उजाले की पहचान को लेकर भ्रम और संशय भी बढ़ रहा है। ऐसे में राम की कालजयी कथा और इसके कहने वालों का युग, संभव है हमारी सहायता कर सके।

समकाल में हम तक जो सूचनाएँ पहुँच रही हैं, जिस रूप में पहुँच रही हैं, उसमें किसी तथ्य के सत्य और सार का समझना आसान नहीं है। विभिन्न माध्यमों से प्रतिपल सूचनाओं का विस्फोट हम पर हो रहा है। समाचार पत्र, टेलिविजन चैनल या विभिन्न सोशल साइट्स हमारी आवश्यकता और कमजोरियों को देखते हुए अपने उत्पाद हम तक पहुँचाने के माध्यम बन गये हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन अनेक तथ्य, सत्य–असत्य, कहानियाँ झूठी–सच्ची, हमारे पास आ रही हैं। हम चाहकर भी इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे में अंततः जिस तथ्य–सार पर हम भरोसा करते हैं, वही अक्सर हमें छल रहा है।

धर्म, आस्था–विश्वास और परंपरा के नाम पर हम तक पहुँचने वाली सूचनाओं का वास्तविक लक्ष्य जाने बिना हम एक उन्मादी समाज के रूप में बदलते जा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए बाजार के पंडित और मायावी गुरू तरह–तरह के स्वांग रचकर हमें लुभा रहे हैं। किसी एक प्रांत और देश नहीं अपितु दुनिया के हर देश में कमोवेश यही स्थिति है। लगभग हर देश में नेतृत्व अपने आपको असुरक्षित मान रहा है और अपने नागरिकों को दुनिया का सबसे सुखी प्राणी बनाने के लिये हर संभव उपाय का भरोसा दे रहा है। लगभग प्रत्येक देश में संरक्षणवादी नीतियों की आवश्यकता जतायी जा रही है।

रोजी–रोटी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और सह–अस्तित्व आदिकाल से न केवल हम मानवों बल्कि इस धरती के समस्त प्राणियों की मौलिक आवश्यकतायें हैं, पर ऐसे काल खंड आते हैं जब मानव सहित चर–अचर जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे क्षेत्र पनप जाते हैं, जहाँ न मानव सुरक्षित होता है और ना ही कोई अन्य जीव। घोर संकट काल उत्पन्न होता है जहाँ अन्न, जल, आवास और आत्मरक्षा का संकट हर किसी के सामने होता है। शनैः–शनैः हम धरती के लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या ठीक और क्या नहीं ठीक यानि माया और भ्रम के शिकार हम होते हैं।

पर शुद्ध माया और संभ्रम की ये अवस्था पहली बार नहीं है। ऐसे कालखंड हमारी संस्कृति में अनेक अवसरों पर आ चुके हैं। इनसे उबरने के लिए प्रत्येक कालखंड में नायक आते रहे हैं। श्री राम को ऐसे ही एक नायक के रूप में हम ले सकते हैं और इसका विवेचन समकाल के अतिरिक्त तीन अलग कालखंडों के माध्यम से कर सकते हैं।

इन चारों कालखंड में कुछ प्रवृतियाँ सूत्र रूप में आश्चर्यजनक रूप से एक समान मुझे दीख रही हैं। इन्हें हम आने वाले अंकों में क्रमिक रूप से विवेचित करेंगे। संक्षेप में ये सूत्र इस प्रकार हैं।

1. चर–अचर वृहत लोक उद्धार के लिए समर्पित आदर्श नेतृत्व का अभाव;
2. भय, भ्रम, आपसी विभाजन और दमन से सत्ता अर्जन की प्रवृत्ति;
3. अपने देश, प्रांत और अन्यत्र लगातार युद्ध ग्रस्त अशांत क्षेत्र जहाँ आना–जाना अत्यंत कठिन;
4. अशांति, असहमति, आपसी विद्वेष और घृणा का प्रसार ;
5. स्व धर्म प्रसार और सांस्कृतिक प्रभुत्व के लिये मूल्यहीन संघर्ष;
6. उन्मुक्त स्त्री–पुरूष संबंध और भौतिक भोगवाद का समाज पर दुष्प्रभाव;
7. अभावग्रस्त बहुसंख्यक जनता;
8. संपत्ति और संसाधन का असमान वितरण;
9. मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति और क्षमताओं में ह्रास;

एक–एक कर इन बिन्दुओं पर चर्चा से पहले रामकथा के प्रथम रचनाकार आदिकवि वाल्मीकि और उनके युग पर

विचार करें। वाल्मीकि रामायण को श्री राम का समकालीन मानते हुये लिखा गया है। उनकी कथा उन्हीं के दो पुत्रों कुशीलवों के माध्यम से प्रचारित होती हुई दिखायी गयी है।

कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ।।
तौ राजपुत्रौ कात्स्नर्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम्। वाचोविधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यम् अनिन्दितौ।।
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे। यथोपदेशं तत्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितौ।।
मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुलेक्षणाः।।
साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः। ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः।।
प्रीतः कश्चिमुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ,.....जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः।
यज्ञभाण्डमृषिः कश्चित् काष्ठभारं तथापरः।।
औदुम्बरीं बृसीमन्यः स्वस्ति केचित् तदावदन्। आयुष्यम्परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः।।
वाल्मीकि रामायण–बालकाण्ड सर्ग–4, श्लोक– 5,12,13,15,16,20,21,22,23,24,25।।

कुशीलवों का रामकथा गायन अत्यंत प्रभावकारी था। इसे सुनने वाले भाव विह्वल हो जाते थे। वाल्मीकि के आश्रम में आयोजित विद्वत सभा में पहली बार इस कथा को सुन कर ऋषि मुनि भाव–विभोर हो गये और सबने यथायोग्य दान लव और कुश को दिया।

यहाँ हम राम और लव–कुश के या इस कथा में कहे जा रहे पात्रों के ऐतिहासिक पुरूष होने की सत्यता को लेकर जितने चाहे उतने मत रख सकते हैं। एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, पर हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि

1. राम की कथा लिखने/कहने वाला कोई पहला व्यक्ति था। इन्हें हम वाल्मीकि मान सकते हैं। इनका कालखंड भारतीय इतिहास का मिथक कालीन युग माना जा सकता है।
2. इस कथा को गाने वाले एक से अधिक व्यक्ति हुए। लव और कुश प्रथम गायक द्वय थे।
3. लेखक के अपने जीवन काल में ही यह कथा लोगों के मन को विह्वल कर देने वाली गेय कथा के रूप में प्रसिद्ध हो गयी।
4. कुशीलव के माध्यम से पहली बार गायी हुई यह राम कथा आदिकाल से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है।
5. राम की कथा और इनसे जुड़े तीर्थ अब तक भारतीय जन जीवन में प्रासंगिक बने हुए हैं।
6. इसका प्रसार भारत के बाहर अनेक देशों में भी हुआ।
7. यह कथा आज भी किसी न किसी रूप में दुनिया के अनेक देशों में धार्मिक मत परिवर्तन के बावजूद सांस्कृतिक रूप से जीवन में रची बसी है।
8. राम कथा के रूप, कथ्य और शिल्प में अमरता के बीज मौजूद हैं, जो हर युग में इसे प्रासंगिक बनाये रखते हैं।
9. इस कथा के वाचन/मंचन से अनेक लोगों की आजीविका चलती है और सुनने–समझने वालों का इहलोक सुखद, संतृप्त होता है।
10. इसके प्रथम गायक कुशीलव को सत्यवादी ऋषि मुनि से प्रभूत दान और आशीर्वाद मिला था। यह क्रम आज तक जारी है।

आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस तरह वाल्मीकि कुशीलवों को रामकथा के गायन से अपार यश और साधुवाद के साथ ऋषियों से उपहार प्राप्त होने की जानकारी देते हैं, ठीक इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरित मानस की प्रस्तावना, मंगलाचरण में घोषणा करते हैं, लोकभाषा में लिखा यह ग्रंथ नानापुराण निगम आगम श्रुति स्मृति और शास्त्र सम्मत वचनों से ओत–प्रोत है, तथापि यह केवल स्वान्तःसुखाय लिखा गया है। जो इस पर भरोसा करेगा और राम गुण गायेगा उसे राम की भक्ति मिलेगी और त्रिविध दोष दुःख दारिद्रय दूर होंगे।

रामचरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवण पाइअ विश्रामा।।
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन।।
जों एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता।।
होइहहिं राम चरण अनुरागी। कलि मल रहित सुमंगल भारी।।
जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे।।
सदा सुनहिं सादर नर नारी। तेइ सुरवर मानस अधिकारी।।
(बालकाण्ड श्री रामचरित मानस)

रामचरित मानस की कथा सोच समझ कर कहने वालों की आजीविका आज भी किस रूप में दुनिया भर में चल रही है यह हम आप सभी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण की तरह यह ग्रंथ भी रचनाकार के अपने जीवनकाल में अपार लोकप्रिय हुआ था। बिना किसी कारोबारी समूह के प्रयासों के दुनिया भर में सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल करने वाले पुस्तकों में से एक श्री रामचरित मानस को आज भी माना जाता है।

24 हजार श्लोकों में निबद्ध वाल्मीकि रामायण को राम कथा का आधार ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में अनेक पुराणों/ग्रंथों में स्वीकार किया गया है। हमें वाल्मीकि को रामकथा कहने वाले पहले व्यक्ति के रूप में और भारत के ऐतिहासिक पुरूष के रूप में स्वीकार करना ही होगा। इन्हें हम मिथक–कालीन भारत का ऐतिहासिक प्रतिनिधि मान सकते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिये कि वाल्मीकि को भले मिथक–कालीन युग का माना जाये पर इनके आश्रमों की श्रृंखला प्राचीन काल से लेकर अब तक अपने अस्तित्व में बनी रही है। राम कथा और उनके तीर्थों पर विगत चालीस वर्षों से शोध करने वाले डॉ. रामअवतार अपने ग्रंथ In the footsteps of shree Ram में वाल्मीकि के ऐसे अनेक आश्रमों की जानकारी देते हैं, जहाँ श्री राम और वाल्मीकि की भेंट हुई थी।

डॉ. रामअवतार द्वारा चिन्हित स्थानों के अलावा भी देश भर में अनेक स्थानों पर वाल्मीकि ऋषि के प्राचीन आश्रमों की जानकारी हमें मिलती है। वाल्मीकि के इन आश्रमों का दर्शन तीर्थ रूप में करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस तरह वाल्मीकि और उनका युग समकाल की प्रवृत्तियों के आकलन के लिए हमारा पहला कालखंड है।

आइये, अब हम कालिदास के रघुवंशम् के आधार पर उनके युग को समझने का प्रयास करें। कालिदास की तिथि को लेकर इतिहासकारों के बीच अनेक मत है। हर मत प्रवर्तक के अपने तर्क हैं। इन तर्कों के आधार पर कालिदास को ईसा पूर्व दो सौ वर्ष पहले से ईसा के बाद सातवीं सदी तक का माना जाता है। हम प्रत्येक के मत को अंगीकार करते हुए कालिदास के कालखंड को मिथक युग के बाद और इस्लाम के भारत आगमन से पहले मान लें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह हमारे आकलन का दूसरा कालखंड होगा।

तीसरा कालखंड हम तुलसीदास और इस्लाम के आगमन से लेकर प्रचार–प्रसार और वैभव शिखर पर पहुँचने तक का ले सकते हैं। ये लगभग पाँच–छः सौ वर्षों का कालखंड है जब एक ओर इस्लाम प्रचंड वेग के साथ भारत में आगे बढ़ रहा था और गैर इस्लामिक धर्म तथा इनके विभिन्न सांप्रदायिक मतों के बीच अपने सिमटते जा रहे प्रभुत्व को लेकर संघर्ष छिड़ा था।

इस तरह मिथक कालीन भारत के प्रतिनिधि वाल्मीकि, प्राचीन भारतीय कालखंड के प्रतिनिधि कालिदास और मध्यकालीन भारत के प्रतिनिधि तुलसीदास की काल अवधि को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चौथा कालखंड हम समकालीन ले सकते हैं। इन चारों कालखंड में आश्चर्यजनक समानता हम पाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है चर–अचर, वृहत लोक उद्धार के लिए समर्पित आदर्श नेतृत्व का अभाव सभी कालखंडों में समान रूप से होना ।

आदर्श नेतृत्व का संकट मिथक काल के त्रेतायुग ही नहीं अपितु कालिदास के प्राचीन भारत, तुलसीदास के मध्य कालीन भारत और इक्कीसवीं सदी यानि हमारे युग में भयावह रूप से सामने खड़ा है। आश्चर्यजनक और दुखद सत्य यह है कि ये संकट न केवल भारत या भारतीय उपमहाद्वीप अपितु पूरी दुनिया का है।

क्या समकालीन समय में भारत में या विश्व के किसी देश में कोई ऐसा शिखर नेतृत्व है, जो मनसा वाचा कर्मणा अपनी सीमा के अधीन चराचर लोक और समाज के हर वर्ग समूह के लिये एक समान दृष्टि और नीति

रखता हो ?

मिथक--कालीन भारत में रामकथा के गायक वाल्मीकि, दशरथ को महान सम्राट और उसकी राजधानी अयोध्या को अति सुरक्षित कहते हैं। पर यह महान सम्राट भी अपने जनपद से कुछ दूरी पर अवस्थित राक्षसों का सामना करने में असमर्थ है। इसीलिए विश्वामित्र द्वारा अपनी यज्ञ रक्षा के लिये राम की माँग और राक्षसों के साथ राम के संघर्ष की आशंका जानकर भयभीत हो गया।

रघुवंशम् रचनाकार कालिदास सर्वकालीन श्रेष्ठ शासकों की नीति की घोषणा करते हुए मानो अपने महान ग्रंथ की प्रस्तावना पाठकों के सामने रखते हैं,

त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्।
यशसे विजिगीषुणां प्रजायै गृहमेन्धिनाम् ।।1.7। रघुवंश।।
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्।
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ।। 1.8 । रघुवंश।।

प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रतिनिधित्व करने वाले कालिदास शासकों का कर्तव्य प्रजाहित के लिये त्याग और सत्य का अनुरागी मानते हैं। कोरे वायदे करने वाले नहीं अपितु सत्यतः लोक उपकार के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ होने की अपेक्षा नेतृत्व से रखते हैं। राजा ऐसा हो जो किशोरावस्था में विद्यार्जन करे, यौवन का आनन्द ले, पर आयु बढ़ने के साथ मुनि वृत्ति अपना कर शासन सूत्र उत्तराधिकारी को सौंप दे।

आयु बढ़ने पर राजा को भोग लिप्सा छोड़कर अपनी युवा पीढ़ी को उत्तराधिकार अपने जीवनकाल में ही सौंपने का आदर्श वाल्मीकि रामायण और रघुवंशम् दोनों ग्रंथों में मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस आदर्श को क्रमिक रूप से दर्शाया गया है। रघुकुल ही नहीं अपितु अन्य राजवंशों में भी ऐसा चलन था। विशेष द्रष्टव्य है वाल्मीकि रामायण में बालकाण्ड का धनुष भंग प्रसंग जहाँ मिथिला के राज पुरोहित गौतम पुत्र शतानीक विश्वामित्र का परिचय विस्तार से देते हैं। रघुवंशम् में भी रघुकुल के अनेक राजाओं का उदाहरण उपलब्ध है, जिन्होंने शासनसूत्र उत्तराधिकारी को सौंपकर मुनि वृत्ति अपनाया है। पर संप्रति दुनिया के किसी देश में कोई शासक इस नीति पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है ?

भारतीय उपमहाद्वीप का उदाहरण लें या पड़ोसी चीन अथवा यूरोप के रूस और जर्मनी या फिर सुदूरवर्ती अमरीका, दुनिया के सभी भू-भाग में अपनी आयु की अंतिम अवस्था तक सत्ता में बने रहने की प्रवृत्ति आज हम शिखर नेतृत्व में पा रहे हैं। भौतिक उपलब्धियों के प्रति हद से अधिक मोह और देहसुख में डूबे रहने की सोच हर जगह व्याप्त है। सत्ता त्याग की सोच कहीं नहीं है।

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मिथक--कालीन भारत में रावण और उसके राक्षस समाज के लोगों की यही भोगवादी जीवन शैली थी, जिसके विरूद्ध श्री राम का संघर्ष हुआ। क्या यह केवल संयोग की बात है कि आदर्श राजा के तपोमय सत्य पर आधारित रघुवंशम् नायकों की जीवन गाथा से शुरूआत करने वाले रघुवंशम् लेखक कालिदास रघुकुल के अंतिम राजा अग्निवर्ण को कामुक, लंपट और भोगवादी जीवन शैली के कारण मृत्यु का शिकार हुआ दिखाते हैं ?

ध्यान रहे कालिदास प्राचीन भारत के कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके कालखंड में भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। यवन सिकंदर का आक्रमण, हुण और मंगोल सहित अनेक संस्कृतियों की पैठ भारतीय समाज में होने लगी थी। ऐसे में आदर्श राजा के रूप में रघुकुल के अनेक नायकों की गाथा कहने के बाद एक कामुक और लंपट राजा की मौत के माध्यम से रचनाकार क्या संदेश देना चाहता है ? क्या रघुवंशम् का यह संदेश समकालीन भारतीय अथवा अन्य किसी भी देश के शिखर नेतृत्व पर लागू नहीं होता दिख रहा, जहाँ लोग मुँह में नकली दाँत और पेट में कृत्रिम आँत के सहारे यौवन भोगने के उपायों में लगे हैं ? कालिदास से पहले वाल्मीकि ने भी रावण के रूप में जिस चरित्र का वर्णन किया वह महान पंडित होते हुए भी परले सिरे का कामुक, देहसुख भोगने में विश्वास रखने वाला भौतिकवादी था। शूर्पनखा, ताड़का जैसी अनेक नारियाँ ही नहीं, अपितु इस समाज के पुरूष भी बल विक्रम से स्वेच्छाचारी जीवन के आदी थे। डॉ. रामअवतार अपने शोध ग्रंथ में शूर्पनखा और ताड़का के अलावा अनेक ऐसी नारियों और पुरूष के उदाहरण देते हैं, जिनकी जीवनशैली को राम ने परिवर्तित किया। ये स्थल आज भी तीर्थ के रूप में विद्यमान हैं।

हमें याद रखना चाहिए किसी भी रचनाकाल के अपने समय की छाप उसकी कृतियों में अवश्य होती है। आदि कवि वाल्मीकि के रामायण में रावण और शूर्पनखा या कालिदास के रघुवंशम् में रघुकुल के अंतिम राजा के रूप में अग्निवर्ण का उल्लेख एक पतनशील व्यवस्था की ओर अग्रसर समाज का चित्र है। विशेष रूप से कालिदास मानो चेतावनी दे रहे हों कि राक्षस कुल ही नहीं रघुकुल के वंशज भी पतन के शिकार हो सकते हैं राम–राम की रट लगाने वाली रसना भी पतित हो सकती है, भजन में लीन रहने का स्वांग रचने वाले संन्यासी भी लंपट साबित हो सकता है।

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ठीक यही स्थिति मध्यकालीन भारत में भी थी और तुलसीदास कह रहे थे, गोरख जगायो, जोगु भगति भुलायो लोग, निगम नियोगतें सो केलि हि छरो सो है।। कवितावली।। तुलसीदास ।।

दरअसल जब योग का उद्देश्य जब केवल योग भगाये रोग हो जाता है, तो यम नियम और संयम की आवश्यकता नहीं रह जाती। हर किसी को देहभोग ही पावन उद्देश्य लगने लगता है। कवितावली में कहते हैं तुलसीदास

जागे जोगी जंगम, जती जमाती ध्यान धरैं। डरैं उर, भारी लोभ, मोह, कोह कामके।।
जागैं राजा राज काज, सेवक समाज, साज। सोचैं सुनि समाचार, बड़े बैरी बामके।।
जागैं बुध बिद्या हित पंडित चकित चित। जागैं लोभी लालच धरनि, धन धामके।।

ये पंक्तियाँ मध्यकालीन भारत की हैं, जब इस्लाम अपने दम पर शिखर की ओर बढ़ रहा था या आज के भारत की। जब हर टेलिविजन चैनल पर योगा गुरू योग बेचने, संत शिरोमणि अपना माल हमारे घर तक पहुँचाने और ज्योतिषियों का मायाजाल हमें बुध, बृहस्पति और शनि के संकेतों को समझाने में लगा है।

दरअसल इस्लाम के आगमन और प्रसार के बाद क्रमिक रूप से संस्कृत भाषा और हिन्दू धर्म का अवसान शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले संस्कृत के राजकीय संरक्षण और प्रचार–प्रसार पर गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व अनेक सदी पहले कठोर प्रहार किया था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लोकभाषा में आम जन तक सरलता से पहुँचाकर धर्म के खेल नियमों को पूरी तरह बदल दिया था। पर कालक्रम में पुनः संस्कृत भाषा का राजकीय संरक्षण और सनातन धर्म का वैभव अपने मूल रूप में लौट आया। स्वयं बुद्ध के उत्तराधिकारियों ने संस्कृत भाषा और सनातन हिन्दू धर्म के उन तत्वों को अपना लिया जिनके विरूद्ध गौतम बुद्ध ने संघर्ष किया था। संस्कृत पुनः राज काज और विभिन्न राज सत्ता के संचालकों के बीच आपसी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गयी थी। कालिदास इसी संस्कृत गौरव काल के अप्रतिम रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने समाज में आदर्श मूल्यों की स्थापना के लिए रघुवंशम् की रचना की। पर इस महागाथा के समापन में अग्निवर्ण रघुकुल का होते हुए भी कंचन कामिनी के मायाजाल में फँसा है। मंत्रियों की राय से कोई मतलब नहीं है। अपने राग–रंग में लीन राजा राय मशविरा के लिए मंत्रियों के आने पर अपने कक्ष की खिड़कियों से बाहर केवल अपना पाँव दिखा कर राज काज चलाने का संदेश देता है:–

कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु मृदङ्गनादिषु ।
ऋद्धिमन्तं अधिकर्द्रुतरः पूर्वं उत्सवं अपोहदुत्सवः।। रघुवंश 19.5।।
इन्द्रियार्थपरिशून्यं अक्षमः सोढुं एकं अपि स क्षणातरं।
अन्तरे च विहरन्दिवानिशं न व्यपैक्षत समुत्सुकाः प्रजाः ।। रघुवंश 19.6 ।।
गौरवाद्यदपि जातु मन्त्रिणां दर्शनं प्रकृतिकाङ्क्षितं ददौ।
तग्दवाक्षविवरावलम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितं ।। रघुवंश 19.7।।

अग्निवर्ण का अपने मंत्रियों को अपने चरण दिखाना राम जी की उस पादुका से तुलनीय है, जिसे अपने सर पर उठाकर भरत जी ने उसे राजगद्दी पर आरूढ़ कर 14 वर्षों तक राज्य चलाया था।

कालिदास ने जीवन में आदर्श से अलग होने पर शिखर नेतृत्व के अभाव में राज्य की दिशा और दशा अंधकारमय होने की भविष्यवाणी की । यह भविष्यवाणी आज के समाज पर भी यथावत लागू होती है।

आठवीं सदी में शंकराचार्य के उदय के बाद क्रमिक रूप से बौद्ध धर्म भारत से सिमटने लगा और हिन्दू धर्म अपने मूल रूप में वापस लौट रहा था कि इस्लाम की आंधी ने इसके अंग प्रत्यंग को तोड़ मरोड़ कर उखाड़ना शुरू कर दिया। हिन्दू धर्म की अवशेष धाराओं को संगम रूप में समाहित कर रामभक्ति के माध्यम से एक प्रबल धार के रूप में बदलने के लिये गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस की रचना की।

गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस ही नहीं, अपितु अनेक अन्य रचनाओं के माध्यम से अपनी पीड़ा विविध रूप में बार–बार जताते हैं। त्रिविध ताप हरण का मार्ग भी समझाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना यहाँ समीचीन होगा, जो तत्कालीन भारत ही नहीं अपितु वर्तमान भारत और विश्व की दशा का वर्णन करने के साथ मिथक कालीन वाल्मीकि और प्राचीन भारत के कालिदास के अशांत युग का भी वर्णन करने में असमर्थ हैं:–

खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि,
बनिक को बनिज न, चाकर का चाकरी
जीविकाविहिन लोग, सीद्यमान सोच बस
कहैं एक एकन सौं कहाँ जाइ का करी ?
कवितावली.... तुलसीदास

तुलसीदास की ये पंक्तियाँ हमारे आज के भारत की स्थिति दर्शा रही हैं या मध्यकालीन भारत की, ये कथा आज के समृद्ध दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमरीका की है या चीन की या फिर यूरोप के किसी देश की ?

ध्यान रहे दुनिया के सभी देशों के विचारशील बुद्धिजीवी एक ही तथ्य अपने–अपने तरीके से कह रहे हैं शिखर नेतृत्व दिशाहीन है। हमारी कथनी और करनी में बड़ा अंतर आ गया है। संपत्ति का एकत्रीकरण गिने चुने मुट्ठी भर लोगों में हो रहा है। बहुसंख्यक लोग दिनों दिन गरीब हो रहे हैं। यह आर्थिक विषमता बड़े संकट और जन विप्लव का कारण बनेगी। समाज में मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मूल्यहीन समाज आपसी संघर्ष में नष्ट होगा। मूल समस्या ये है कि शिखर नेतृत्व आज दिशाहीन है। चर अचर लोक के संरक्षण के प्रति चेतना और दूर–दृष्टि का घोर अभाव है।

अमरीका हो या चीन, रूस या जापान, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी या फिर भारत, शिखर नेतृत्व की ये दिशाहीनता बहुआयामी विकट संकट की ओर धरती को धकेल रही है। क्या ऐसे में राम और उनके जीवन मूल्यों को फिर से अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता आपको नहीं लग रही ?

मनोज पाठक
मो. 9013801957, 9810325390
ए-501, सबका घर एपार्टमेंट,
प्लाट सं. 23, सेक्टर 6 द्वारका
नई दिल्ली 110075
E-mail.: manoj.dsb@gmail.com

स्थापना दिवस समारोह, 2017

मिथिलेश कुमार मिश्र
संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची

22 नवम्बर, 2017 झारखण्ड विधान–सभा के लिए एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में स्मरण करने योग्य दिवस है, जब झारखण्ड विधान–सभा ने अपने 17 वर्षों का सफर तय कर 18वें वर्ष में प्रवेश किया। उक्त अवसर साक्षी हैं उस गरिमामयी क्षण का जब कार्यक्रम का उद्घाटन करने हेतु माननीया राज्यपाल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई थीं। झारखण्ड विधान–सभा परिसर में माननीया राज्यपाल का स्वागत उर्सलाईन कॉन्वेन्ट की रंगीन परिधान में सुसज्जित छात्राओं द्वारा बैण्ड धुन पर किया गया। तत्पश्चात् जैप के जवानों द्वारा राष्ट्र धुन बजाकर राष्ट्रगान से माननीया का स्वागत हुआ। सम्पूर्ण परिसर में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण स्कूली छात्राओं के बैण्ड धुन पर राष्ट्र भक्ति की भावना से विभोर हो रहे थे।

पुनः जैप के जवानों द्वारा माननीया राज्यपाल को सलामी दी गयी। सलामी गारद के निरीक्षण के पश्चात 17वें वर्षगाँठ के अवसर पर सम्मानित अतिथिगण, माननीया राज्यपाल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय, उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए चयनित श्रीमती विमला प्रधान, माननीय विधान–सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश उराँव तथा सभा सचिव श्री बिनय कुमार सिंह मंचासीन हुए। उक्त अवसर पर डी0ए0वी0, हेहल के छात्र–छात्राओं द्वारा मंचासीन अतिथियों एवं कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथियों के स्वागत में स्वागतगान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती शशि एवं श्री मिथिलेश कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से किया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मंचासीन अतिथि माननीया राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सहित उक्त अवसर हेतु चयनित उत्कृष्ट विधायक श्रीमती विमला प्रधान को पुष्प गुच्छ प्रदान कर अभिनन्दन किया गया। वहीं प्रभारी सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।

भारतीय परम्पराओं में किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आरम्भ सम्मानित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ही सम्पादित करने की परम्परा रही है। इसी परम्परा का निर्वहन करते हुए झारखण्ड विधान–सभा के 17वें वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त रूप से माननीया राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधान–सभा अध्यक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीया सदस्य, श्रीमती विमला प्रधान तथा सभा सचिव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत् शुभारम्भ किया गया। उक्त अवसर पर उद्घोषक द्वारा मंत्रों के उच्चारण से सम्पूर्ण परिसर आह्लादित हो गया।

असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योर्तिगम्य,
मृत्योर्मामृतम गमय।

माँ असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस आह्वान के साथ जागृत हुए दीपक की लौ में ऊजाले की नये किरण की आस में झारखण्ड विधान–सभा ने अपने 18वें वर्ष की पायदान पर प्रथम कदम रखा।

सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए **माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, श्री दिनेश उराँव** ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में मंचासीन अतिथियों सहित उक्त पावन अवसर पर उपस्थित समस्त मंत्रीगण, विधान–सभा के सम्मानित सदस्यगण, राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभा सचिवालय के समस्त पदाधिकारी सहित गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि आज विधान–सभा का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर हम आज से विधान–सभा के कार्यकाल के 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान हमने 17 बसंत तो 17 पावस और पतझड़ भी देखे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आरसी प्रसाद जी की पंक्तियाँ याद आती हैं, जिसमें जीवन की तुलना झरने से करते हुए कहा गया है:–

"यह जीवन क्या है ? निर्झर है
मस्ती ही इसका पानी है
सुख–दुःख के दोनों तीरों से,
चल रहा राह मनमानी है।"

तो दूसरी ओर सुमित्रानन्दन पंत की पंक्तियाँ जीवन के मर्म को उद्घाटित करती हैं।

"मैं नहीं चाहता चिर सुख,
मैं नहीं चाहता चिर दुःख,
सुख दुख की खेल मिचौनी,
खोले जीवन अपना मुख।
सुख–दुःख के मधुर मिलन से,
यह जीवन हो परिपूरण ।"

आज की इस मधुर बेला में हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 82 विधायकों के इस विधान–सभा के 69 सदस्यों में से किसी एक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित करना निःसंदेह एक कठिन काम है। झारखण्ड विधान–सभा 2001 से उत्कृष्ट विधायक सम्मान समारोह आयोजित करती आ रही है। सर्वप्रथम विपक्ष के माननीय सदस्य विशेश्वर खाँ को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। आज तीसरी बार लगातार तीसरे वर्ष इस सम्मान समारोह में भाग लेने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। वर्ष 2015 में प्रतिपक्ष के श्री प्रदीप यादव एवं वर्ष 2016 में वरिष्ठ सदस्य श्री स्टीफन मरांडी को सम्मानित किया गया था।

इस वर्ष बिरसा मुण्डा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में इस विधान–सभा की अत्यंत शालीन एवं मृदुभाषी सदस्या श्रीमती विमला प्रधान को चुना गया है, जिन्हें पक्ष एवं विपक्ष दोनों में रहने का अनुभव प्राप्त है। साथ ही वे मंत्री पद को भी सुशोभित कर चुकी हैं। इसके बावजूद इनकी सहजता, सादगी, शालीनता बरबस ही सबका ध्यान आकृष्ट कराने में सक्षम है। हरेक माननीय सदस्य में इस गुण का होना अत्यंत ही वांछित माना जाता है ।

हमारे समाज में नारी को अत्यंत ही उच्च स्थान प्राप्त है। नारी की छवि सदैव ही ममता की मूरत एवं शक्ति, विद्या, धन के स्रोत के रूप में ही हमारे मानस पटल पर छायी रहती है। तभी तो हम धरती को माता के रूप में संबोधित करते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता का वास होता है। विधान–सभा भी लोकतंत्र का एक मंदिर के समान है और इसे मंदिर तभी माना जाएगा, जब यहाँ नारी का सम्मान हो, उसका आदर हो । मैं अपनी ओर से कोटि–कोटि बधाई देना चाहूँगा आज के इस समारोह में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयनित श्रीमती विमला प्रधान जी को और साथ ही साथ, चयन समिति के सभी माननीय सदस्यों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ।

झारखण्ड विधान–सभा में 2001 से ही विधान–सभा कर्मियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था है। पूर्व में झारखण्ड विधान–सभा के तीन कर्मियों का चयन कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट कर्मी पुरस्कार के निमित्त की जाती थी, लेकिन इस वर्ष से 5 कर्मियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है।

इस अवसर पर विधान–सभा के संयुक्त सचिव, श्री तेजनारायण पाण्डेय, जन सम्पर्क पदाधिकारी, श्री गुलाम मो0 सरफराज, प्रतिवेदक, श्री अभिराम चन्द्र मजुमदार, सहायक, श्री बुद्धदेव यादव एवं चालक, श्री कृष्णा उराँव को पुरस्कृत करने का चयन समिति ने निर्णय लिया है। इन्हें माननीय मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

चतुर्थ झरखण्ड विधान–सभा का तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा होने ही वाला है । इस दौरान विधान–सभा ने कतिपय नए प्रयोग किए हैं, जो आप सबके सहयोग से सर्वथा सफल रहे हैं। लोकसभा की तर्ज पर विधान–सभा में भी विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग का गठन किया गया है। इस अवधि में प्रथम राज्य स्तरीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किया गया । इसके अतिरिक्त माननीय विधान–सभा सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं संविधानविद्, श्री सुभाष कश्यप एवं श्री जी.सी. मल्होत्रा प्रशिक्षक के रूप में सम्मिलित हो चुके हैं। जी.एस.टी. की बारीकियों से तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विधान–सभा सदस्यों को अवगत कराया गया है।

कार्यपालिका की श्रेणी–2 एवं 3 के कर्मी सहित विश्वविद्यालय के छात्रों को भी विधायिका के गूढ़ पहलुओं से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रशिक्षक के रूप में बिहार विधान–सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री देवेन्द्रनाथ चाम्पिया सहित झारखण्ड विधान–सभा के तीन वरीय पदाधिकारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी सेवा दी है। प्रशिक्षक तैयार करने एवं प्रशिक्षु को

विधान–सभा के प्रावधानों से रू–ब–रू कराने की दिशा में विधायी शोध–संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। हमने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी का व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया है, जो बालश्रम, दासता, अशिक्षा, बाल–शोषण, मानव तस्करी से मुक्ति के उद्देश्य से आयोजित की गई। ''सुरक्षित बचपन–सुरक्षित भारत'' विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम के माध्यम से विधान–सभा में पहली बार किसी नोबेल पुरस्कार विजेता का व्याख्यान आयोजित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता को अपने साथ पाना हमारे माननीय सदस्यों के लिए एक अत्यंत ही सुखद अनुभव था ।

विधायी जीवन में अनुशासन और शालीनता का अत्यंत ही महत्व है। कार्यपालिका एवं नौकरशाही की निरंकुशता तथा न्यायपालिका का अतिशय हस्तक्षेप चिंता का विषय है।

देश एवं राज्य के नीति निर्धारण की जिम्मेवारी सांसदों एवं विधान–सभा में बैठे हमारे माननीय विधायकों पर है, जिन पर सम्पूर्ण देशवासियों की नजर रहती है। ऐसा तभी संभव है जब हमारे माननीय सदस्यगण संविधान के समस्त प्रावधानों से अवगत हों। प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन के नियमों का उन्हें ज्ञान हो, तभी वे जनता की समस्या सदन के समक्ष मजबूत ढंग से रख सकेंगे और उनका प्रभावी समाधान, प्रभावी हल खोजा जा सकेगा। आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से सम्मान के निमित्त झारखण्ड आन्दोलन के आन्दोलनकारी के रूप में लाल रणविजयनाथ शाहदेव जी, पद्मश्री से विभूषित बलवीर दत्त जी, मुकुन्द नायक जी का सम्मान भी यहाँ होना है और साथ ही वैसे वीर सपूत, जिन्होंने मातृभूमि के मान के लिए अपनी शहादत दी है, उन शहीदों के निमित्त उनके परिवार के सदस्यों को तथा जो देश की सीमावर्ती क्षेत्र और आन्तरिक सुरक्षा में लगे जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को आज सम्मानित करने का यह शुभ अवसर है। आज राज्य की सर्वोच्च पंचायत के प्रतिनिधियों से हमारी गुजारिश है कि वे जनता की भावनाओं के अनुरूप आचरण करें, जो सदन की गरिमा के सर्वथा अनुकूल हो । जय हिन्द, जय झारखण्ड, जोहार। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान–सभा के स्वागत भाषण के उपरान्त **माननीया राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी** के कर कमलों द्वारा **उत्कृष्ट विधायक सम्मान** के लिए चयनित माननीय सदस्या **श्रीमती विमला प्रधान** को शॉल एवं स्मृति चिन्ह सहित प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। **माननीय सदस्या के सम्मान** के दौरान उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए उद्घोषणा के क्रम में बताया गया कि माननीय सदस्या **श्रीमती विमला प्रधान** पहली बार वर्ष 2009 में तृतीय विधान–सभा में सिमडेगा विधान–सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आयी थीं और लगातार दूसरी बार चतुर्थ विधान–सभा में 2014 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। राजनीति में आने से पूर्व वर्ष 1989 से ही श्रीमती प्रधान समाजसेवा से जुड़ी रही हैं और भा.ज.पा. में 1994 में आईं।

उत्कृष्ट विधायक को सम्मानित करने के उपरान्त समस्त मंचस्थ अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह एवं शॉल प्रदान कर परम्परानुसार सम्मानित किया गया।

राज्यपाल महोदया के साथ–साथ माननीय मुख्यमंत्री, विधान–सभा अध्यक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति से गरिमायुक्त मंच से उक्त अवसर पर सभी सम्मानित अतिथियों के कर कमलों द्वारा झारखण्ड विधान–सभा की **विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग** द्वारा प्रकाशित दो महत्वपूर्ण पुस्तकों यथा: **त्रैमासिक पत्रिका ''उड़ान''** तथा **''वित्त मंत्री का बजट भाषण''** जिसमें वर्ष 2000 से 2014 तक के बजट भाषण संकलित हैं,'' का विमोचन किया गया।

इसके उपरान्त झारखण्ड की प्रेरणास्रोत **माननीया राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू** ने उपस्थित विद्वतजनों का आह्वान करते हुए अपने उद्गार व्यक्त किये। उद्बोधन के क्रम में माननीया राज्यपाल ने बताया कि झारखण्ड राज्य के गठन का उद्देश्य था कि राज्य के विकास की गति तेज हो और विधि व्यवस्था अधिक सशक्त हो। इन सत्रह सालों में यह कार्य करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी हम लक्ष्य से दूर हैं। हमें उस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना है तथा सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना है एवं **सशक्त एवं समृद्ध झारखण्ड** की स्थापना करना है। ऐसा होगा तब ही झारखण्ड राज्य के गठन का जो उद्देश्य था वह पूर्ण हो सकेगा। इस अवसर पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगी कि निश्चित रूप से झारखण्ड विधान–सभा में इन सत्रह वर्षों में राज्यहित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं एवं जनहित के समस्याओं के निदान एवं राज्य के विकास की दिशा में कई सफलताएं भी अर्जित की गई हैं, लेकिन उस

गति को हम सभी को दलगत भावना से उपर उठकर और तेज करने की आवश्यकता है। आज का यह स्थापना दिवस हम सभी के लिए अपनी कमजोरियों का विश्लेषण एवं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का दिन है। साथ ही साथ, अपने कमियों पर भी मंथन एवं चिन्तन करने की आवश्यकता है।

विधान–सभा राज्य की सबसे बड़ी पंचायत होती है, इस परिप्रेक्ष्य में राज्य के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि जनता अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि का चयन बहुत अपेक्षा, आशा और विश्वास के साथ करती है। एक प्रतिनिधि उनके समस्याओं को निराकण करने एवं क्षेत्र के विकास करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। देश व राज्य के विकास की गति के लिए संसद, विधान मंडल एवं विधान–सभा को ही जिम्मेदार माना जाता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए है। इसमें जनता की अपेक्षा अधिक से अधिक पूरा करने की भूमिका विधान–सभा की ही है। वर्तमान दौर में जनता यह देखती और चिन्ता करती है कि अन्य राज्यों में जनता के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना संचालित हो रही है। इसका क्या प्रभाव हुआ है और इसको अपने यहाँ अपनाने की अपेक्षा करती है। इसलिए हमारे विधायकों को भी इस मामले में सचेत रहना चाहिए। उन्हें अपने यहाँ संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ अन्य प्रदेशों में संचालित अन्य योजनाओं से भी अच्छी तरह अवगत होना चाहिए। विधान मंडल को सदैव सचेष्ट रहना है कि जनहित हेतु आवश्यकताएं क्या है, उनकी समस्याएँ क्या है, ताकि उनके अनुरूप नीतियाँ बनाई जा सके। जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं को, जनता की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से जानकर उन्हें सुविधा प्रदान करनी है। इस दिशा में सक्रिय रहने की आवश्यकता है। उन्हें अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी होगी तथा लोगों में अच्छी तरह से पेश आना होगा। अगर किसी कार्य में कोई कठिनाई आ रही है तो जनता को उस जटिलताओं से अवगत कराना होगा। जनता अपने जनप्रतिनिधि को ईमानदार समझे ऐसा माहौल बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी राष्ट्र को रामराज्य बनाने का सपना देखा करते थे। हम सब भी कहीं न कहीं राम राज्य के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन राम राज्य के सपनों को साकार करने की दिशा में जनप्रतिनिधि, जनता और पदाधिकारी एवं कर्मी का ईमानदार होना बहुत आवश्यक है।

मैं विधान–सभा के सदस्यों से कहना चाहूँगी कि सदन के समक्ष कई रूल–रेगुलेशन पारित करने हेतु लाया जाता है, तो गंभीरतापूर्वक उसका अध्ययन करें और उसी दिशा में चिन्तन मंथन करके अपने आप को उसके लिए तैयार करें। इसके लागू होने से जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी चिन्तन करें, तभी आप जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। सदन में बेहतर ढंग से वाद–विवाद हो, सबकी बात सुनी जाए। ऐसा न हो कि कोई सदस्य कोई मुद्दा सदन में उठा रहा है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। सदस्यगण सदन के समक्ष जनहित में तथ्यपरक विषय को लाएं। **इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में जनता अपने रिप्रजेंटेटिव का सदन में आकलन करती है। हमारी जनता न केवल अपने क्षेत्र के विधायक द्वारा उठाए गए प्रश्न को गंभीरतापूर्वक सुनती है, बल्कि सरकार का उस पर क्या विचार है उसको भी गंभीरता से देखती है। इसे सदैव ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए सदस्यों को बेहतर तरीके से प्रश्न करना चाहिए और सरकार को भी उचित जवाब देना चाहिए। सरकार से यदि जनहित की कोई बात छूट जाए, तो विपक्ष को उस पर प्रभावी रूप से ध्यान दिलाना चाहिए। लेकिन इस क्रम में सदन की गरिमा को भी ठेस नहीं पहुँचे इस दिशा में भी ध्यान रखने की जरूरत है। विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध न करे, बल्कि अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए। स्वयं के प्रति ईमानदार रहे। विधान–सभा अध्यक्ष द्वारा विभिन्न विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया जाना सराहनीय है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन, संविधान विशेषज्ञ, श्री सुभाष कश्यप को आमंत्रित करने की पहल की है। साथ ही, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा 'सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत' विषय पर भी चर्चा करवाया है। विधान–सभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अधिक से अधिक परिपक्व करने के लिए विभिन्न सार्थक पहल करना सराहना की बात है।** इस वर्ष उत्कृष्ट विधायक का सम्मान प्राप्त करने हेतु **श्रीमती बिमला प्रधान जी** को हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही, उनसे कहना चाहूँगी कि उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित होने पर जनता की उनसे अपेक्षाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। यह भी सदैव ध्यान रखने की जरूरत है। इस अवसर पर मैं पुरस्कार ग्रहण करनेवाले

विधान–सभा के संयुक्त सचिव, जनसम्पर्क पदाधिकारी सहित अन्य कर्मी को बधाई देती हूँ। साथ ही, उम्मीद करती हूँ कि ये इतनी निष्ठा के साथ अच्छा कार्य करें कि लोग उनसे प्रेरित हों। झारखण्ड विधान–सभा की गणना देश के आदर्श विधान–सभा के रूप में किया जाए, इसके लिए विधान–सभा के प्रत्येक सदस्य को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जनता के दुःख–दर्द को दूर करके एक समृद्ध और गौरवशाली झारखण्ड की स्थापना कर सकें। मैं पुनः आप सबों को इस पुनीत अवसर पर बहुत–बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिन्द। जय झारखण्ड।

माननीया राज्यपाल के उद्‌बोधन के उपरांत झारखण्ड विधान–सभा के कर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शॉल, प्रशस्ति–पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

इस क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित किया गया संयुक्त सचिव, श्री तेजनारायण पाण्डेय जी को। उनकी 29 वर्षों की सेवा विधान–सभा में पूरी हो चुकी है। ये झारखण्ड विधान–सभा में 2000 से कार्यरत हैं। श्री गुलाम मोहम्मद सरफराज, जनसम्पर्क पदाधिकारी, श्री अभिरामचन्द्र मजुमदार, प्रतिवेदक, श्री बुद्धदेव यादव, सहायक, श्री कृष्णा उराँव, चालक में से सभी 10 वर्षों से अधिक अवधि से झारखण्ड विधान–सभा की सेवा में हैं। इनकी कार्यकुशलता के मद्देनजर स्थापना दिवस के इस पुनीत अवसर पर इन्हें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शॉल, प्रतीक चिह्न, प्रशस्ति पत्र और 21,000/– रूपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अनन्त शुभकामनाऐं। सभी को बहुत–बहुत बधाई दी गई।

समाज के विभिन्न वर्गों के लोग चाहे वे समाजसेवी, पत्रकार, साहित्यकार, लोक गायक, मेधावी छात्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी हों, उन्हें भी विधान–सभा स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित करती है। इस अवसर पर माननीय विधान–सभा अध्यक्ष श्री दिनेश उराँव के कर–कमलों द्वारा पद्मश्री श्री मुकुन्द नायक, जिन्होंने झारखण्डी लोकगीत 'झूमर' को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है, को सम्मानित किया गया।

इसी क्रम में कलम के सिपाही श्री बलबीर दत्त जिन्हें, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री की उपाधि प्राप्त है, को माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। विगत 55 वर्षों से पत्रकारिता में संलग्न रहे श्री बलबीर दत्त पत्रकारों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में मौजूद हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमेशा ही लोगों के प्रेरणा का स्रोत बने रहते हैं। **माननीय विधान–सभा अध्यक्ष मंच से नीचे उतरकर अपने कर कमलों से प्रख्यात कवि लाल रणविजय नाथ शाहदेव को सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किए। अलग झारखण्ड राज्य के निर्माण में प्रथम सेनानी के रूप में जय प्रकाश आंदोलन के प्रणेता, 1975 के आपातकाल के विरोधी महान आन्दोलनकर्ता, नागपुरी भाषा के वीर रस के महान कवि को सम्मानित किया गया। सम्पूर्ण विधान–सभा सत्रहवीं वर्षगाँठ पर इन महानुभावों को सम्मानित करते हुए आह्लादित महसूस कर रहा था।** 10वीं और 12वीं कक्षाओं में राज्य स्तर पर 2017 में प्रथम स्थान लाने वाले तेजस्वी छात्र–छात्राओं को 11,000/–रूपये का चेक एवं प्रशस्ति–पत्र देकर माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान–सभा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माननीय विधान–सभा अध्यक्ष द्वारा सभी छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया गया। ओलम्पीयन अन्तर्राष्ट्रीय तीरंदाज बीना कुमारी को प्रशस्ति पत्र एवं शॉल देकर माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया।

एक महत्वपूर्ण घटना थी दिव्यांग खिलाड़ी को सम्मानित करने की। उद्‌घोषिका ने बताया कि गोस्सनर पत्रस ओड़या, दिव्यांग हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के सतारा जिला में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी में ओवरऑल चैम्पियनशीप में कुल तीन स्वर्ण पदक जीते।

इनके बारे में एक विशेष सूचना देते हुए उद्‌घोषक ने बताया कि खूंटी जिला में लगभग डेढ़ सौ एकड़ क्षेत्र में वृक्षों का संरक्षण ये प्रदान करते हैं। टांगी लेकर दिन–रात पहरा देते हैं, कोई भी अनधिकृत व्यक्ति वृक्ष नहीं काट सकता, इन्हीं की बदौलत। **सम्मान समारोह में अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मनोहर टोपनों** ऐथलैटिक्स में श्री महाबीर राम लोहरा, तथा सुजान अजीत कुजूर, श्री रामदेव तिग्गा, सुश्री सपना, सुश्री अनुरूपा, श्री कामेश्वर रविदास, सुश्री प्रियंका केरकेट्टा को माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। इन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐथलैटिक्स के क्षेत्र में झारखण्ड का नाम रौशन किया है। हमारी बालिकाएं हॉकी के क्षेत्र में और ऐथलेटिक्स के क्षेत्र में, तीरंदाजी के

क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा झारखण्ड का नाम रौशन कर रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री विगन सोय जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी के क्षेत्र में झारखण्ड का नाम रौशन किया है, को सम्मानित करने के अवसर पर उद्घोषक ने बताया कि एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अभी–अभी जो भारत ने एशिया कप जीता है, उस टीम की ये सदस्या रही हैं। विगन सोय जी के नाम पर एक जोरदार ताली का आग्रह करते हुए कहा :

"चहको तो यूं चहको कि होश आ जाए,
और ताली बजाओ तो यूं कि खिलाड़ियों को जोश आ जाए।"

मातृभूमि की रक्षा हेतु शहीद हो चुके वीर सपूतों के आश्रितों को माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री सरयू राय द्वारा भारी मन से सम्मानित किया गया। इनमें श्रीमती ललिता देवी के पुत्र शशिकांत पाण्डेय जम्मू एवं कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान देश की रक्षा हेतु वीरता एवं अदम्य साहस के साथ दुश्मनों से लोहा लेने के क्रम में वीरगति को प्राप्त हुए। अमर शहीद प्रभु सहाय तिर्की की पत्नी श्रीमती सुचिता तिर्की को सम्मानित किया गया। स्व0 प्रभु सहाय तिर्की जी जम्मू एवं कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान देश की रक्षा हेतु वीरता एवं अदम्य साहस के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे।

इस अवसर पर उदघोषणा के क्रम में बताया गया कि शहीद के आश्रितों को झारखण्ड विधान–सभा की ओर से 21 हजार रूपये, शॉल, मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

बिहारी मरांडी जी जम्मू एवं कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान देश की रक्षा हेतु वीरता एवं अदम्य साहस के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। 21 हजार रूपये, शॉल मोमेंटो तथा प्रशस्ति पत्र देकर उनके भाई बबलू मरांडी को सम्मानित किया गया।

अमर शहीद कुलदीप लकड़ा जी जम्मू एवं कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान देश की रक्षा हेतु वीरता एवं अदम्य साहस के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनकी माँ श्रीमती गोरोती कुजूर को सम्मानित किया गया।

ऐसे शहीदों को समस्त आगंतुक महानुभावों ने नमन किया। इन शहीदों की कुरबानियों से ही यह देश आज ऐसा है, जहाँ हम आज खुले में सांस ले सकते हैं।

अमर शहीद जय प्रकाश उराँव जी 16 नवम्बर, 2017 को देश की रक्षा हेतु वीरता एवं अदम्य साहस के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनके आश्रित श्रीमती हेमा संगीत उराँव को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर ओजपूर्ण वाणी में उद्घोष किया गया :

"शहीदों की चिताओं पर, लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पे मरने वालों का, यही बाकी निशां होगा।"

महात्मा गाँधी (बापू) के स्मृति के रूप में टाना भगत हमें समाज में अपने आस–पास दिखाई देते हैं। यूं लगता है कि महात्मा गाँधी (बापू) हमारे बीच से कभी गये ही नहीं थे। झारखण्ड विधान–सभा की स्थापना दिवस के पुनीत अवसर पर चतरा के रामो टाना भगत, श्री विकल टाना भगत, श्री कृष्णा टाना भगत, श्री रामवृक्ष टाना भगत, श्री शंकर टाना भगत, सिमडेगा के श्री सोमनाथ टाना भगत, श्री घूरन टाना भगत, श्री भाजू टाना भगत, श्री गोंधीपानी भाजू टाना भगत और श्री करमा टाना भगत को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट विधायिका के तौर पर चयनित श्रीमती विमला प्रधान जी को आमंत्रित किया गया, उनके उद्बोधन के लिए। सभी मंचस्थ महानुभावों का अभिनन्दन करते हुए **माननीय सदस्या श्रीमती विमला प्रधान ने कहा कि :–**

सामाजिक जीवन में आने के बाद मेरी जो एक इच्छा थी समाज सेवा की, उसके बाद मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं झारखण्ड विधान–सभा के विधायी संस्था के पद पर आऊँगी और ये उत्कृष्ट सम्मान, उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलेगा और इसके लिए मैं सभी को अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं एक समाजसेवी के रूप में ही अपने सामाजिक संगठन में काम करती थी और उस सामाजिक संगठन में मैंने महसूस किया था कि हमारे वैसे लोग जो पढ़े–लिखे नहीं हैं, जो शिक्षा से अज्ञान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, तो मैं वैवाहिक जीवन के बाद वापस आई 1989 में और अपने समाज के बीच में काम करना शुरू की । यहीं से मेरा लोगों के प्रति, एक तरह से गरीबों के प्रति काम करने की जो एक शुरूआत हुई, वो धीरे–धीरे मैंने देखा कि अगर हम काम करते हैं, तो एक उचित प्लेटफार्म की आवश्यकता है। इसी विश्वास के तहत ही 2009 में मैं सिमडेगा विधान–सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी। विधान–सभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का भरपूर प्रयास

हमने किया है और सदन की गरिमा को भी रखने के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रही। मैं अपने विधान–सभा के सभी वरिष्ठ सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके मार्गदर्शन से मुझे सीखने और जानने का मौका प्राप्त हुआ। आज जो मुझे **उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला वो मेरा व्यक्तिगत सम्मान न होकर सिमडेगा विधान–सभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का, मेरे मतदाताओं का और सिमडेगा जिला के निवासियों का सम्मान हुआ है** और ये सम्मान जो मिला है, वो अविस्मरणीय है और मेरे जीवन का भी अविस्मरणीय क्षण रहा है। जो एक सपना था अन्त्योदय, वह सपना अब पूरा होता दिखाई पड़ता है।

इसके उपरांत मंच पर आमंत्रित किया गया माननीय संसदीय कार्यमंत्री, झारखण्ड सरकार, श्री सरयू राय जी को जिनके हौसलों की उड़ान हम सबने बहुत करीब से देखा है।

श्री सरयू राय, मा. संसदीय कार्यमंत्री ने झारखण्ड विधान–सभा के 17 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित मंचासीन महानुभावों सहित उपस्थित जनसमुदाय का अभिवादन करते हुए सम्बोधन के क्रम में कहा कि विधान–सभा के 17 साल पूरे होने के अवसर पर आज यह समारोह आयोजित हो रहा है । ऐसे समारोह के अवसर पर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत होती है कि इन वर्षों में विधान–सभा ने कितने उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित किए। संसद और अन्य राज्यों के विधान–सभाओं के क्रियाकलापों के अवलोकन के बाद अपने राज्य में विधायिका को हम किस तरह से मजबूत कर सकें। जनता ने जिन्हें अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी माना है, जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, इसके सदस्य होते हैं और सदस्यों से गठित विधान–सभा वास्तव में जनआकांक्षाओं का प्रतीक होती है। इसमें से ही सरकार भी बनती है और सरकार के क्रियाकलापों के मीमांशा भी विधान–सभा करती है । खासकर जो हमारे लोकहित के कार्य हैं उसके बारे में हमारे संविधान ने विधान–सभा को ही उत्तरदायी माना है। राज्य की सरकारें जिस तरह से लोकवित्त का उपयोग करती हैं, अंततः अपने जिम्मेदारी को विधान–सभा के अंदर ही उन्हें साबित करना पड़ता है। हमारे संविधान ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि चाहे स्थिति किसी भी प्रकार की हो राज्यकार्य के संचालन में कोई वित्तीय अड़चन नहीं आएगा और इन सारी वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिए जब कोई विशेष परिस्थिति नहीं होता है, तो ऐसे समय में विधान–सभा पर ही उत्तरदायित्व सौंपा गया है। विधान–सभा का संचालन सटीक तरीके से होता है तो जनता में ये भरोसा जाता है कि हमारे जन–प्रतिनिधि, अपने क्षेत्र के और राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जो विधेयक पारित होते हैं, कानून बनते हैं विधान–सभा के माध्यम से और बने हुए कानून जिस प्रकार से लागू होते हैं और इनको लागू करने के लिए राज्य सरकार के अंदर जो संरचनाएं बनी हैं, ये सभी कसौटी पर रहते हैं विधान–सभा में। कानून बनाना, कानूनों में संशोधन करना, कानूनों को सही तरीके से लागू करना, जो सरकार का काम है जो विधान–सभा का काम है, यह विधायकगण चाहे पक्ष में हों विपक्ष में हों, अपने दायित्व के निर्वहन में एक उत्कृष्ट मानदण्ड निर्धारित करते हैं। यदि आम जनता हमारी क्रियाकलापों से संतुष्ट रहे। **यह सुखद संकेत नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में विधान–सभा का संचालन जिस तरीके से होना चाहिए, हमारे पक्ष और विपक्ष के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, उनकी भूमिका जितनी उत्कृष्ट होनी चाहिए और राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा समाज जिस रूप में टकटकी लगाकर हमारी तरफ देखता है उसके मानदण्ड पर हम कितना खरा हो पा रहे हैं, इसके बारे में आज का दिन एक आत्मविश्लेषण करने का दिन है। आज आवश्यकता है कि विधान–सभा के समय–संदर्भ के अन्तर्गत हम अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए सचेष्ट होकर एक सदस्य के नाते, मंत्री के नाते, विधायिका के हिस्सेदार के नाते विधान–सभा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुपालन करेंगे, तो राज्य में विकास की जो गति है, ये विकास की गति नियमों–परिनियमों के अनुसार एक लम्बी छलांग लगा सकती है। परंतु कभी–कभी लगता है कि जो हमारे मानदण्ड हैं, जिनको संसद में भी हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है। वे मानदण्ड अगर कहीं भी धराशायी होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो चिंता होती है कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वह इसका अनुकरण किस प्रकार से करेगी। माननीय विधान–सभा अध्यक्ष महोदय यहाँ उपस्थित हैं। एक तरह से अभिभावक हैं, सरकार के भी, विधान–सभा के भी और विधान–सभा के संचालन में जितनी**

असतो मा सदगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम् गमय
(असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।)
इसी आहवान् के साथ दीप प्रज्जवलन के साथ ही उद्घाटन हुआ झारखण्ड विधान-सभा के सत्रहवें वर्षगाँठ समारोह का।
मंचस्थ महानुभावों में माननीया राज्यपाल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मा. मुख्यमंत्री- श्री रघुवर दास,
मा. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा, श्री दिनेश उराँव, मा. संसदीय कार्यमंत्री, श्री सरयू राय तथा
उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए नामित श्रीमती विमला प्रधान, स.वि.स.

स्थापना दिवस समारोह, 2017 के अवसर पर भारत की पौराणिक परम्परानुसार स्वागत गान प्रस्तुत करने हेतु तैयार डी.ए.वी. हेहल के छात्रगण

अतिथि देवो भवः

परिकल्पना को साकार करता
स्थापना दिवस समारोह, 2017
पद्म श्री अशोक भगत,
मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा,
अपर मुख्य सचिव, श्री अमित खरे,
ए.डी.जी.पी., श्री पी.आर. के. नायडू
एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण।

फूलों सा हो सुवासित, आपका संसदीय जीवन;
पक्ष-विपक्ष से उपर उठकर, करें आपके विचार प्रभावित।

है आपके सम्मान में आयोजित, यह विजयपर्व लोकतंत्र का;
परम सम्मानित मा. राज्यपाल के हाथों, हो रहा सम्मान प्रधानरूपी विमला का।

झारखण्डी लोक संस्कृति का प्रतीक, मांदर
की थाप मोहे जन-मन को
ऐसे पद्म श्री मुकुन्द को पाकर
सम्मानित है, अपनी विधान-सभा।

तूमने मांदर की थाप दी
कदम तुम्हारे उठे
तुमने बाँसुरी पर फूँक मारी
हृदय-हृदय काँप गए।

देश के इन सपूतों को
याद करते हैं बरबस ही हम
कलम के सिपाही से ही
लाज बची है धरती माँ की;

पत्रकारिता के क्षेत्र में
भीष्म पितामह कहे जानेवाले
दधीचि सदृश यशस्वी पत्रकार
पद्म श्री बलवीर दत्त को
सम्मानित करते
मा. अध्यक्ष, श्री दिनेश उराँव।

नागपुरी साहित्य के महान हस्ताक्षर
एवं वीर रस के कवि तथा समग्र
आंदोलन के अग्रणी
श्री लाल रणविजय नाथ शाहदेव को
मंच के नीचे अतिथि दीर्घा में जाकर
सम्मानित करते विधान-सभा अध्यक्ष

तुम्हें और तेज गाना है नाथ दा'
गाना है कि शोर
जंगल के दरख्त तक जाग जाए
गाना है कि सब गाने लगे तब तक;

राज-काज चलाने हेतु सबसे अहम् है बजट का उपस्थापन एवं सदन से पारित होना।

राज्य गठन से 2014 तक के बजट भाषण का संकलन, समर्पित है राज्य की जनता के नाम।

संसदीय परम्पराओं में भावाभिव्यक्ति सम्प्रेषण का सर्वोत्कृष्ट साधन है। सत्रह वर्षों के सफलतम सफर को पूरा करनेवाले विधान-सभा की त्रैमासिक पत्रिका 'उड़ान' का लोकार्पण करते मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. विधान-सभा अध्यक्ष एवं मा. संसदीय कार्यमंत्री।

स्थापना दिवस, 2017 के अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते मा. राज्यपाल, झारखण्ड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

स्थापना दिवस समारोह, 2017 में आगत अतिथियों का स्वागत करते स्वयं विधान-सभा अध्यक्ष श्री दिनेश उराँव।

यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है,
सुख दुःख के दोनों तीरों से, कर रहा राह मनमानी है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरले प्रतिभासम्पन्न दो कुशल राजनेता, मा. मंत्री श्री सरयू राय तथा श्रीमती विमला प्रधान स.वि.स.।
एक ओर हैं कुशल वक्ता, शब्दों के धनी, आँकड़ों के गंभीर विश्लेषक मा. मंत्री श्री सरयू राय तो दूसरी ओर
सौम्य, शालीनता की प्रतिमूर्ति उत्कृष्ट विधायी सम्मान से सम्मानित श्रीमती विमला प्रधान ।

तेज हो बुद्धदेव का,
रथ हो कृष्णा का,
अभिराम होगा निश्चित क्षण,
नहीं रहेगा कोई गुलाम आज!

झारखण्ड विधान-सभा के स्थापना दिवस समारोह, 2017
के अवसर पर मा. मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास के कर
कमलों से उत्कृष्ट कर्मी सम्मान प्राप्त करने वाले
विधान-सभा के संयुक्त सचिव श्री तेजनारायण पाण्डेय,
जन-सम्पर्क पदा. श्री गुलाम मो. सरफराज़,
प्रतिवेदक श्री अभिराम चन्द्र मजुमदार,
सहायक श्री बुद्धदेव यादव तथा चालक श्री कृष्णा उराँव।

झारखण्ड की पहचान है तीरंदाजी, अस्मिता की प्रतीक है हॉकी
एथलेटिक्स ने किया उजागर, सार्थक किया है मिलकर राज्य गठन को;

झारखण्ड के खिलाड़ी – रीना कुमारी, बिगन सोय, सपना कुमारी, प्रियंका करकेट्टा, अनुरूपा कुमारी, कामेश्वर रविदास, रामदेव तिग्गा, सुजान अजित कुजूर, गोस्सनर पत्रस ओड़या आदि जिन्होंने राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया।
खिलाड़ियों को सम्मानित करते माननीय अध्यक्ष, झा.वि.स. श्री दिनेश उराँव।

होनहार बिरवान के होत चिकने पात।
झारखण्ड प्रतिभा के मामले में किसी से कम नहीं है, यह सिद्ध किया है हमारे मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्रों ने।

झारखण्ड राज्य में मैट्रिक एवं इन्टर की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा श्री प्रकाश रजक, श्री गुंजन पाल, सुश्री अपूर्वा सिंह तथा सुश्री अंसुल टोप्पो को सम्मानित करते हुए मा. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा, श्री दिनेश उराँव।

दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल
साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल।

राष्ट्रपिता बापू के सिद्धान्तों को मुर्त्तरूप देने वाले टाना भगत को सम्मानित करते हुए मा. विधान-सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश उराँव।

शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशाँ होगा;

कैसी होती है, शहीदों की होली ? कैसे मनाते हैं, वो दिवाली;
देश की रक्षा करने हेतु, हैं समर्पित देने को हँसकर कुर्बानी।

अमर शहीद शशिकांत पाण्डेय, प्रभु सहाय, जय प्रकाश उराँव, बिहारी मरांडी तथा कुलदीप लकड़ा के परिजनों को सम्मानित करते मा. संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय।

झारखण्ड विधान-सभा के स्थापना दिवस समारोह , 2017 के अवसर पर उपस्थित मा. मंत्री, मा. सदस्यगण, मा. पूर्व सदस्यगण एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण।

परेशानियों का सामना माननीय विधान–सभा के अध्यक्ष को करना पड़ता है, और उनकी अपेक्षा के अनुरूप जब विधायी कार्यों का निष्पादन नहीं होता है तो औपचारिकताओं के निर्वाह के लिए उनकी आपातकालीन भूमिका सहज तो लगती है, परंतु एक संतुलित रूप में यह हमारे राज्य की जनता के भीतर संदेश देने के लिए पूरी तरह से कामयाब नहीं होती है। आज विधान–सभा के अध्यक्ष महोदय ने हम सभी का स्वागत किया, सत्कार किया। विधान–सभा के भविष्य के दायित्वों के निर्वहन के लिए भी इन्होंने एक शुभेक्षा जाहिर की है । सरकार के नाते, सत्ता पक्ष के नाते अधिक जिम्मेदारी होती है हम सभी की कि विधान–सभा के सुचारू संचालन में और सरकार के पास जनहित के, राज्यहित के जो काम हैं, उन कार्यों की हम संस्तुति लें, विधान–सभा सदन की स्वीकृति प्राप्त कर लें, इसलिए विधान–सभा बेहतर तरीके से चले, इसकी सबसे अधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। माननीय प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं, वे जनभावनाओं को सदन में रखते हैं, सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं और कई अवसर ऐसे भी आए हैं जब प्रतिपक्ष के हमारे साथियों ने सरकार के कार्यों के प्रति अपनी सहमति भी व्यक्त की है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में हमको नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रतिपक्ष के हमारे जो साथी हैं, उनको भी मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा इस अवसर पर कि हमें एक साथ दो पहियों के नाते इस संसदीय लोकतंत्र के रथ को खींचना है और आगे आने वाले विधान–सभा के सत्र में हम सभी इसका परिचय देंगे तो हम राज्य की जनता के प्रति अपने आप को अनुगृहित मानेंगे। मुझे उम्मीद है कि झारखण्ड विधान–सभा ने 17 वर्षों में जिस तरह के मानदण्ड स्थापित किए हैं, वैसे सभी मानदण्डों को एक प्रतिष्ठा की उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए हम सभी अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे और राज्य की जनता जिस उम्मीद से हम सभी को प्रतिनिधि चुनकर विधान–सभा में भेजती है, विधायिका के कार्यों का निष्पादन करते समय हम सभी उसका स्मरण रखेंगे तो राज्य की जनता के प्रति हम दायित्वों का पालन कर सकेंगे ।

मैं आप सभी के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और हमारी विमला जी, जो आज उत्कृष्ट विधायक चुनी गई हैं, उनको बधाई देता हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधान–सभा के अध्यक्ष के प्रति भी अपना अनुगृहित भाव व्यक्त करता हूँ कि विधान–सभा के इस स्थापना दिवस के मौके पर हम सभी इकट्ठा होकर आज भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी–अपनी भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

झारखण्ड विधान–सभा की स्थापना दिवस के अवसर पर **माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास** ने अपने उद्‌बोधन के क्रम में उपस्थित विद्वतजन को संबोधित करते हुए कहा कि हम झारखण्ड की सत्रहवीं वर्षगाँठ मना रहे हैं और अठारहवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस युवा झारखण्ड और वर्षगाँठ के अवसर पर विशेषकर अपने झारखण्ड विधान–सभा के अध्यक्ष और विधान–सभा के सभी हमारे माननीय सदस्य, पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण हमारे राज्य शासन के सभी अधिकारीगण और इस राज्य में लोकतंत्र प्रेमी, जो संविधान प्रेमी हैं उन सबको झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ–साथ इस अलग राज्य में विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं में से कुछ लोग जो हमें छोड़कर चले गए उनको श्रद्धांजलि, जो आज हैं उन्हें बधाई। इन सत्रह साल में राज्य गठन के बाद से अनेक सरकारें आई और उन सरकारों ने भी झारखण्ड के विकास में योगदान दिया, तो उस सरकार के नेतृत्वकर्ता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन वे शायद जो करना चाहते थे या जो जनता की आकांक्षाएं थीं वह राजनीतिक अस्थिरता के कारण संभव नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में राज्य की जनता ने एक मजबूत सरकार, एक स्थिर सरकार देने का काम की और उसी जनता के आशा और आकांक्षा के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। कोई चले चाहे न चले झारखण्ड चल पड़ा। झारखण्ड विकास की प्रगति पर अग्रसर है। प्रतिपक्ष होना लोकतंत्र में जरूरी है। बिना प्रतिपक्ष के लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते। यह विधायिका का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 50 परसेंट भी विधायकगण यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। निश्चित रूप से विधायकों को इस विषय पर चिन्ता करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि एक्स एम0एल0ए0 लगभग उपस्थित हैं, लेकिन जो प्रेजेंट एम0एल0ए0 हैं वे अनुपस्थित हैं। चूँकि यह वर्षगाँठ है, इस सदन की सबसे बड़ी वर्षगाँठ है, यह राज्य की जनता की सबसे बड़ी पंचायत की वर्षगाँठ है। राज्य की जनता हमलोगों को इसी सदन के लिए भेजी है और उस सदन की सबसे बड़ी वर्षगाँठ में उपस्थित नहीं होना, मैं कहता हूँ कि यह उचित नहीं है। यह कोशिश हम सब को करनी चाहिए

कि जब अगली वर्षगाँठ हो उस समय 100 परसेंट उपस्थिति हम सबकी रहनी चाहिए। ऐसा माहौल हमें बनाने की जरूरत है। राजनीति को मूल्यों से जोड़ना चाहिए। इस तरह से वर्षगाँठ मनाने के पीछे भी हमें लगता है कि उसका उद्देश्य भी यही है। आज का ये सचमुच में एक स्वस्थ परम्परा डालने का अवसर है। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, हमारे उत्कृष्ट विधायिका ने भी कहा तो हर जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी होती है उसके क्षेत्र की जनता, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट रहना चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के साथ–साथ राज्यहित, उस राज्यहित में हमें संकीर्ण मानसिकता, चाहे वह किसी भी पार्टी की सदस्य हों लेकिन हमारी प्राथमिकता देशहित और राज्यहित पहली होनी चाहिए। अपने क्षेत्र के जनता के प्रति प्रतिबद्धता होते हुए हमारी संकीर्णता देशहित और राज्यहित में बाधा नहीं बने। इस दिशा में भी हमें चिन्ता करने की जरूरत है। अल्टीमेटली हम किसी भी विचारधारा को मानते हैं लेकिन उद्देश्य तो यही है कि देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, तो विकास के मामले में राज्य के सभी जनता का ह्रदय एक होना चाहिए। सदन में उसी वाद–विवाद और वाद–विवाद से संवाद होकर रास्ता निकलता है और उसी रास्ते में हम सभी को चलना चाहिए। यह बात भी सही है कि 'हाँ' पक्ष की भी बात सुननी चाहिए और 'ना' पक्ष को भी पूरी बात कहने का अधिकार होनी चाहिए। दो–तीन अपवाद को छोड़ दें तो इन सत्रह सालों में विधान–सभा अच्छी ढ़ंग से चली है और ये तीन साल में हमारे विधान–सभा अध्यक्ष, दिनेश उराँव जी की अध्यक्षता में, हम दो–तीन सत्र को छोड़ दें अपवाद तो जैसा कि राय जी ने बताया कि विपक्ष के द्वारा यहाँ कटौती प्रस्ताव वापस लेकर विधायिका को उचित स्थान देने का भी काम इसी विधान–सभा अध्यक्ष, श्री दिनेश उराँव जी की अध्यक्षता में हुई है। दूसरा, मेरी आप सब से अपील होगी, राजनीति में प्रतिस्पर्द्धा रहेगी, जब तक राजनीति रहेगी, तब तक प्रतिस्पर्द्धा होगी। जनता चुनाव में किसी राजनीतिक दल को मैंडेट देता है, तो जनता उसकी विचारधारा को मैंडेट देता है कि पाँच साल आप अपने विचारधारा से राज्य की जनता की सेवा करें। उसमें कोई कमी हो, खामियाँ हो, क्रियान्वयन में कमी हो, नीतियों में कमी हो तो विपक्ष को यह अधिकार है कि उस कमियों और खामियों को उजागर करे। सत्तापक्ष को सचेत करे। सत्तापक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा, मैं आप सबों से आज इस पवित्र दिन में कहता हूँ। सत्ता, सत्ता के लिए नहीं और विरोध, विरोध के लिए नहीं है। सत्ता सेवा के लिए होनी चाहिए और विरोध सुधार के लिए होनी चाहिए। एक स्वस्थ विधान–सभा जहाँ, वाद–विवाद, पक्ष–विपक्ष की सुनने की क्षमता, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में यह झारखण्ड विधान–सभा में दोनों पक्ष को है। ऐसा झारखण्ड विधान–सभा की गरिमा हम सब मिलकर बनाएं और ये राजनीति जो है उसको मूल्यों से जोड़ें, विमला जी ने यहाँ पर कुछ मुद्दे उठाई हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबों को बताना चाहता हूँ कि हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। यही देश सेवा है। देश सेवा के लिए तो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हम उस माँ को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे–ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया है, जो आज भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे रहे हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध होगा कि हमारे आंतरिक सुरक्षा में जो सी0आर0पी0एफ0 और पुलिस के जो लोग लगे हुए हैं वे भी अपनी जान की बाजी लगाकर सुरक्षा में मुस्तैद हैं, तो उनको भी विधान–सभा से सम्मानित होना चाहिए, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई–न–कोई माँ अपने बेटा को खो रही है। उनको भी विधान–सभा से सम्मान मिलना चाहिए। मैं विशेषकर जो हमारे शहीद परिवार आए हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सवा तीन करोड़ जनता आपके साथ है, क्योंकि उनके भरोसे ही हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। खुली जिन्दगी में हम जो सांस ले रहे हैं, अगर हमारे जवान बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा नहीं करते तो हम इस स्थिति में नहीं रहते। हम पुलिस के जवान को भी इस वर्षगाँठ के अवसर पर सैल्युट करते हैं, जिनके बदौलत सोलह जिलों में उग्रवाद लगभग समाप्ति पर है। इस राज्य में कानून का शासन चलेगा। कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वह रघुवर दास ही क्यों न हो। कानून लोकतंत्र विरोधी या संविधान विरोधी को चुनौती देगा। जो कानून तोड़ेगा, कानून उस पर कानूनी ढ़ंग से कार्रवाई करेगा। जिस आशा से हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, चाहे वह भगवान बिरसा मुण्डा हों, तिलका मांझी हों, टाना भगत हों, शेख भिखारी हों, पंडित गणपत राय हों, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, जो लोग झारखण्ड आंदोलन में थे, तीन साल के अन्दर ही हमलोग

झारखण्ड आन्दोलनकारी, जे0पी0 आन्दोलनकारी को हमारी सरकार ने सम्मान दिया है। मैं अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो, इन सभी को आपने सम्मानित करने का काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अनेक क्षेत्रों में, हमारे गाँवों में प्रतिभा छिपी हुई है जो स्वेच्छा से समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी विधायकों से अनुरोध करेंगे कि आप भी देखें, अपने–अपने क्षेत्र में देखेंगे कि ऐसे–ऐसे लोग काम कर रहे हैं उनको अपने–अपने विधान–सभा क्षेत्र में सम्मानित कीजिए, ताकि दूसरे को भी प्रेरणा मिले। यह काम हर विधायक जी को करनी चाहिए। अभी कई गरीबोन्मुखी योजना चल रही है। हमारी सरकार गरीब समर्थक सरकार है। हर गरीब के जीवन में बदलाव लाना, आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाना हमारी सरकार का उद्देश्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी का 2022 जो न्यू इंडिया, हमारा कोशिश है कि 2022 के पहले न्यू झारखण्ड तैयार हो, जहाँ कोई बेघर नहीं रहे, कोई बेरोजगार नहीं रहे, कोई बेशिक्षा नहीं रहे। कोई अभाव की जिन्दगी नहीं जीता हो। एक ऐसा झारखण्ड हमारी सरकार की, हमारे टीम वर्क का एक संकल्प है और इस संकल्प को हमलोग हर हाल में पूरा करेंगे। मैं यह बात इस वर्षगाँठ के अवसर पर आप सबों को बताना चाहता हूँ। लोकतंत्र में तर्क–वितर्क भी जरूरी है। आलोचना को मैं बुरा नहीं मानता हूँ। जो भी आलोचना करते हैं उनको मैं सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि कुछ कमी होगी तो उसको सुधारेंगे। इसलिए बलबीर जी निन्दन वाले को सामने बैठाईए। मैं आलोचना करने वालों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हुए इस राज्य में सबका सहयोग लेकर चलना चाहता हूँ। इस राज्य की सवा तीन करोड़ जनता अगर एक कदम चलेगी तो मैं दस कदम चलूंगा।

विधान–सभा की वर्षगाँठ में आप सबको बताना चाहता हूँ कि चौदह साल से, विधान सभा इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत का अपना भवन नहीं बना था। हमलोगों ने 12 जून 2015 में भवन बनाने का काम शुरू किया। आज पेपर में भी छपा है, हम भी पढ़े हैं कि काम में बहुत प्रोग्रेस है। **12 जून 2015 को कार्य की शुरूआत हुई थी और 2019 में बजट सत्र हमलोग नए भवन में चलायेंगे।** यह भी बात होते रहती थी कि राज्य अलग हो गया, लेकिन विधान–सभा का अपना भवन अभी तक नहीं बना है। हमने सरकार बनने के साथ ही, मुख्यमंत्री बनने के बाद, मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत के भवन का नींव रखने का काम किया। **2019 में पहला बजट सत्र नए विधान सभा भवन में, सबसे बड़ी पंचायत में होगा, यह मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ।** कार्यक्रम के अंत में झारखण्ड विधान सभा के प्रभारी सचिव, श्री बिनय कुमार सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

श्री बिनय कुमार सिंह (प्रभारी सचिव) ने मंचस्थ अतिथियों सहित पंडाल में उपस्थित विद्वतजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ कीमती समय निकालकर हमें उपकृत किया है उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और आभार। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज जिस प्यार का परिचय हमें दिया वह आने वाले समय में बरकरार रहेगा। झारखण्ड विधान–सभा आरम्भ से ही जनहित के उद्देश्यों को पूरा करने में सदैव तत्पर रही है और आगे भी इसकी तत्परता जनहित में मुद्दों को सुलझाने में बनी रहेगी। झारखण्ड विधान–सभा के पाँच उत्कृष्ट कर्मी भी आज के अवसर पर सम्मानित हुए हैं। मैं अपने तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ कि अपने उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत आने वाले वर्षों में वे सम्मान पाने के हकदार हों, इस हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेंगे। मैं झारखण्ड के उन पाँच शहीद सैनिकों को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की शान और झारखण्ड का मान बढ़ाया। उनके परिजनों का यहाँ उपस्थिति के लिए और इस विधान–सभा के द्वारा जो छोटी सी भेंट उन्हें दी गई हैं उसे स्वीकार करने में जिस उदारता का परिचय दिया गया है उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं झारखण्ड के उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने शानदार खेल का परिचय देकर इस राज्य और देश का गौरव बढ़ाया। मैं विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ी श्री गोस्सनर पत्रस ओड़या के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल प्राप्त कर राज्य और देश का गौरव बढ़ाया। मैं झारखण्ड के उन मेधावी छात्र–छात्राओं का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

माननीया राज्यपाल का अभिभाषण

(श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल, झारखण्ड)

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

नव वर्ष 2018 के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए चौथी विधानसभा के द्वादश (बजट) सत्र में, मैं आप सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करती हूँ। नव वर्ष के इस प्रथम सत्र में इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करते हुए मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। मैं यहाँ अपने उन उद्‌गारों को पुनः दुहराना चाहती हूँ, जो मैंने इस गरिमामयी सदन को संबोधित करते हुए पूर्व में भी व्यक्त किये हैं। वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि, मुझे इस नयनाभिराम सौंदर्य एवं अतुलनीय प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। झारखण्ड राज्य को जितना इसके प्राकृतिक सौंदर्य एवं सम्पदाओं के लिए जाना जाता है, उतना ही, यहाँ के लोगों की सरलता और प्रशंसनीय विशिष्टताओं के साथ ही प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है।

2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने ऐसी योजनायें बनायी एवं नीतियां निर्धारित की हैं, जिससे समाज के आखिरी व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में **महिला सशक्तिकरण, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/ ओ0डी0एफ0 झारखण्ड, कौशल मिशन/नौजवान एवं हुनरमंद झारखण्ड** के संकल्प के साथ **डिजिटल झारखण्ड, मोमेंटम झारखण्ड, जोहार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, वित्तीय समावेशन, मीठी क्रांति** इत्यादि के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है।

3. हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग एवं क्षेत्र तक पहुँचने तथा राज्य को समृद्धि के मार्ग पर त्वरित गति से आगे ले जाने के प्रयासों में बीते वर्ष नये प्रतिमान स्थापित किये हैं। जनता की जिन आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए झारखण्ड राज्य का गठन किया गया, उसकी प्राप्ति के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने अपने सृजन की तिथि से ही **'सबका साथ सबका विकास'** के मंत्र को आत्मसात् करते हुए राज्य में बेरोजगारी दूर करने, समाज के अन्य लोगों के साथ ही आदिम जनजाति, पिछड़े एवं दलित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, सामुदायिक विकास करने तथा प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में सबों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

4. राज्य का चतुर्दिक विकास अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी सजगता एवं समर्पण के साथ कार्य कर रही है और स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। विकास के सभी क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण विकास, नगर विकास, सिंचाई, पेयजल की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, समाज के पिछड़े, अल्पसंख्यक, दबे-कुचले शोषित वर्गों के जीवन-स्तर में उत्थान करने, उपलब्ध मानव संसाधन को आधुनिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में दक्ष बनाने हेतु उनका कौशल विकास करने, बुनियादी सुविधाओं को आम जनों तक सहज एवं सुलभ रूप में पहुँचाने आदि में हमारी सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

5. अपार आर्थिक विकास की संभावनाओं से परिपूर्ण हमारा राज्य देश-विदेश के लिए पूंजी निवेश के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित हो रहा है। सरकार ने अधिकाधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने, राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए इससे संबंधित नियमों का सरलीकरण किया है। जिसके फलस्वरूप Ease of Doing Business में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में लगातार अपना स्थान बनाये हुए है।

6. Momentum Jharkhand के उपरांत उद्यमियों को भू-आवंटन के साथ-साथ अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने एवं राज्य में औद्योगिक वातावरण के

निर्माण हेतु सरकार द्वारा राँची, जमशेदपुर एवं बोकारो में ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुल 6669 करोड़ रू. पूंजीनिवेश तथा 49097 लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के साथ 200 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। राँची में झारखण्ड माइनिंग शो एवं ग्लोबल माइन्स एवं मिनरल्स समिट का आयोजन 30 अक्टूबर से 01 नवंबर 2017 तक सफलता पूर्वक किया गया, जिसमें 60 से अधिक देश-विदेश की कंपनियों ने भाग लिया तथा 04 महत्वपूर्ण MoU संपन्न हुए। MECL के साथ नीलामी हेतु खनिज ब्लॉक के निर्माण कार्य में तीव्रता लाने हेतु MoU किया गया। एम.एस.एम.ई. क्लस्टर के विकास हेतु मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना की स्थापना की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भारत सरकार के सहयोग से सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET) की स्थापना की गई है।

7. राज्य के खनिजों के उत्खनन एवं इससे संबंधित कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति के लिए ई-ऑक्शन के माध्यम से खनिज आधारित क्षेत्रों को चिन्हित् करते हुए निविदा प्रकाशित कर खनन पट्टा आवंटित करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के पहाड़डीहा क्षेत्र के स्वर्ण खनिज, रामगढ़ जिला के हरिहरपुर-लेम-बीचा में चूनापत्थर खनिज के 02 ब्लॉकों एवं परासी स्वर्ण खनिज ब्लॉक यानी कुल 04 ब्लॉकों की नीलामी सफलता पूर्वक कर दी गयी है। इसके अलावा पलामू जिलान्तर्गत ग्रेफाइट ब्लॉक एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत आयरन ओर ब्लॉक की नीलामी प्रक्रियाधीन है।

8. राज्य में कॉरपोरेट सोशल दायित्व की राशि का व्यय सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप करते हुए कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा 1200 करोड़ की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के क्षेत्र में खर्च की गयी है।

9. राज्य के परंपरागत लघु एवं कुटीर उद्योग को तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण एवं विपणन सुविधा के माध्यम से व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

10. राज्य के विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने में सुदृढ़ विद्युतीय व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण में सुधार लाने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 29,376 ग्रामों में से शेष बचे 615 अविद्युतीकृत ग्रामों में से सभी ग्रामों का विद्युतीकरण दिसम्बर 2017 तक पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही 5,568 आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, 2,35,639 ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण, 840 फिडर मीटरिंग का कार्य एवं 4 अदद 33/11 के.वी. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। शेष बचे हुए आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण एवं सभी ग्रामीण घरों का ऊर्जान्वयन का कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर देने का लक्ष्य है।

11. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज सफल हर घर योजना **सौभाग्य** की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत छूटे हुए अविद्युतीकृत आवासों को विद्युतीकृत करने हेतु गाँवों में Last Mile Infrastructure का विकास करते हुए सभी आवासों को विद्युतीकृत किया जाना है। झारखण्ड में सौभाग्य योजना के तहत दिसम्बर 2018 तक 17,64,248 ग्रामीण आवास एवं 1,64,112 शहरी आवास आच्छादित किये जायेंगे।

12. राज्य के 1400 सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट अधिष्ठापित करने हेतु चिन्हित् किया गया है, जिसमें मुख्यतः कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय, पहाड़िया आवासीय विद्यालय, वाणिज्यकर अंचल, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर अस्पताल, समाहरणालय, व्यवहार न्यायालय, पुलिस थाना, कारा इत्यादि शामिल है। उक्त योजना के तहत् प्रथम चरण में कुल 191 सरकारी भवनों में से अब तक 117 भवनों पर कुल 2041 किलोवाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट अधिष्ठापित किया गया है तथा 191 भवनों में कार्य प्रगति पर है।

13. हमारी सरकार गाँवों के पिछड़ेपन को दूर करने,

ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊँचा करने एवं गाँवों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कृत संकल्पित है। राज्य के 24 जिलों के ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिये अकुशल कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कुल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराने वाली योजना 'मनरेगा' के अन्तर्गत पारदर्शिता जबावदेही के मद्देनजर Geo MGNREGA का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके तहत् सभी योजनाओं का तीन चरणों में Geo-Tagging किया जाना है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ अभिषरण के माध्यम से मनरेगा अन्तर्गत लगभग कुल 40,000 पूर्ण सिंचाई कूपों में लाभुकों को पम्प-सेट उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभिषरण के माध्यम से मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने हेतु मनरेगा अन्तर्गत पूर्ण डोभों में मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षणोपरांत प्रति लाभुक 1,000 जीरा (Finger Lings) अथवा 1 लाख स्पोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

14. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1,59,052 इकाई आवास का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 1,37,119 लाभुकों का निबंधन, 96,576 का जियो टैग, 89,232 आवास की स्वीकृति एवं 44,675 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है।

15. राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने इरादे को प्रबलता प्रदान करते हुए सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अबतक झारखण्ड के 11,590 गाँवों में करीब 14,27,503 परिवारों को एकजुट कर 1,13,969 सखी मंडलों का गठन किया है। पूरे राज्य में 45,820 सखी मंडलों को 68.72 करोड़ रुपये चक्रिय निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया है। सामुदायिक निवेश निधि के रुप में 31,515 सखी मंडलों को 177.59 करोड़ रुपये दिए गए हैं, वहीं बैंकों से जोड़कर करीब 58,469 सखी मंडलों को 467.75 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से 85 से ज्यादा आजीविका **दीदी कैफे** प्रारम्भ किया गया है।

16. भारत गाँवों का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के शब्दों में कहें तो-असली भारत गाँवों में बसता है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की नींव को मजबूती प्रदान करने में पूरी तन्मयता से जुटी हुई है। इसी उद्देश्य से राज्य स्थापना दिवस, 2017 के ऐतिहासिक अवसर पर **जोहार परियोजना** का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का लक्ष्य 2 लाख ग्रामीण परिवारों की कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों समेत उत्पादों में विविधता एवं उत्पादकता बढ़ाते हुए उनकी आय को दोगुना करना है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को उन्नत कृषि, मछली पालन, पशुपालन, सिंचाई के साधन, कौशल विकास से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाते हुए आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एक ओर जहाँ परियोजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर इससे 50 फीसदी से अधिक महिला किसानों को भी लाभ होगा।

17. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन अंतर्गत अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता एवं समावेशन पर जोर देते हुए, ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गाँवों के क्लस्टर को रूर्बन क्लस्टर के रूप में विकसित करना है। रूर्बन क्लस्टरों के चयन में गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 25-50 हजार की आबादी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5-15 हजार की आबादी को मानक बनाया गया है। रूर्बन क्लस्टर की योजनाओं के लिए Convergence एवं Critical Gap Fund का अनुपात 70:30 है। CGF के तहत गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए अधिकतम 30 करोड़ रू0 एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए अधिकतम 15 करोड़ रू0 निर्धारित है।

18. सही अर्थों में राज्य का चतुर्मुखी विकास तभी संभव है, जब गाँवों में विकास की अविरल धारा प्रवाहित की जाय। हमारी सरकार द्वारा राज्य को खाद्यान उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी एवं व्यावहारिक योजनायें चलाई जा रही हैं। विभिन्न फसलों के लिए प्रमाणित बीज की आपूर्ति तथा कृषि में वैज्ञानिक तकनीक का प्रचार-प्रसार कर राज्य में खरीफ तथा रबी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाये

गये हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से वर्ष 2017-18 में 539 नये बीज ग्रामों की स्थापना की गयी है।

19. झारखण्ड राज्य की कृषि पूर्ण रूप से मॉनसून पर निर्भर है। हमारी सरकार द्वारा मॉनसून पर राज्य के किसानों की निर्भरता को कम करने तथा उन्हें वर्ष भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **बंजर भूमि/ राईस फैलो विकास योजना** के अन्तर्गत 300 करोड़ रू0 की लागत पर 2000 सरकारी/ निजी तालाबों के गहरीकरण/ जीर्णोद्धार की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे 16000-20000 हे0 भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

20. हमारी सरकार राज्य को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करने हेतु सभी क्षेत्रों में युद्धस्तर पर काम कर रही है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रतिदिन 54 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया गया। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 57 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन के लक्ष्य पर सरकार कार्य कर रही है। श्वेत क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राँची मुख्यालय में एक लाख लीटर क्षमता का एवं पलामू, देवघर, साहेबगंज, जमशेदपुर एवं गिरिडीह जिला में पचास हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

21. मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। मत्स्य उत्पादन को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार मत्स्य कृषकों एवं केज में मछली उत्पादन करने वालों को मछलियों का आहार 50 प्रतिशत अनुदान पर दे रही है।

22. राज्य के विकास में जल संसाधन की मजबूती, विकास का अहम सूचक होती है। हमारी सरकार हर हाथ को रोजगार, हर खेत को पानी की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य की सभी पुरानी योजनाओं का शत-प्रतिशत जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि वे अपनी सृजित क्षमता के अनुसार पटवन कर सकें।

23. बाबा नगरी देवघर में कई वर्षों से लम्बित पुनासी जलाशय योजना के निर्माण की दिशा में आ रही सभी अड़चनों को दूर करते हुए योजना का कार्य तेजी से प्रारम्भ किया गया है।

24. हमारी सरकार राज्य से कुपोषण के समूल उन्मूलन हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अधीन 9,00,055 अन्त्योदय परिवारों को रूपये 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी आदिम जनजाति परिवारों को उनके निवास स्थान तक 35 किलोग्राम चावल के पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अप्रैल 2017 से राज्य में **विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना** (PVTG डाकिया योजना) का शुभारम्भ किया गया है। राज्य में **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** के अतंर्गत अब तक कुल 9.9 लाख परिवारों को मुफ्त में गैस संयोग दिया जा चुका है, जबकि मार्च 2018 तक 28.5 लाख परिवारों को मुफ्त गैस संयोग उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

25. जन वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों में GPS आधारित VTS (Vehicle Tracking System) का अधिष्ठापन किया गया है एवं इसके माध्यम से वाहनों की Tracking की जा रही है।

26. राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने एवं कृषि को लाभपरक बनाने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सरकार की ओर से रू. 150/प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान PFMS/RTGS/NEFT के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में किया जा रहा है।

27. राज्य की उन्नत सड़कें, हमारी सरकार की विकासवादी सोच की परिचायक हैं। अच्छी सड़कें, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की रीढ़ हैं। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था की उत्पादकता, मजदूरी दर, गरीबी उन्मूलन की दर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं की ''डिलीवरी'' इत्यादि पर होता है। राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पथ यातायात व्यवस्था का विकास एवं इसका सुदृढ़ीकरण राज्य के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। पथ निर्माण के मामले में आज हमारे राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है।

28. पथ यातायात व्यवस्था के विकास हेतु पथों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने, पथों की क्षमता को बढ़ाने एवं पथों की

राइडिंग क्वालिटी में सुधार करने हेतु हमारी सरकार राजकीय पथ, वृहद् जिला पथ एवं अन्य जिला पथों के विकास हेतु कार्य कर रही है।

29. वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 5000 करोड़ का बजटीय उद्व्यय स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष लगभग 1550 कि0मी0 पथ एवं 50 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 1050 कि0मी0 पथों एवं 17 पुलों के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा चुका है।

30. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2000 किलोमीटर पथ निर्माण के विरुद्ध 1419 किलोमीटर पथ का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

31. राज्य में हर घर शौचालय, घर-घर साफ पानी पहुँचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया। इसी अंतर्गत DMFT अंतर्गत छह जिलों यथा- धनबाद, बोकारो, रामगढ़, प. सिंहभूम, चतरा एवं गोड्डा जिला की 47 अदद् योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिससे 14.05 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इसके अतिरिक्त 950 करोड़ की 19 अदद् योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

32. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 18.3 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। झारखण्ड राज्य में 3 जिला, 60 प्रखण्ड तथा 1314 ग्राम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त किया जा चुका है। राज्य का अद्यतन ग्रामीण स्वच्छता का आच्छादन 66 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति तक 06 लाख और व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर 25 लाख शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो जाएगा।

33. राज्य की राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा राँची शहर के महत्वपूर्ण पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत राँची शहर के विकास (रिंग रोड पर)-बूटी मोड़-काँटाटोली-रामपुर (रिंग रोड तक) के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

34. राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं उन्नत करने के उद्देश्य से वाहनों का निबंधन एवं चालक अनुज्ञप्ति के निर्गमन का कार्य पूर्णतः ऑनलाईन कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को अब अनावश्यक जिला परिवहन कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में वाहन कर, शुल्क आदि e-payment & Online Payment System के माध्यम से ली जा रही है। परिवहन विभाग के सभी प्रकार के कर/शुल्क को नये पोर्टल e-Gras से इंटीग्रेट कर दिनांक-13.11.2017 से सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है।

35. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सड़क सुरक्षा निधि मद में 15 करोड़ रूपये कर्णाकित किये गये है। इसके अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु परिवहन तंत्र के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों/सामग्रियों यथा- Breath Analyzer, Speed Camera Vehicles and Tab/ Equipments आदि का क्रय कर उनका उपयोग किया जा रहा है।

36. परिवहन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 151.48 करोड़ रूपये का योजना उपबंध निर्धारित है। इसमें से 126.96 करोड़ रूपये रेलवे परियोजनाओं एवं सड़क सुरक्षा मद में 15.00 करोड़ तथा शेष 9.52 करोड़ रूपये अन्य मदों में व्यय किया जा रहा है।

37. हमारी सरकार सड़क, रेल के अलावा नागर विमानन सेवा के प्रसार हेतु प्रयत्नशील है। राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों को नियमित उड़ान हेतु operational बनाने के लिए उनके विस्तार तथा विकास की कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग हवाई अड्डा के रनवे की लम्बाई 2400 फीट से बढ़ाकर 6000 फीट करने, पलामू (चियाँकी) हवाई अड्डा के रनवे की लम्बाई 3000 फीट से बढ़ाकर 5200 फीट करने तथा दुमका हवाई अड्डा के रनवे की लम्बाई 4000 फीट से बढ़ाकर 6000 फीट करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त धालभूमगढ़ स्थित द्वितीय विश्वयुद्ध के abandoned हवाई पट्टी पर भी 150 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डा के निर्माण हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है।

38. बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा 302.62 एकड़ भूमि में से 301.12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को

हस्तांतरित कर दिया गया है। साथ ही देवघर हवाई अड्डा का विस्तार करते हुए वहाँ घरेलू हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कुल 653.75 एकड़ भूमि का अर्जन कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया है।

39. हमारी सरकार समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की लहर को पहुँचाने में जुटी है। झारखण्ड के वीर सपूतों के योगदान को स्मरणीय बनाने हेतु हमारी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में **शहीद ग्राम विकास योजना** प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 30 करोड़ राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है तथा इसके अन्तर्गत इन गाँवों में प्रति आवास 2.63 लाख रू0 की दर से कुल 696 आवास (कुल रू0 18.30 करोड़) स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल, स्मारक सुदृढ़ीकरण, सोलर स्ट्रीट लाईट, लिफ्ट इरिगेशन इत्यादि योजनाओं हेतु कुल 809.40 लाख रू0 की राशि आवंटित की जा चुकी है।

40. हमारी सरकार महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धजनों तथा अन्य कमजोर तबके के लोगों के कल्याण तथा सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति हेतु कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ राज्य की अधिक से अधिक बालिकाओं को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से इस योजना में BPL की बाध्यता को समाप्त करते हुए रू0 72,000/- आय वर्ग के परिवार की बालिकाओं को इससे आच्छादित किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना में शहरी गरीब परिवारों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए इस योजनान्तर्गत आधार कार्ड को आवासीय प्रमाण पत्र का दर्जा प्रदान किया गया है।

41. राज्य की अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक एवं पवित्र स्थल सरना/ मसना/ जाहेरस्थान/ हड़गड़ी का अतिक्रमण न हो, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर इनकी घेराबंदी की जा रही है।

42. आदिम जनजाति पेंशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग 2700 नये लाभुक शामिल किये गये हैं तथा वर्त्तमान में दुमका प्रमंडल की 19388 आदिम जनजातियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

43. हमारी सरकार ने राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न चरणों की परीक्षा में लगने वाले समय एवं श्रम को कम करने एवं परीक्षा में कदाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को **कम्प्यूटर आधारित परीक्षा** (Computer based Exam) आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

44. हमारी सरकार ने **राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम** के अन्तर्गत प्रदायी सेवाओं की संख्या का विस्तार करते हुए **19 विभागों** की कुल **308 सेवाओं** को उक्त नियमावली के तहत अधिसूचित किया है। अब इन सेवाओं में निर्धारित समयावधि में जन आवेदन का निष्पादन अनिवार्य है। भविष्य में इसके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं का विस्तार किये जाने की योजना है।

45. सरकारी सेवकों के सुगम अवकाश प्रबंधन हेतु HRMS के अन्तर्गत ऑनलाईन Leave Module का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में तत्काल आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति से सम्बन्धित ऑनलाईन आवेदन करने तथा सक्षम स्तर से आवेदन पर स्वीकृति प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। इस ऑनलाईन Leave Module को **सचिवालय तथा संलग्न कार्यालय** एवं **उपायुक्त कार्यालय** तथा उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में लागू किया गया है।

46. **जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र से** संबंधित जनसाधारण की समस्याओं के निदान हेतु टॉल फ्री नं0-18003456568 स्थापित किया गया है। जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्रों के निर्गमन हेतु आवेदन संकलन एवं ससमय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर स्वयंसेवकों की सेवा ली जा रही है एवं इनके सहयोग से प्रमाण-पत्र निर्गमन कार्य में सुगमता सुनिश्चित की जा रही है। आठवीं एवं उच्चतर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अभियान चला कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

47. राजधानी राँची में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी, भविष्य के औद्योगिक व समृद्ध झारखण्ड का चेहरा होगा। स्मार्ट

सिटी में प्रस्तावित Convention Center, Urban Civic Tower एवं JUPMI के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा राँची में 04 स्मार्ट रोड एवं बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

48. शहरी आवास योजनान्तर्गत 02 अक्टूबर, 2017 को गृह-प्रवेश दिवस के रूप में मनाया गया जिसमें 20,000 आवासों में गृह-प्रवेश कराया गया। अभी तक 22,000 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य के 41 नगर निकायों को 02 अक्टूबर, 2017 तक खुले में शौच से मुक्त करा लिया गया है। 2,09,848 व्यक्तिगत शौचालय तथा 569 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है एवं 170 सामुदायिक शौचालय का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

49. गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु **नमामि गंगे परियोजना** साहेबगंज एवं राजमहल में चलायी जा रही है। 146.62 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से क्रियान्वित किये जानेवाले भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Municipal Waste Water परियोजना प्रारंभ की गई है। साहेबगंज, राजमहल एवं कन्हैया स्थान हेतु River Front Development परियोजना का शिलान्यास किया जा चुका है।

50. मानव विकास तथा समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी सरकार सतत् इस दिशा में प्रयासरत् है। सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को लागू कर इस क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा में व्यापक सुधार कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

51. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में शिक्षा में मूलभूत एवं आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संथाल परगना प्रमण्डल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल एवं कोल्हान प्रमण्डल में आवासीय विद्यालय की स्थापना माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा, इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय का +2 विद्यालय में उत्क्रमण, मध्याह्न भोजन योजना हेतु पौष्टिक भोजन के साथ-साथ क्लीन एनर्जी तथा पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखकर एल.पी.जी. गैस की व्यवस्था, विद्यालयों में बेंच-डेस्क एवं विद्युतीकरण की सुविधा आदि का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

52. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नियमित शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य है। राज्य में गत् दो वर्षों में 18431 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्त्तमान में लगभग 21000 शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण की जानी है।

53. आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने हेतु 225 पुस्तकालयों का संचालन प्रारम्भ किया गया है। ज्ञानोदय योजना के तहत् गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने तथा ऑन लाईन सूचना प्रेषण एवं रियल टाईम मॉनिटरिंग के लिये प्रत्येक विद्यालय को कम्प्यूटर डिवाइस टैब से युक्त करने हेतु 41 हजार टैब उपलब्ध कराया गया है।

54. राज्य के नौनिहालों में ज्ञान के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम प्रारम्भ कर राज्य के लगभग 3000 छात्र-छात्राओं को क्रमशः दिल्ली-आगरा, कोलकाता-भुवनेश्वर- पुरी तथा बंगलुरू-मैसूर का अध्ययन भ्रमण कराया गया।

55. हमारी सरकार द्वारा राज्य के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बीच क्रीड़ा को प्रोत्साहन देने हेतु 14 वर्ष उम्र के नीचे तथा 14 वर्ष उम्र के ऊपर के छात्र/ छात्राओं के बीच अन्तर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस प्रतियोगिता के आधार पर 14 वर्ष उम्र के नीचे के 50 छात्र/छात्राओं तथा 14 वर्ष उम्र के ऊपर के 50 छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उनकी प्रतिभा को निखारने हेतु टाटा फुटबॉल अकादमी द्वारा विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

56. तकनीकी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस वर्ष बहुद्देशीय कम्पनी यथा- Siemens, Oracal, HP, TATA के सहयोग से नये-नये Courses प्रारम्भ किए जा रहे हैं और छात्र-छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा Latest Training की व्यवस्था की जा रही है।

57. पॉलिटेक्निक संस्थानों में गत वर्ष कुल 10,590 सीट उपलब्ध थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 14565 सीट किया गया है। इस प्रकार कुल 3975 सीटों की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से Engineering संस्थानों में Lateral Entry के तहत 1190 सीटों से बढ़ाकर 3681 सीट किया गया है।

58. राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017-18 में कुल 13,865 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से कुल 9,283 व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे 101 प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये है और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र (मेगा स्किल सेन्टर) योजना के अंतर्गत 16 वृहत प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किए गए है जिनकी संख्या बढ़ाकर 24 की जाएगी।

59. कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी 2018-स्वामी विवेकानंद जयंती) के अवसर पर राज्य के 25,000 युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जो राज्य सरकार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को दर्शाता है।

60. स्वस्थ झारखण्ड के सपने को पूरा करने एवं राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नवम्बर 2017 से लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) से आच्छादित राज्य के 57 लाख परिवार (कुल जनसंख्या का 80%) लाभान्वित होंगे।

61. राज्य के नागरिकों को चौबीसों घण्टे आपात स्थिति में अस्पताल पहुँचाने हेतु सरकार द्वारा **108 एम्बुलेंस सेवा** नवम्बर 2017 से प्रारंभ की गई है। अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों से सुसज्जित 100 एम्बुलेंसों का परिचालन राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों तथा अलग-अलग जिलों में किया जा रहा है, तथा मार्च 2018 तक 329 एम्बुलेन्स क्रियाशील हो जायेंगे।

62. हमारी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए दुमका, हजारीबाग एवं मेदिनीनगर (पलामू) में रु0 885.25 करोड़ की लागत से तीन नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की है। सरकार का प्रयास है कि इन निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2018-19 से एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई आरंभ कर दी जाय।

63. असाध्य रोगों से पीड़ित राज्य के नागरिकों के कल्याण हेतु **मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना** के अन्तर्गत 72 हजार वार्षिक आय तक के परिवारों को 115 बीमारियों के लिए 2.50 लाख रुपए तक एवं किडनी प्रत्यारोपण हेतु 5.00 लाख रुपए एवं कैन्सर उपचार हेतु 4.00 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर 72 चयनित अस्पतालों में सी0जी0एच0एस0 दर पर ईलाज की सुविधा दी जा रही है।

64. आदिम जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा पैकेज योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत समुदाय के बीच से ही किसी एक व्यक्ति को स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के रूप में तैयार कर स्वास्थ्य सुविधाएँ उनकी बसाहट तक पहुँचाने हेतु सरकार प्रयासरत है।

65. पूर्व से परिभाषित सुयोग्य श्रेणी में सामान्य जाति, दिव्यांग एवं कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी को जोड़ते हुए भूमिहीन परिवारों के साथ संदेहात्मक/अनियमित जमाबंदी को नियमित किये जाने के लिए आवास हेतु 12.5 डिसमिल एवं कृषि कार्य हेतु 5.00 एकड़ भूमि बंदोबस्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिससे करीब 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) परिवार लाभान्वित होंगे।

66. झारखण्ड की स्थानीय पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था के स्तम्भ मानकी, मुण्डा एवं ग्राम प्रधानों के बीच Digital India की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके बीच क्रमशः 977 टैबलेट, 81 टैबलेट एवं 6653 टैबलेट वितरित किया गया है।

67. गाँधीवादी मूल्यों एवं उनके आदर्शों के सच्चे समर्थक टाना भगतों को समाज की मुख्य धारा में लाने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया गया है तथा इस निमित्त चालू

वित्तीय वर्ष में 10.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है।

68. हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी कर सुधार प्रणाली **माल एवं सेवा कर** अधिनियम को अपनाते हुए दिनांक 01.07.2017 से राज्य में सफलतापूर्वक माल एवं सेवा कर प्रणाली क्रियान्वित कर दिया है। **वित्तीय वर्ष 2017-18** में वैट अधिनियम के अधीन माह दिसम्बर, 2017 तक **4140.59 करोड़** रूपये तथा माल एवं सेवा कर के **अधीन 3086.46 करोड़** अर्थात **कुल 7227.05 करोड़ रूपये** राजस्व की प्राप्ति हुई है जो गत वर्ष की तुलना में **850.68 करोड़ रूपये** अधिक है जो, कर संग्रहण में **13.34 प्रतिशत** की वृद्धि-दर को प्रदर्शित करता है।

69. राज्य में श्रम शक्ति की महत्ता आरम्भ से ही समझी जाती रही है। प्राकृतिक विषमताओं के बावजूद प्रदेश की श्रम शक्ति ने सभी क्षेत्रों में प्रगति के नये आयाम स्थापित किये हैं। श्रमिकों का जीवन स्तर सुधारने तथा उनके कौशल का विकास कर रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर 2017 तक 10261 श्रमिकों को साईकिल, 22301 श्रमिकों को औजार तथा 48521 श्रमिकों को सेफ्टी किट तथा 59643 श्रमिकों को आम आदमी बीमा योजना से लाभान्वित किया गया।

70. निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु के बाद देय लाभ को 75,000/-रुपये से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये एवं सामान्य मृत्यु के बाद देय लाभ को 30,000/-रुपये से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये किया गया है।

71. हमारी सरकार ने विगत 03 वर्षों में 32 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उनमें प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया है। वर्तमान में कुल 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। राज्य सरकार राज्य के सभी प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु कृत संकल्पित है। इसके तहत् प्रथम फेज में 13 जिलों के 105 पिछड़े अनाच्छादित प्रखण्डों का चयन करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

72. हमारी सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा, उनके संवर्द्धन, वन प्रबंधन में आम जनता की भागीदारी एवं वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई क्षेत्रों मे उत्साहजनक प्रगति हुई है। इनमें मुख्यमंत्री जन-वन योजना, Sub mission on Agroforestry योजना के माध्यम से वनाच्छादन बढ़ाना, नई केन्दू पत्ता नीति का लागू होना, शहरी क्षेत्रों में कई नये पार्कों के निर्माण, उनके रख-रखाव एवं वन तथा वन्यप्राणी प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त लगभग 30 वर्षों के बाद वनरक्षियों की नियुक्ति और Ease of doing business में तेज प्रगति ऐतिहासिक उपलब्धियाँ कही जा सकती हैं।

73. इसके अतिरिक्त राज्य में वनों से होकर बहने वाली नदियों के तटों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से वृक्षारोपण की नई योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें प्रत्येक नदी के पाँच कि0मी0 तट पर वृक्षारोपण किया जायेगा। गंगा तट को अधिक आकर्षक एवं रमणीय बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा साहेबगंज तथा अन्य जिलों में नमामि गंगे परियोजना के तहत् गंगा एवं सहायक नदियों के किनारे वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य कराये गये हैं।

74. झारखण्ड सरकार एवं सी0सी0एल0 के संयुक्त उपक्रम जे0एस0एस0पी0एस0 के द्वारा खेल अकादमियाँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें 178 बच्चों का चयन कर लिया गया है। वर्ष 2016-17 में चयन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक थी, राज्य के लगभग 20 हजार बच्चों में से 100 बच्चों का चयन किया गया है। जिनके लिए अत्यंत ही उच्च कोटि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे की ओलम्पिक-2024 में पदक प्राप्ति के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

75. राज्य के वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए **मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संथाल परगना प्रमण्डल से 1000 लाभुकों को हरिद्वार एवं ऋषिकेश तथा पलामू प्रमण्डल से 1000 लाभुकों के पुरी, भुवनेश्वर की यात्रा करायी गयी है।

76. छोटानागपुर की रानी नेतरहाट में पर्यटकों के लिए अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 तक Swiss Cottage Tent की व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेला 2017 के अवसर पर काँवरियों के देवघर तथा बासुकीनाथ में निःशुल्क ठहराव के लिए प्रथम बार

Tent City का अधिष्ठापन कराया गया।

77. सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राज्य की आवश्यक सेवाओं के विकास हेतु नीति का निर्धारण करते हुए राज्य में आई0टी0 उद्योगों की स्थापना, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इन्फोटेक सिटी, आइ0टी0 पार्क, विभिन्न सरकारी विभागों एवं निगमों का कम्प्यूटरीकरण इत्यादि पर हमारी सरकार कार्य कर रही है।

78. IFMS परियोजना के अंतर्गत e-Payment, e-Receipt, integration of Cyber Treasury with GSTN portal and RBI, Mybudget portal, Employee Portal, Online GPF Accounting System, Integration of Treasury with PFMS portal, Payslip portal जैसे-महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें e-receipt (e-GRAS) के तहत वर्ष 2017 में राज्य के revenue receipts से अब तक कुल राशि रू. 11886.25 करोड़ प्राप्त हुए हैं। राज्य के आम नागरिक e-GRAS Portal के माध्यम से e-Challan Generate कर इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड एवं राज्य के अंदर SBI के किसी भी शाखा पर अपना कैश/ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं। e-Payment परियोजना के तहत् 5000/- रूपये से ज्यादा की राशि का भुगतान e-Payment के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जा रहे हैं। My budget Portal के माध्यम से आम जनता से सुझाव राज्य के बजट के पूर्व आमंत्रित किये जा रहे हैं।

79. e-pension Portal को Launch किया जा चुका है, जिसके द्वारा कर्मियों के Pension संबंधी दस्तावेजों का Digital स्थानांतरण महालेखाकार को किया जा सकता है तथा PPO Data महालेखाकार से Online प्राप्त कर कोषागार को ससमय उपलब्ध कराया जा सकता है। GPF कर्मचारियों द्वारा Employee portal के माध्यम से Account slip self generate करने का प्रावधान किया गया है, जो पूरे देश में unique सुविधा है।

80. हमारी सरकार ने राज्य में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के अपने इरादे को अमली जामा पहनाते हुए नक्सलियों के खिलाफ जोरदार एवं आक्रामक अभियान का संचालन किया है। वर्ष 2017 में कुल 34 अभियानों में 12 नक्सली मारे गये, 558 नक्सली गिरफ्तार किये गये, साथ ही 1.41 करोड़ रूपये लेवी की राशि बरामद की गई।

81. सरकार के द्वारा नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। नक्सलियों के आत्म-समर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत वर्ष-2017 में 46 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है।

82. नक्सल प्रभावित जिलों में अनुबंध के आधार पर 2500 सहायक पुलिस की भर्ती की गयी है। साथ ही 44 स्मार्ट थानों के तहत राँची, जमशेदपुर और धनबाद में 13 थानों का निर्माण किया गया है तथा शेष स्मार्ट थानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

83. राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के उद्देश्य से वर्ष-2017 में जिला पुलिस में 4615, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस में 622 आरक्षियों की भर्ती हेतु जे0एस0एस0सी0 द्वारा अनुशंसा की गई है। जिनमें से क्रमशः 4250 एवं 542 आरक्षियों ने योगदान दे दिया है। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर 2483, वितंतु अवर निरीक्षक के पद पर 100 तथा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1544 पुलिस अवर निरीक्षक के साथ-साथ आई0आर0बी0 में आरक्षी के पद पर 2810, वितंतु पुलिस में 692, विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर 480, एवं 48 प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के चयन हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

84. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलांगना राज्य के Special Intelligence Bureau (SIB) की तर्ज पर झारखण्ड राज्य में भी Special Intelligence Bureau (SIB) का गठन किया गया है।

85. Unified Dial 100 परियोजना की शुरूआत हो चुकी है। साथ ही राँची शहर में Safe City योजना के तहत सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है। CCTNS योजना के तहत् राज्य के प्रत्येक जिले में Online FIR System की शुरूआत की गई है एवं State Emergency Response System के अन्तर्गत Dial 100 को Integrate करने की कार्रवाई भी प्रारम्भ की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) का बजट भाषण

(श्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखण्ड)

राँची, दिनांक 23 जनवरी, 2018

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

भवदीय अनुमति से आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट इस गरिमामयी सदन के पटल पर उपस्थापित कर रहा हूँ।

2. आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन है। "जय हिन्द" का नारा नेताजी ने देश को दिया था। इस नारे में बड़ी प्रेरणा है, सबको जोड़ने की शक्ति है। आजाद हिन्द सेना स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए, जिसका गठन नेता जी ने किया था, इसी नारे को लगाते हुए आगे बढ़ी थी, युद्ध में उतरी थी। आज यह नारा सारे भारत का नारा बन गया है। नेताजी का व्यक्तित्व अनूठा था। उस जमाने में उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग पर विचार करने के लिए एक कमिटी का गठन किया था। आज नियोजन की बात सभी करते हैं। नियोजन के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उस जमाने में जब हम पराधीन थे, जब स्वाधीनता की लड़ाई पूरी तरह जीती जानी बाकी थी, नेताजी ने काँग्रेस अध्यक्ष के नाते एक प्लानिंग कमिटी बनाई और कहा कि जब हम आजाद होंगे तो हिन्दुस्तान का नक्शा किस तरह का होगा, हिन्दुस्तान का विकास किस तरह होगा, इसकी अभी से तैयारी करनी चाहिए, इसकी अभी से योजना बनानी चाहिए। यह बात नेता जी की दूरदर्शिता को दर्शाती है।

3. मैं आज उनके जन्म दिन के अवसर पर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस को शत्–शत् नमन करता हूँ तथा इस पुनीत दिन पर राज्य के विकास की रूपरेखा सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। नेता जी के रास्ते पर चल कर हमें राजनीतिक आजादी को आर्थिक और सामाजिक न्याय में बदलना है।

4. इस पुनीत अवसर पर मैं राज्य के अमर वीरों बिरसा मुण्डा, सिद्धो–कान्हू, चाँद, भैरव, वीर बुधु भगत, तिलका मांझी, नीलाम्बर–पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, पाण्डेय गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, शेख भिखारी जी के साथ झारखण्ड के सभी अमर शहीदों को सादर नमन करता हूँ। मैं इस प्रबुद्ध सदन के प्रति तथा गौरवशाली झारखण्ड की जनता के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

5. महोदय, परम श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था

"समता के साथ ममता, अधिकार के साथ आत्मीयता, वैभव के साथ सादगी–नवनिर्माण के प्राचीन आधार स्तम्भ हैं। इन्हीं स्तम्भों पर हमें भावी भारत का भवन खड़ा करना है।"

पिछले तीन वर्षों से हमारी सरकार ने यह निश्चय कर रखा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े सबसे गरीब व्यक्ति तक विकास कार्यों का लाभ पहुँचे।

6. आदरणीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में झारखण्ड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है तथा उनके मार्गदर्शन में हम न्यू झारखण्ड बनाने के लिये कृत संकल्प हैं। योजना बनाओ अभियान, जनसंवाद, बजट पूर्व संगोष्ठियाँ, सखी मण्डलों का सुदृढ़ीकरण, 20सूत्री समितियों का पुनर्गठन, पंचायत सचिवालयों का गठन, वार्ड विकास समिति का गठन आदि कुछ ऐसे प्रयास हमने प्रारंभ किए हैं, जिससे जन–जन की आवाज सुनी जा सके और जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम अपनी सरकार का कार्य सुगठित कर सकें।

7. इसी क्रम में डोभा निर्माण, दो दुधारू गायों की योजना, कृषि सिंगल विण्डो, कौशल विकास कार्यक्रम, जन–वन योजना, जन–धन योजना, मुद्रा योजना, प्रज्ञा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण आदि

कार्यक्रमों के माध्यम से हम सरकार को जन–जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, प्रयास से ही सफलता मिलती है।

8. महोदय, मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि बजट एवं योजना निर्माण का काम वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के काफी पूर्व तैयार हो जाना चाहिए, ताकि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही धरातल पर वास्तविक कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सके। इसी क्रम में हमने वर्ष 2016–17 में फरवरी के अन्तिम सप्ताह में तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 23 जनवरी को बजट पेश किया था, इस वर्ष भी 23 जनवरी को ही बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

9. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट की विशेषताओं का उल्लेख करने के पूर्व मैं यह कहना चाहूँगा कि विगत बजट भाषण में मेरे द्वारा की गई कुल 142 घोषणाओं में 121 पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 21 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। यह राज्य की जनता के प्रति हमारी सरकार के उत्तरदायित्व बोध का द्योतक है। गत वर्ष की गयी घोषणाओं पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अलग से विधान सभा के पटल पर रखा गया है। इनमें से कुछ एक निम्नवत् हैं :–

i.विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा एक लाख से अधिक नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं एवं 50 हजार और नियुक्तियाँ जून, 2018 तक की जायेंगी।

ii.स्थानीय नीति की घोषणा होने के कारण इन नियुक्तियों में 95 प्रतिशत से अधिक स्थानीय उम्मीदवार की ही नियुक्ति की गई है।

iii.झारखण्ड आन्दोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की स्मृति में "विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय" की स्थापना धनबाद में नवम्बर, 2017 में की गई है।

iv.मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत झारखण्ड के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख गरीब परिवारों का प्रति परिवार दो लाख रुपये का बीमा होगा, जिसमें एक–दो नहीं, बल्कि 980 छोटी–बड़ी बीमारियाँ कवर होंगी।

v."108" एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है, जो चौबीसों घण्टे आपात परिस्थितियों के लिए 108 कॉल सेन्टर से संचालित हैं।

vi.वर्ष 2014 तक 38,904 विद्यालयों में से मात्र 7,000 विद्यालयों में बेंच एवं डेस्क की व्यवस्था उपलब्ध थी, जिसे बढ़ाकर अब 31,705 विद्यालयों में बेंच एवं डेस्क उपलब्ध करायी गई है।

vii.वर्ष 2014 तक 38,904 विद्यालयों में से मात्र 3,500 विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध थी, जिसे बढ़ाकर 26,788 विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

viii.वर्ष 2014 तक 22,636 विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध थी जिसे बढ़ाकर सभी 38,904 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

ix.वर्ष 2014 तक 30,803 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी, जिसे बढ़ाकर 38,132 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

x.वर्ष 2014 तक कुल 2,932 ग्राम अविद्युतीकृत थे, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक इन सभी ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

xi.वर्ष 2014 में सिर्फ 38 लाख घरों में बिजली थी और 30 लाख से अधिक घरों में अंधेरा था। विगत् तीन वर्ष में 8 लाख घरों में बिजली पहुँचा दी गई है और वर्ष 2018 की दीपावली तक शेष सभी घरों में बिजली पहुँचा दी जायेगी।

xii.झारखण्ड राज्य बनने के समय से 2015 तक राज्य में मात्र 3 चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत थे। गत दो वर्षों में पलामू हजारीबाग एवं दुमका में नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त तीन चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध 500 शय्यावाले अस्पतालों की स्वीकृति कुल 1,475.02 करोड़ रुपये की लागत पर दी गई है।

xiii.शहीद ग्राम विकास योजना राज्य में पहली बार प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य के वीर सपूतों की जन्मभूमि के समग्र विकास हेतु कार्य किया जा रहा है।

xiv.विश्व बैंक सम्पोषित 500 करोड़ की लागत से **"तेजस्विनी योजना"** तथा 1,500 करोड़ रुपये की लागत से **"जोहार परियोजना"** की शुरूआत

की गई है।

xv.राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं रोजगार सृजन निमित्त **मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड** का गठन किया गया है।

xvi.नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है।

10. महोदय, हमने शासन को पारदर्शी तथा जनता के सरोकार को सर्वोपरि बनाए रखने का प्रयास किया है। गत वित्तीय वर्ष की भाँति इस वर्ष के बजट के निर्माण के क्रम में हमने राज्य के प्रत्येक प्रमण्डल में जाकर समाज के प्रमुख वर्गों से उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्हें इस साल के बजट में समावेशित करने का प्रयास भी किया है। इस प्रयास में मैंने राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के मानिन्द सदस्यों तथा स्टेकहोल्डर्स की बैठकें भी की हैं, जिसमें आम जनों के साथ राज्य के माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, माननीय विधायकों तथा प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों के भी सुझाव प्राप्त किये हैं एवं उन्हें समावेशित किया है। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि आम जनता राज्य की बजट को **अपना बजट** समझे, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वे भी पर्यवेक्षकीय भूमिकाएँ अदा करें और उन्हें भी अपनी जवाबदेही का एहसास रहे।

11. इन समग्र सफल आयोजनों के लिए मैं राज्य की प्रबुद्ध जनता तथा सचेत प्रशासनिक तंत्र को साधुवाद देता हूँ। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी सरकार की यह अभिनव और अनोखी पहल आगामी वर्षों में और सघन होगी। मेरा विश्वास है कि राज्य के सर्वांगीण विकास में इसके परिणाम न केवल दूरगामी अपितु अतुलनीय होंगे।

12. महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मैं सदन के सामने राज्य का सकल बजट रुपये **80,200** करोड़ रुपये का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें राजस्व व्यय के लिए **62,744.44** करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के लिए **17,455.56** करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

13. **अध्यक्ष महोदय,** बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जायेगा तो **सामान्य प्रक्षेत्र** के लिए **22,689.70** करोड़ रुपये **सामाजिक प्रक्षेत्र** के लिए **26,972.30** करोड़ रुपये तथा **आर्थिक प्रक्षेत्र** के लिए **30,538** करोड़ रुपये उपबंधित किए गए हैं।

14. **अध्यक्ष महोदय,** बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को **अपने कर–राजस्व** से करीब **19,250** करोड़ रुपये तथा **गैर कर–राजस्व** से **9,030** करोड़ रुपये, **केन्द्रीय सहायता** से करीब **13,850** करोड़ रुपये, **केन्द्रीय करों में राज्यांश** से **27,000** करोड़ रुपये, **लोक ऋण** से करीब **11,000** करोड़ रुपये तथा **उधार एवं अग्रिम की वसूली** से करीब **70** करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

15. **अध्यक्ष महोदय,** अब मैं संक्षेप में सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में **प्रचलित मूल्य** के आधार पर झारखण्ड **राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 3,08,785 करोड़ रुपये** (तीन लाख आठ हजार सात सौ पचासी करोड़ रुपये) आकलित किया गया है। यह वर्ष 2017–18 के **2,79,452 करोड़ रुपये** (दो लाख उनासी हजार चार सौ बावन करोड़ रुपये) की तुलना में 10.50 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। **स्थिर मूल्य** पर राज्य का GSDP वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए **2,43,032 करोड़ रुपये** (दो लाख तैंतालीस हजार बत्तीस करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के **2,27,066 करोड़ रुपये** (दो लाख सताईस हजार छियासठ करोड़ रुपये) की तुलना में 7.03 प्रतिशत अधिक है।

16. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्रों का योगदान 14.97 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्त्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 70,468 रुपये होने का आकलन है, जो वित्तीय वर्ष 2016–17 में 64,823 रुपये था।

17. आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजकोषीय घाटा 7,494.45 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.43 प्रतिशत है।

18. महोदय, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रस्तावित

कुल बजटीय उपबंध 80,200 करोड़ रुपये में से सर्वाधिक व्यय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रक्षेत्र में 11,771.16 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो चालू वर्ष की तुलना में 12.39 प्रतिशत की दर से 1,297.46 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार, शिक्षा प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018–19 में 11,181.49 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो चालू वर्ष की तुलना में 6.31 प्रतिशत की दर से 663.85 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषि एवं जल संसाधन प्रक्षेत्र के लिए 6,421.64 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है, जो चालू वर्ष की तुलना में 14.86 प्रतिशत की दर से 830.72 करोड़ रुपये अधिक है।

19. महोदय, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 3,826.07 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है, जो चालू वर्ष की तुलना में 23.18 प्रतिशत की दर से 720.10 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर विकास एवं पेयजल तथा स्वच्छता प्रक्षेत्र के लिए 5,357.70 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है, जो चालू वर्ष की तुलना में 17.70 प्रतिशत की दर से 805.88 करोड़ रुपये अधिक है।

20. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित पाँच बिन्दुओं पर विशेष फोकस केन्द्रित रहेगा :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आय को दोगुना करना।
- रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना।
- अनुसूचित जनजाति/जाति एवं अभिवंचित वर्गों का विकास।
- महिला सशक्तिकरण।
- पिछड़े जिलों/प्रखण्डों का समेकित विकास।

इसके साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आधारभूत संरचना यथा– पेयजलापूर्ति, नगरीय विकास, गाँव को सड़क से जोड़ना तथा प्रत्येक घर में विद्युत आपूर्ति पहुँचाने पर भी केन्द्रित रहेगा।

21. योजनाओं में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से छोटी–छोटी योजनाओं को Umbrella स्कीम में समाहित किया गया है। इससे जहाँ एक ओर बजट शीर्षों की संख्या कम होगी, वहीं दूसरी ओर विभागों को योजना कार्यान्वयन में ज्यादा Flexibility रहेगी।

22. राज्य की लगभग 76 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है, जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर ही आर्थिक रूप से आश्रित है। राज्य की इस ग्रामीण जनता की आय 3 वर्षों में दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, गव्य, मत्स्य, लाह, तसर, मुर्गी पालन, अण्डा उत्पादन, हस्तशिल्प, ऊर्जा एवं सिंचाई प्रक्षेत्रों को समेकित रूप से अभिषरित करते हुए पहली बार वर्ष 2016–17 में अलग से **कृषि बजट** की परिकल्पना की गई थी। इसी क्रम में वर्ष 2017–18 में भी कृषि बजट 5,375.22 करोड़ रुपये का सदन में प्रस्तुत किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित कृषि बजट 5,807.64 करोड़ रूपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.04 प्रतिशत अधिक है। आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 का कृषि बजट सदन में संदर्भित मांग पर चर्चा के दिन प्रस्तुत किया जायेगा।

23. राज्य की आधी आबादी महिलाओं की है और झारखण्ड की महिलाओं की कार्य क्षमता पर हम सबको नाज है। हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं के विकास, विशेष रूप से **सखी मण्डलों को सशक्त और जीवन्त संस्था के रूप में विकसित करने का निर्णय** लिया है। इन सखी मण्डलों के माध्यम से उत्पादित की जा रही सामग्रियों जैसे – अण्डा, सब्जी, दूध, चादर, तौलिया, स्कूली गणवेश, हस्तशिल्प, तसर एवं लाह आधारित उत्पादों को स्केल–अप करके उनका विपणन स्थानीय बाजार तथा राज्य के स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों एवं बाजारों में सुनिश्चित किया जायेगा। इससे इन सखी मण्डल के सदस्यों के आय में वृद्धि हो सकेगी। महिलाओं के कल्याणार्थ राज्य में महिला आधारित कार्यक्रमों को समेकित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में Gender Budget कुल 7,684.51 करोड़ रुपये का तैयार किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए Gender Budget के रूप में 8,194.59 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 6.64 प्रतिशत अधिक है। महिला एवं बाल विकास

विभाग की मांगों पर विस्तृत चर्चा के दिन इसे सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

24. झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी है और इनके विकास के लिए अलग से रणनीति विकसित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कृत संकल्प है। इस वर्ष हमने जनजातीय विकास क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के विकास पर विशेष बल दिया है और इस प्रक्षेत्र पर किए जाने वाले बजटीय प्रावधानों को अलग से संकलित करके **अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट** इस सदन में अलग से प्रस्तुत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 में **अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट** का कुल आकार **22,259 करोड़ रूपये था,** जो स्कीमों के लिए निर्धारित कुल बजट का 51.5 प्रतिशत था। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु **अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट** का कुल आकार **24,410 करोड़ रूपये है,** जो स्कीमों के लिए निर्धारित कुल बजट का 52.49 प्रतिशत है। इस तरह इन वर्गों के लिए किए जा रहे विकास की गति को और भी तीव्रता प्रदान की जायेगी।

25. महोदय, आपके सहयोग से विकास की रथयात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

<u>ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आय को दोगुना करना</u>

26. झारखण्ड किसानों एवं गाँवों का राज्य है, लेकिन क्या हम उनकी सूरत बदल पाये हैं ? किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन को बदलना हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिये।

27. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की नींव को मजबूती प्रदान करने में पूरी तन्मयता से जुटी हुई है। इसी उद्देश्य से राज्य स्थापना दिवस पर 1,500 करोड़ रुपये की जोहार परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का लक्ष्य दो लाख ग्रामीण परिवारों की कृषि एवं गैर–कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों समेत उत्पादों में विविधता एवं उत्पादकता बढ़ाते हुए उनकी आय को दोगुना करना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को उन्नत कृषि, मछली पालन, पशुपालन, सिंचाई के साधन, कौशल विकास से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाते हुए आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस परियोजना में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर 50 फीसदी से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा।

28. महोदय, **कृषि उत्पादों का विपणन** हेतु कृषकों द्वारा उत्पादित सब्जी, फल एवं फूल के बाजार तक जाने के पूर्व उनके भण्डारण के लिए राज्य में सुव्यवस्थित कोल्ड चेन आवश्यक है। इस उद्देश्य से कोल्ड स्टोरेज के अलावा, राज्य में 100 छोटे कोल्ड रूम बनाये जाने का प्रस्ताव है, ताकि इन उत्पादों का सुसंगत भण्डारण हो सके।

29. कोल्ड चेन के साथ–साथ उपयुक्त जगहों की पहचान करके ऐसी जगहों पर जहाँ फलों और सब्जियों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, वहाँ Food Processing Units स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि कृषि उत्पाद में Value Addition करके किसानों को उचित मूल्य दिलाया जा सके।

30. **दीनदयाल ग्राम स्वावलम्बन योजना** के माध्यम से विभिन्न चरणों में राज्य की प्रत्येक पंचायत में एक मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास फैलो का पदस्थापन किया जायेगा, जिसका दायित्व ग्राम पंचायत के अधीन आनेवाले प्रत्येक राजस्व ग्राम/टोले के ग्रामीणों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जनसंख्या नियंत्रण, स्वच्छता, वैज्ञानिक चिन्तन, संगठन के महत्व, नशाबंदी, कुल्हारीबंदी, चराइबंदी, श्रमदान, बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन, जलछाजन, जैविक खेती योग्य व आध्यात्मिक जीवन शैली के माध्यम से संबंधित विषयों पर जागरूक करना होगा। इस योजना का क्रियान्वयन झारखण्ड स्वावलम्बन सोसाईटी के माध्यम से किया जायेगा। नीति आयोग द्वारा चयनित राज्य के 19 पिछड़े जिले जिनके समग्र विकास हेतु माननीय

प्रधानमंत्री प्रयासशील हैं, इस योजना में प्राथमिकता के आधार पर लिए जायेंगे।

31. उत्पादित एवं भण्डारित कृषि उत्पादों को निकटतम बाजार/कोल्ड स्टोर/कोल्ड रूम तक सुगमता से पहुँचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे पुल–पुलिया एवं पथों के निर्माण का प्रस्ताव है, ताकि उत्पादों के परिवहन में सुगमता बनी रहे।

32. कृषि विभाग द्वारा हजारों एकड़ भूमि पर बीज ग्राम तैयार किए गए हैं, जिनसे राज्य में ही बीज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में प्रारंभ हुआ है। ऐसे स्थलों पर आवश्यकतानुसार बीज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जायेगी, जहाँ इन बीजों को प्रसंस्कृत करके इनके प्रमाणीकरण की व्यवस्था होगी।

33. बायो गैस प्लांट की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि किसानों को मुफ्त ईंधन मिलने के साथ–साथ जैविक खाद का भी उत्पादन हो सके।

34. किसानों के लिये सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु अलग से बिजली फीडर लाईन की व्यवस्था की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जायेगी।

35. किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की सुरक्षा हेतु किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की असामयिक मृत्यु पर उनकी सहायता सरकार करेगी। इसी उद्देश्य से साँप काटने, कुआँ धंसने जैसी आकस्मिक आपदा राहत के लिए पीड़ित परिवारों को सरकार के द्वारा चार लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी।

36. देवघर, राँची, सिमडेगा एवं निकटवर्त्ती क्षेत्रों में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनायें चलाये जाने का प्रस्ताव है।

37. योजना बनाओ अभियान के फलस्वरूप योजनाओं का चयन ग्रामीणों द्वारा किया जाने लगा है। इन छोटी–छोटी योजनाओं के निर्माण की जवाबदेही भी ग्राम विकास समिति/आदिवासी विकास समिति को ही सौंपे जाने की व्यवस्था की जायेगी।

38. राज्य में मछली उत्पादन में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। अब राज्य में बाहर से मछली आयात की आवश्यकता नहीं रही है। साथ ही राज्य से मछली का निर्यात भी किया जाने लगा है। इसी तरह "मेधा दूध" को भी हम सशक्त करना चाहते हैं, इसके लिए एन०डी०डी०बी० के साथ एमओयू करने के उपरांत एक महत्ती कार्य योजना के तहत राँची में एक लाख लीटर तथा देवघर, पलामू, साहेबगंज, गिरिडीह एवं जमशेदपुर में 50 हजार लीटर क्षमता के डेयरी प्लांट का निर्माण आरंभ कराया जायेगा।

39. गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधित विधेयक सदन के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में साहेबगंज में कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

40. महोदय, राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष से सभी माननीय विधायकों के सहयोग से Gift Milk Scheme को राज्य के अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत कुपोषण से पीड़ित बच्चों को प्रतिदिन मुफ्त में दूध उपलब्ध कराया जायेगा।

41. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय विधायकगण अपनी निधि से स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन भी करवा सकेंगे।

42. ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों विशेषकर, बच्चों के लिये पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से छोटे–छोटे पार्कों का निर्माण कराया जायेगा।

<u>रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक–से–अधिक अवसर पैदा करना</u>

43. महोदय, हमारी सरकार "स्कैम झारखण्ड" को "स्किल झारखण्ड" बनाने हेतु कृत संकल्प है। युवाओं को शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर उन्हें रोजगार मुहैय्या कराना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जिन्दगी का गुजारा करने के लिए हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि हुनर भी होना चाहिये। श्रमेव जयते हमारा मंत्र होना चाहिये। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।

44. युवाओं में हुनर को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास मिशन के माध्यम से तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

45. पिछले तीन वर्षों में एक लाख लोगों को सरकारी रोजगार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50

हजार और सरकारी नियुक्तियाँ की जायेंगी।

46. मोमेन्टम झारखण्ड के बाद निजी कंपनियों से हुए एमओयू तथा 210 से अधिक कंपनियों के द्वारा ग्राउण्ड बेक्रिंग किए जाने के कारण इन नये उद्योगों के माध्यम से 50 हजार प्रत्यक्ष रोजगार तथा 1.50 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया जायेगा।

47. पिछले तीन वर्षों में पाँच नये विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण हेतु कार्रवाई की जायेगी।

48. विश्वविद्यालय से दूरस्थ स्थित जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध तरीके से PG की पढ़ाई प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

49. युवाओं को सक्षम बनाने के लिए सभी जिलों में एक–एक मेगा स्किल सेन्टर की स्थापना किए जाने पर कार्य किया जा रहा है।

50. गुणवतापूर्ण शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों तथा डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में शोध निधि की स्थापना का प्रस्ताव है।

51. जिन महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है, उनमें विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव है।

52. बड़े जिला मुख्यालयों में Library-cum-Motivation Centre की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।

53. विश्वविद्यालय स्तर पर Startup कोषांग की स्थापना की जायेगी, ताकि इच्छुक विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में तत्काल सहायता प्राप्त हो सके।

54. राज्य में खेल विश्वविद्यालय अधिनियमित कर दिया गया है, जिसके गठन के उपरान्त राज्य में खेल / खेल विज्ञान / खेल शिक्षा तथा खिलाड़ियों का समुचित संवर्द्धन एवं विकास हो सकेगा।

55. **अध्यक्ष महोदय,** शिक्षा एवं कौशल विकास के साथ ही राज्य में मीठी क्रान्ति लाने हेतु मधुमक्खी पालन को वृहद् पैमाने पर प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके तहत **मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड** के माध्यम से 25,000 किसानों को प्रशिक्षित कर इससे जोड़ा जायेगा। साथ ही, उत्पादित मधु के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। झारखण्ड में लाह की खेती को बढ़ाने के साथ–साथ किसानों को इसका समुचित मूल्य दिलाने हेतु प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 100 लाह परिसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी तथा इससे उत्पादित सीड लाह एवं बटन लाह की देश–विदेश में बिक्री की व्यवस्था की जायेगी।

56. राज्य में रेशम का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा है। इन उत्पादित वस्तुओं को सुसंगठित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुमका प्रमंडल में रेशम प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

57. राँची, देवघर, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर तथा रजरप्पा में हस्तशिल्प इम्पोरियम की स्थापना की जायेगी।

58. राँची तथा खरसावाँ में PPP mode में सिल्क पार्क की स्थापना की जायेगी।

59. सखी मण्डलों को सशक्त करते हुए महिला लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से 4.50 लाख महिलाओं को स्वावलम्बन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना तैयार की गई है।

60. पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावना है। पतरातू को वृहद् पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु कार्य प्रगति पर है तथा पूर्ण होने के पश्चात् यह राज्य का वृहद् पर्यटक स्थल बनेगा।

61. देवघर, बासुकीनाथ, ईटखोरी, रजरप्पा, मसानजोर, चांडिल, दलमा, अंजनधाम, लुगुबुरू के पर्यटकीय विकास के लिए वृहद् कार्य योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। लुगुबुरू को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जायेगा। सरायकेला जिले के छऊ महोत्सव को भी राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है।

62. प्रसाद योजनान्तर्गत देवघर का विकास, स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत

जमशेदपुर–राँची–नेतरहाट–बेतला ईको टूरिज्म

सर्किट का विकास तथा चांडिल, गेतलसूद, नेतरहाट तथा बेतला का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जायेगा।

63. कौलेश्वरी, ईटखोरी तथा रजरप्पा को वृहद् गंतव्य के रूप में विकसित किया जायेगा तथा कौलेश्वरी में पी०पी०पी० मोड के आधार पर रोपवे अधिष्ठापित किया जायेगा।

64. मुख्यमंत्री वृद्धजन तीर्थ दर्शन योजना पूर्ववत् जारी रहेगी।

65. चरणबद्ध तरीके से प्रखण्ड मुख्यालय, पर्यटन स्थलों तथा 5 शहरों में **"लघु कुटीर उद्योग हाट"** की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जहाँ लघु कुटीर उद्योग से निर्मित वस्तुओं की बिक्री हो सकेगी।

अनुसूचित जनजाति/जाति एवं अभिवंचित वर्गों का विकास

66. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों एवं अन्य अभिवंचित वर्गों के लिए बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक (52 प्रतिशत) राशि रखी गई है। अनुसूचित जनजाति/जाति का अलग बजट प्रासंगिक मांग पर बहस के दिन अलग पुस्तिका में प्रस्तुत किया जायेगा।

67. वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों में आदिवासी विकास समिति के माध्यम से छोटे–छोटे चेक डैम, तालाब, जल संचयन संरचनाएँ आदि योजनाओं का निर्माण कराया जायेगा।

68. आदिवासी क्षेत्रों में Old Age Home की स्थापना भी करने का प्रस्ताव है।

69. अल्पसंख्यक बच्चों के लिए शिक्षा एवं हुनर का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

70. संथालपरगना प्रमण्डल के साहेबगंज, दुमका, गोड्डा एवं पाकुड़ जिले में 5,000 आदिम जनजाति परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है।

71. कुपोषण को कम करने हेतु जे०टी०ई०एल०पी० परियोजनान्तर्गत 400 गाँवों में 48,000 **पोषण गार्डेन** का निर्माण कराया जायेगा।

72. अनुसूचित जनजाति/जाति के डॉक्टर अगर जनजातीय क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण करते हैं तो उन्हें 50 लाख रुपये तक बैंक से ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रारंभ की जायेगी।

73. महोदय, स्वतंत्रता संग्राम में टाना भगतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। टाना भगतों को मुख्य धारा में लाने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया गया है। इनकी भूमि को लगान मुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

74. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में घंटी आधारित स्थानीय शिक्षक/सेवानिवृत शिक्षकों की सेवा ली जायेगी।

75. कब्रिस्तान की घेराबंदी के साथ–साथ सरना–मसना स्थलों की घेराबंदी का कार्य भी चरणबद्ध रूप से पूरा कराया जायेगा।

76. नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्तिधामों (श्मशान घाटों) को अधिक सुविधायुक्त बनाये जाने का प्रस्ताव है।

77. दिव्यांग जनों को विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने हेतु **राज्य दिव्यांग कल्याण कोष** की स्थापना की जायेगी।

महिला सशक्तिकरण

78. एक लाख सखी मंडलों की संख्या को बढ़ाकर 1.50 लाख करने की योजना है। इन्हीं सखी मण्डलों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए स्वावलम्बी बनाये जाने का महती कार्यक्रम तैयार किया गया है। इन मंडलों द्वारा निम्न कार्य कराये जायेंगे:–

- पूरक पोषाहार
- सैनिटरी नैपकिन का निर्माण
- School Uniform आदि की सिलाई

79. जमशेदपुर महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया जायेगा, ताकि उस क्षेत्र की बालिकाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके।

80. उच्च शिक्षा में बालिकाओं के आवासन की समस्या को ध्यान में रखते हुए महिला महाविद्यालयों के पास चरणबद्ध तरीके से 300 शैय्या वाले महिला छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा।

81. सभी कस्तुरबा विद्यालयों के लिए चहारदिवारी का

निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है।

82. सामूहिक सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के 20 चिन्हित जिलों में महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

83. उच्च शिक्षा में बालिकाओं के आवासन की कठिनाई को देखते हुए महिला महाविद्यालयों के पास महिला छात्रावासों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

84. दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजकों को 1,000 रुपये प्रति विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

85. लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने वाली संस्थाओं को भी सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

86. महिलाओं को पचास लाख रुपये के विक्रय पत्र के निबंधन पर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है तथा मात्र एक रुपया की टोकन राशि मुद्रांक शुल्क के रूप में लेकर निबंधन किया जा रहा है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा जायेगा।

<u>पिछड़े जिलों / प्रखण्डों का समेकित विकास</u>

87. नीति आयोग के द्वारा देश के 115 जिलों की पहचान अति पिछड़े जिले के रूप में की गयी है, इनमें झारखण्ड के 19 जिले शामिल हैं। इन 19 जिलों में से 16 जिले LWE हैं, जिनके लिए केन्द्र सरकार ने प्रति जिला 28.57 करोड़ रुपये की राशि देने की योजना तैयार की है, ताकि इन 16 पिछड़ों जिलों का योजनाबद्ध तरीके से समेकित विकास किया जा सके।

88. नीति आयोग ने कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आधारभूत संरचना के मानकों के आधार पर अन्य 6 जिलों को अति पिछड़ा घोषित किया है। इन जिलों के योजनाबद्ध विकास के लिए प्रति जिला 50 करोड रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि इनका त्वरित विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस विकास राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, विधि–व्यवस्था तथा Missing Link योजनायें ली जायेंगी।

<u>आधारभूत संरचना</u>

89. गत तीन वर्षों में रेलवे के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। देवघर–दुमका (60 कि०मी०), दुमका–रामपुर हाट (64 कि०मी०), राँची–लोहरदगा–टोरी (113 कि०मी०) पर रेल परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

90. राँची–बरकाकाना, हजारीबाग–कोडरमा (203 कि०मी०) में से कोडरमा– हजारीबाग–बरकाकाना (137 कि०मी०) अंश पर रेल परिचालन प्रारंभ हो गया है। अवशेष बचे बरकाकाना–राँची (63.34 कि०मी०) अंश पर भी रेल सेवा वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक परिचालित करा देने का लक्ष्य रखा गया है।

91. इसी तरह कोडरमा–गिरिडीह (111 कि०मी०) में से कोडरमा–नावाडीह–कावर (88 कि०मी०) अंश पर रेल सेवा प्रारंभ कर दी गई है। अवशेष बचे कॉवर–गिरिडीह (23 कि०मी०) अंश पर भी रेल सेवा वित्तीय वर्ष 2018–19 में परिचालित कराने का लक्ष्य रखा गया है।

92. महोदय, कोडरमा–तिलैया (14 कि०मी०) तथा गोड्डा–हंसडीहा (32.46 कि०मी०) के निर्माण पर भी रेलवे मंत्रालय की सहमति प्राप्त हो चुकी है और प्रारंभिक सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इन योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने का लक्ष्य है।

93. बिरसा मुण्डा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 301 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

94. देवघर हवाई अड्डे के लिए भी 653.75 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त हजारीबाग, पलामू (चियाँकी) तथा दुमका हवाई अड्डा के रनवे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

95. पथ प्रक्षेत्र में पथों का घनत्व 122.33 कि०मी० प्रति हजार वर्ग कि०मी० से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति तक 132.59 कि०मी० प्रति हजार वर्ग कि०मी० हो गया है। वर्ष 2017–18 में 963 कि०मी० पथों के निर्माण से पथ घनत्व बढ़कर 145 कि०मी० प्रति हजार वर्ग कि०मी० हो गया है।

इसका सीधा असर उत्पादकता, मजदूरी दर, गरीबी उन्मूलन दर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं की डिलेवरी पर होगा।

96. वित्तीय वर्ष 2018–19 में अन्तर्राज्यीय महत्व, पर्यटन के महत्व, औद्योगिक विकास के महत्व, अन्तरजिला एवं जिले के महत्वपूर्ण पथों के विकास का लक्ष्य है। लगभग 1,200 कि०मी० पथों एवं 30 वृहद पुलों के निर्माण का कार्यक्रम है।

97. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 6,000 कि०मी० पथ निर्माण का लक्ष्य है। इस निर्माण से 2,400 बसावटों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

98. राज्य सम्पोषित योजनान्तर्गत गाँवों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 2,000 कि०मी० ग्रामीण पथ निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

99. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत 125 पुलों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। इन सभी पुलों के निर्माण से राज्य के दूरवर्ती क्षेत्र जो नदियों के प्रवाह से आवागमन की सुविधा से वंचित हैं, में आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सकेगा। फलस्वरूप क्षेत्र के लोगों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो सकेगा।

100. राज्य के 1,000 सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापन किया जायेगा।

101. राज्य में सिंचाई कार्य हेतु 2,000 अदद् सोलर पम्प का अधिष्ठापन किया जायेगा।

102. राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड में सिकदिरी नहर पर 2 मेगावाट क्षमता के कैनाल टॉप सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित किया जायेगा।

103. राष्ट्रीय बॉयोगैस के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों को भी लाभान्वित किया जायेगा।

104. प्रधानमंत्री "सौभाग्य" योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत छूटे हुए अविद्युतीकृत आवासों को विद्युतीकृत करने हेतु गाँवों में लास्ट माईल आधारभूत संरचना का विकास करते हुए सभी आवासों को विद्युतीकृत किया जाना है। इस योजनान्तर्गत 17.64 लाख ग्रामीण आवास तथा 8.64 लाख शहरी आवास आच्छादित किए जायेंगे।

<u>नगरीय विकास</u>

105. शहरी आवास योजना के अन्तर्गत 25,000 आवासों का निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जिसमें 2 अक्टूबर, 2017 को गृह प्रवेश किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे घटक "भागीदारी एवं किफायती आवास" के अन्तर्गत 40,000 आवासों के निर्माण का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

106. 27 नगर निकायों में एक–एक दादा–दादी पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है।

107. धनबाद, देवघर, जमशेदपुर एवं राँची में इन्टर स्टेट बस टर्मिनल तथा ट्रान्सपोर्ट नगर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

108. मोरहाबादी मैदान, राँची के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव है।

109. शहरी क्षेत्र में वार्ड विकास केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

110. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बासुकीनाथ, धनबाद एवं रामगढ़ में अरबन हाट का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

111. आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिये निर्मित किफायती आवास के निबंधन पर मात्र एक रुपया कर राशि मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के रूप में ली जायेगी।

<u>पेयजल एवं स्वच्छता</u>

112. वित्तीय वर्ष 2018–19 में पाईप जलापूर्ति योजना से ग्रामीण आबादी का 40 प्रतिशत आच्छादन किया जायेगा।

113. सभी आदिम जनजाति टोलों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

114. एस०बी०एम०जी० अन्तर्गत पूरे राज्य को वित्तीय वर्ष 2018–19 में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जायेगा।

115. वित्तीय वर्ष 2018–19 में फ्लोराईड एवं आर्सेनिक प्रभावित टोलों को शत प्रतिशत शुद्ध पेयजल से आच्छादित किया जायेगा।

116. 6 अति पिछड़े जिलों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया